खण्ड २ — अंक ३३
५ अप्रैल, १९५६, (गुरुवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

चार आने (देश में)

एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

बैठकों का समय ११५१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११९२, ११९४ से ११९६, १२०१, १२०२, १२०५ से १२०७, १२०९ से १२१४, १२१७ से १२२० ... ११५२–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११९३, ११९७ से १२००, १२०३, १२०४, १२०८, १२१५, १२१६, १२२१, १२२२ ... ११७१–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३६ से ७४३ ११७५–७७

दैनिक संक्षेपिका ११७८–७९

लोक-सभा

गुरुवार, ५ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

बैठकों का समय

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्यों को १०–३० बजे आने में कोई कठिनाई मालूम होती है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : ग्यारह बजे का समय ठीक रहेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो फिर क्या १२ या १२–३० बजे का समय रखा जाये ? सूरज ५-३० बजे निकल आता है और अभी जाड़ा भी तो नहीं है ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : यह समय सबसे बढ़िया है ।

†**सेठ गोविन्द दास** : यह समय सबसे बढ़िया है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : यहां के लोग उन लोगों की ओर से बोल रहे हैं जो यहां उपस्थित नहीं हैं । मैं समझता हूं कि हमें १०-३० बजे आने में कठिनाई होती है । मैं समझता हूं कि हमें ११ बजे से ६ बजे तक समय रखना चाहिये । यह प्रबन्ध अच्छा रहेगा ।

†**श्री गिडवानी** : यही कारण है, ऐसा मैं नहीं समझता । इसका कारण तो कुछ और ही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा ठीक है । यदि हमने यह तय किया है कि ११ से ६ बजे तक समय रहे तो हम इस पर विचार करेंगे । शाम को काफी काम रहते हैं, जिन्हें हमें रद्द करना पड़ेगा । शाम को कभी-कभी हमें बैठना पड़ता है । मैं इसपर विचार करूंगा । यदि ऐसा होता है तो मैं परिवर्तन पर विचार करूंगा, किन्तु यदि कुछ और कारण हैं, तो हमें उसी मूल कारण का पता लगाना चाहिये ।

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : गंभीर कारण का ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गुड और खंडसारी विकास

†*११९२. **श्री झूलन सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुड़ और खण्डसारी विकास कार्यों को भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को हस्तांतरित करने के क्या कारण हैं; और

(ख) कथित कार्य के हस्तांतरण में क्या उन्नति हुई है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड १९५३ में कुछ ग्रामोद्योगों के विकास के लिये बनाया गया था जिनमें गुड़ और खण्डसारी भी सम्मिलित हैं। अतः भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति इन उद्योगों की केवल गवेषणा सम्बन्धी समस्याओं से सम्बन्ध रखती है ।

(ख) दिसम्बर, १९५३ में समिति और बोर्ड के कार्यों के विभाजन के पश्चात् बोर्ड ने विकास योजनाओं को कार्यान्वित करना अपने हाथों में लिया जो १९५४-५५ में ४ राज्यों में और १९५५-५६ में १० और राज्यों में लागू की गई ।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति से इन कार्यों को बोर्ड को सौंपने के बाद से बोर्ड पहले जितना कार्य करता था, उसमें कुछ और वृद्धि हुई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं एक बार पुनः माननीय सदस्य को स्मरण कराना चाहूंगा कि अधिकांश क्षेत्रीय कार्य राज्य सरकार करती है। केन्द्रीय सरकार तो विशिष्ट योजनाओं के लिये वित्तीय आवश्यकता होने पर राज्य सरकारों को अनुदान और ऋण देती है ।

†**श्री झूलन सिंह** : बोर्ड में गवेषणा सम्बन्धी सुविधाओं की कमी के कारण क्या विकास में कुछ सीमा तक कमी रहेगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जी नहीं । कुछ गवेषणा केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहे हैं । हाल ही में एक विकास केंद्र खोलने की स्वीकृति दी गई है किन्तु उसका प्रबन्ध भी राज्य सरकार की सिफारिश से नियुक्त किया गया पदाधिकारी ही करता है ।

भारतीय उद्योग प्रदर्शनी

†*११९४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में २९ अक्टूबर से दिसम्बर, १९५५ के अन्त तक जो भारतीय उद्योग प्रदर्शनी हुई थी उसमें क्या सुविधायें और अन्य सहायता दी गई थी; और

(ख) प्रदर्शनी में कितने विदेशों ने भाग लिया था ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५६]**

(ख) २१ ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : विवरण से जान पड़ता है कि सरकार ने १५ लाख रुपया व्यय किया है। इस १५ लाख रुपये की राशि में से अनिवार्य सेवाओं पर कितनी राशि व्यय की गई थी और स्थायी मण्डपों के बनाने में कितनी ?

†**श्री करमरकर** : मैं समझता हूं कि जल, विद्युत् और नाली की व्यवस्था आदि सभी अनिवार्य सेवायें ही हैं। स्थायी और अर्द्धस्थायी भवनों का निर्माण करने के बारे में मैं पूर्व-सूचना चाहूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : जितने विदेशों ने इसमें भाग लिया था उनमें से कितनों ने अपनी प्रदर्शन वस्तुयें उपहार स्वरूप दे दीं और उनका कुल मूल्य क्या था ?

†**श्री करमरकर** : मेरे कथन में गलती होने पर सुधार किया जा सकता है किन्तु तीन देश उपहार स्वरूप अपने-अपने मण्डप देने का विचार कर रहे हैं। जिनमें से एक के बारे में चर्चा चल रही है।

†**डा० रामा राव** : ऐसे महत्वपूर्ण देशों द्वारा दिये गये मण्डपों का सरकार क्या करने का विचार करती है ?

†**श्री करमरकर** : उनका उपयोग करना चाहती है ?

†**डा० रामा राव** : कैसे ?

†**श्री करमरकर** : प्रदर्शनियों के लिये। यदि सम्भव हो सके तो एक प्रकार की अर्द्ध-स्थायी प्रदर्शनी लगाने का और प्रदर्शनी भूमि को विशेष कर प्रदर्शनियों के लिये नियत कर देने और उन भवनों का प्रदर्शनी के लिये उपयोग करने का इरादा है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जो विदेशी पैविलियन (मण्डप) हमारे इंडस्ट्रीज फेयर में आये थे और उनमें से जो हमको गिफ्ट के तौर पर दिये गये हैं उनका मूल्य अनुमानतः कितना होगा और जो इंडस्ट्रीज फेयर में टिकट से कई लाख रुपया आय था क्या उसमें से भी भारत सरकार को पानी सीवेज आदि की सर्विस के लिये कुछ मिला है ?

श्री करमरकर : हमने यह जमीन साढ़े तीन लाख में किराये पर दी थी और हमने जो १५ लाख रुपया खर्च किया उसके बदले में हमको यही मिला है। और जो तीन बिल्डिंग्स हमको दी जाने वाली हैं उनके मूल्य का पता नहीं है। अगर माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो उसका उत्तर दे दिया जायेगा।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : क्या सरकार ने भारतीय उद्योग प्रदर्शनी में दिखायी गई वस्तुयें का इस दृष्टि से अध्ययन किया था कि कौन-कौन से देश द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक पूंजीगत वस्तुयें भारत को निर्यात कर सकते हैं ?

†**श्री करमरकर** : जी हां, हमने इसका काफी निरीक्षण किया था। वास्तव में ये केवल हमें शिक्षा देने के लिये नहीं अपितु सारी जनता को शिक्षा देने योग्य थीं। हमने भी देखा कि कुछ लाभदायक मशीनें भी वहां दिखायी गई थीं।

†**कर्नल जैदी** : क्या यह सच है कि यह औद्योगिक प्रदर्शनी विश्व में सबसे अधिक दिनों तक चली और क्या यह भी सच है कि विदेशी निर्माताओं के अधिकांश प्रतिनिधियों ने रोष प्रकट किया और प्रदर्शनी इतने दिनों तक चलने की आलोचना की थी कि औद्योगिक प्रदर्शनी इतने सप्ताहों तक चलना एक असाधारण चीज है ?

†**श्री करमरकर** : लोगों की तीव्र इच्छा होने के कारण हमने सभी मण्डपों से पूर्वानुसार चलते रहने का निवेदन किया था। प्रदर्शनी कुछ समय तक बढ़ जाने के लिये प्रकट किये गये रोष की बात मुझे नहीं मालूम है। मैं समझता हूं कि इसका काल बढ़ जाने के लिये बाद में वे प्रसन्न हुये थे।

उत्तर प्रदेश में भारी उद्योग

*११९५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **योजना** मंत्री १६ सितम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्यागों के स्थापित किये जाने को सम्मिलित करने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर क्या अब कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत योजनाओं के ब्योरे क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) कुछ योजनाओं के बारे में निर्णय हो चुका है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५७]**

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि केवल तीन उद्योगों के लिये अगली पंचवर्षीय योजना में स्थान दिया गया है जब कि राज्य सरकार ने करीब दस उद्योगों के बारे में अपनी मांगें रखी थीं, और क्या यह सत्य है कि पबलिक सैक्टर में कोई भी बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**श्री हाथी** : यह सच है कि राज्य सरकार ने लगभग ग्यारह योजनायें प्रस्तावित की हैं । उनमें से कुछ बड़ी योजनायें थी किन्तु योजना आयोग ने यह निर्णय किया है कि जहां तक बड़ी योजनाओं का सम्बन्ध है अर्थात् वे जिनके लिये अधिक प्रविधिक ज्ञान, और अधिक पूंजी आदि की आवश्यकता है, उनको केंद्र के लिये छोड़ देना चाहिये । राज्य के सरकारी क्षेत्र को वे योजनायें अपने हाथ में नहीं लेनी चाहियें जिनमें अधिक पूंजी, अधिक संख्या में विशेषज्ञों अथवा प्रविधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है । उन्हें छोटी योजनायें ही लेनी चाहिये । यह निर्णय किया है और इसी कारण कुछ योजनायें स्वीकार ही की नई हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, क्षेत्रफल और कच्चे माल की उपलब्धि आदि को देखते हुये वहां पर बहुत कम मात्रा में उद्योग धन्धों की स्वीकृति दी गयी है, इसलिये वहां की जनता में घनघोर असंतोष फैल रहा है, यहां तक कि विरोधी दल वालों ने भी विधान सभा में इस बात की मांग की है कि उत्तर प्रदेश के साथ न्याय नहीं किया गया है ? क्या प्लानिंग कमीशन इस पर पुनः विचार करने की सोच रहा है ?

†**श्री हाथी** : योजना आयोग ने इस पर विचार किया है । प्रस्तावित अनेक योजनाओं में से कुछ गैर-सरकारी क्षेत्र की थीं जिनमें राज्य सरकारें या तो भाग लेना चाहती थीं अथवा ऋण या सहायता आदि देना चाहती थीं । अब अनेक उद्योगों में यह देखा गया है कि गैर-सरकारी उद्योग को हिस्सा लेने के लिये विस्तृत क्षेत्र है और उन उद्योगों का विकास राज्यों में गैर-सरकारी क्षेत्र के द्वारा हो सकता है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट को यह बात मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्राइवेट उद्योग धन्धों का विकास करने के लिये, प्राइवेट सैक्टर का विकास करने के लिये एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नियुक्त की है और क्या उसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद प्लानिंग कमीशन इस बारे में भी विचार करेगा ताकि कुछ और उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जा सकें ?

†**श्री हाथी** : यह निश्चयपूर्वक बता सकना सम्भव नहीं है कि प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होगा और उसका निर्णय क्या होगा । किन्तु किन्हीं योजनाओं के लिये राज्य सरकार ने वादा कर लिया है, तो उन पर योजना आयोग विचार कर सकता है ।

†**श्री सी० डी० पांडे** : क्या सरकार को विदित है कि उत्तर प्रदेश में भारी विद्युत् उद्योग के लिये उपयुक्त साधन है और उसने सुझाव दिया था कि नैनीताल में केन्द्र बनाया जाये किन्तु सरकार जलवायु सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण उस सुझाव से सहमत नहीं हुई और बाद को उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश में भिन्न-भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है इस कारण इस कार्य के लिये कोई भी अन्य स्थान चुना जा सकता था ।

†**श्री हाथी** : जैसा कि मैं उल्लेख कर चुका हूँ, मुख्य कारण जलवायु नहीं हो सकती है किन्तु यह निर्णय कि वे बड़े-बड़े उद्योग जिनके लिये अधिक पूंजी, अधिक संख्या में विशेषज्ञों और अधिक प्रविधिक

---

†मूल अंग्रेजी में

ज्ञान की आवश्यकता होती है, केन्द्र के लिये छोड़ दिये जाने चाहियें। उदाहरणस्वरूप उर्वरक कारखाने के सम्बन्ध में.....

†**श्री सी० डी० पांडे** : मैं भारी विद्युत् सम्बन्धी उद्योग के बारे में कह रहा हूं।

†**श्री हाथी** : उदाहरण के लिये उत्तर प्रदेश में भी एक उर्वरक कारखाने का सुझाव दिया है किन्तु ये उद्योग केन्द्र के अधीन हैं और जहां कहीं सम्भव होगा केन्द्र ऐसे उद्योगों को अपने हाथ में लेगा।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या सारे भारत में भारी उद्योगों के बंटवारे के लिये कोई कसौटी निर्धारित की गई है, और यदि हां तो वह किस प्रकार की है और क्या उसका पालन उन मामलों में किया जाता है जब कि भारत के विभिन्न राज्यों को भारी उद्योग बांटे गये थे ?

†**श्री हाथी** : प्रश्न इन विभिन्न उद्योगों को राज्यवार बांटने का नहीं है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं यह प्रश्न केंद्र के पास बचे उद्योगों के बारे में है।

कोई भी उद्योग विशेष स्थापित करने में अनेक कारणों पर विचार करना पड़ता है। पहला तो कच्चे माल, विद्युत् और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में है। किसी उद्योग विशेष को किसी एक निश्चित स्थान पर स्थापित करने का निश्चय करने में इन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : औद्योगिक नीति संकल्प में कुछ उद्योगों को सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उपमंत्री ने कहा है कि किन्हीं कारणोवश वह कुछ उद्योगों को केन्द्र और राज्यों को बांट देना चाहते हैं। क्या इस विषय पर विस्तृत रूप से विचार किया जा चुका है अथवा उत्तर प्रदेश के बारे में एक तदर्थ निर्णय कर लिया है ?

†**श्री हाथी** : यह केवल उत्तर प्रदेश का अपवाद स्वरूप प्रश्न नहीं है। यह सभी राज्यों में लागू होता है।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : क्या इस विषय पर कोई संकल्प है।

†**श्री हाथी** : यह संकल्प नहीं है, वरन् योजना आयोग का निर्णय है।

प्रेस सूचना कार्यालय

†***११९६. श्री वेलायुधन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस सूचना कार्यालय की ऐरणाकुलम शाखा बन गई है;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है और उनके वेतन तथा पद क्या-क्या हैं; और

(ग) नियुक्ति से पूर्व कितने स्थानों को विज्ञापित करवाया गया था ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हां।

(ख) और (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या** ५८]

†**श्री वेलायुधन** : उच्च पद अर्थात् राजपत्रित पदों को पहले क्यों नहीं विज्ञापित करवाया गया था ?

†**श्री राज बहादुर** : माननीय सदस्य देखेंगे कि कर्मचारी अल्प-कालीन आधार पर कार्यालय खोलने के लिये गये हैं। वांछित सूचना संघ-लोक-सेवा आयोग को दी गई थी और उससे जून, १९५५ तक उम्मीदवारों के चुनाव में परामर्श देने के लिये कहा गया था। चूंकि उसने अब तक कोई चनाव नहीं किया

†मूल अंग्रेजी में

है और हमें कार्यालय खोलना था इसलिये हमने स्थानीय सामाचार पत्रों से सम्पर्क स्थापित किया और हमने इस प्रयोजना के लिये विभिन्न एजेंसियों से सम्पर्क स्थापित किया। उदाहरण के लिये हम ने कोजीकोदे, त्रिचूर, ऐरणाकुलम, कोट्टायम और त्रिवेन्द्रम के काम दिलाऊ दफ्तरों, मद्रास सरकार के सूचना निदेशालय, मलयालम के समाचार पत्रों और अन्य उम्मीदवारों से जिन्होंने सीधे आवेदन पत्र भेजे थे, सम्पर्क स्थापित किया था। अतः चुनाव करने के लिये हमारे पास बहुत से उम्मीदवार थे।

†**श्री वेलायुधन** : मेरा प्रश्न यह था कि राजपत्रित पदों के लिये संघ-लोक-सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन क्यों नहीं करवाया गया ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं अभी कह चुका हूँ कि इस मामले में हमें शीघ्रता करनी थी। इन पदों के विज्ञापन करने के सम्बन्ध में संघ लोक-सेवा आयोग को बताने के पश्चात् हमने छः मास तक प्रतीक्षा की थी। इसके अतिरिक्त, चुनाव करने में हमने सभी मलयालम के समाचार पत्रों से कहा था कि यदि उनकी दृष्टि में कोई उम्मीदवार हो तो हमें दें। वे भी समाचार पत्रों में प्रकाशित कर सकते थे।

†**श्री वेलायुधन** : क्या प्रेस सूचना कार्यालय की यह शाखा खोलने का प्रस्ताव पिछले दो वर्षों से विचाराधीन था ? क्या नियुक्ति के पश्चात् ही भवन लिये गये थे ?

†**श्री राज बहादुर** : एरणाकुलम में प्रेस सूचना कार्यालय की शाखा खोलने का निर्णय १९५० में ही कर लिया गया था। किन्तु उसके पश्चात् उपयुक्त स्थान प्राप्त करने में कठिनाई जान पड़ती थी और उसमें हमें सितम्बर, १९५५ में सफलता मिल सकी। यह कहना सही नहीं कि पदाधिकारियों की नियुक्ति पहले कर ली गई थी और उसके पश्चात् भवन प्राप्त किये गये थे। पदाधिकारियों की नियुक्ति दिसम्बर, १९५५ में की गई थी, जैसा कि विवरण में दिखाया गया है। सहायक सूचना पदाधिकारी की नियुक्ति १० दिसम्बर, १९५५ को की गई थी और सूचना असिस्टैंट की नियुक्ति १ दिसम्बर, १९५५ को की गई थी जब कि भवन सितम्बर, १९५५ में प्राप्त किये गये थे।

†**कुछ माननीय सदस्य** खड़े हो गये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुख्य प्रश्न का उत्तर समाप्त होते ही अनुपूरक प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर एक साथ खड़े हो सकते हैं। तत्पश्चात् मैं देखूंगा कि कौन-कौन से माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं और उसके पश्चात् अवसर दूंगा चार-पांच अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने के बाद यदि कोई माननीय सदस्य खड़े होने का निश्चय करता है तो उसे प्रश्न पूछने के लिये अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रलेखीय चलचित्र

†***१२०१. ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १९५५ में तैयार किये गये प्रलेखीय चलचित्रों की एक सूची सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**: विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५९]**

ठाकुर युगल किशोर सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि किस आधार पर और किस एजेंसी द्वारा यह डाक्युमेंटरी फिल्म्स तैयार किये जाते हैं ?

श्री राज बहादुर : जी हां, जहां तक कि विषय के निर्वाचन का सम्बन्ध है, इसमें जितने केन्द्रीय सरकार के भिन्न-भिन्न मंत्रालय हैं उनसे, राज्य सरकारों से, फिल्म ऐडवाइजरी बोर्ड है, फिल्म सेंसर बोर्ड, रीजनल आफिसेज और फील्ड पब्लिसिटी आफिसेज से सलाह ली जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

ठाकुर युगल किशोर सिंह : औसतन कितना खर्च एक डाक्युमेंटरी फिल्म तैयार करने पर पड़ता है ?

श्री राज बहादुर : जहां तक इसका सवाल है, यह फिल्म्स डिवीजन जो मिनिस्ट्री का है उसके अन्तर्गत ही उनके बजट की मंजूरी होती है और उसके अन्तर्गत ही उनको बनाया जाता है। अलग, अलग खर्चा इनका बताना अभी संभव नहीं है लेकिन कौस्ट एकाउंटिंग ब्रांच खुल गई है और उसने अपना काम शुरू कर दिया और वह उसका खर्चा भी निकाल सकेगी।

†**श्री एल० एम० मिश्र** : क्या ऐसा कोई प्रलेखीय चलचित्र तैयार किया गया है जिसमें यह दिखाया गया हो कि पहली पंचवर्षीय योजना के अधीन विभिन्न परियोजनाओं की कार्यान्विति के लिये जनता ने सरकार को इस प्रकार सहयोग दिया है ?

†**श्री राज बहादुर** : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, हमारी एक योजना है जो एकीकृत प्रचार योजना के नाम से प्रसिद्ध है, जिस के अन्दर, मैं समझता हूं, यह विशेष बात भी आ सकती है, और यह बात अवश्य ही संस्थाओं और विभागों के मन में होगी, जिनका मैं ने दूसरे अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में उल्लेख किया है।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : विवरण से पता चलता है कि मंत्रालय ने पर्यटक रुचि के स्थानों के बारे में कुछ प्रलेखीय चलचित्र तैयार किये गये हैं। दक्षिण भारत के--विशेषकर वहां के पर्वतीय स्थानों के पर्यटक रुचि के किसी स्थान को इन प्रलेखीय चलचित्रों के लिये क्यों नहीं चुना गया ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं प्रश्न को नहीं समझ सका।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : भारत के विशेषकर उत्तर भारत के पर्यटक महत्व के स्थानों के बारे में मंत्रालय ने कुछ प्रलेखीय चलचित्र तैयार किये हैं। कुमाऊं पहाड़ियों और दार्जलिंग आदि के बारे में प्रलेखीय चलचित्र तैयार किये गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य क्या पूछना चाहते हैं ?

†**श्री एन० एम० लिंगम** : दक्षिण भारत के किसी पर्वतीय स्थान, का प्रलेखीय चित्र तैयार नहीं किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस सब प्रस्तावना की क्या आवश्यकता है ? माननीय सदस्य इस प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं : "कि पर्वतीय स्थानों के बारे में कोई प्रलेखीय चलचित्र क्यों नहीं बनाया गया ?"

†**श्री एन० एम० लिंगम** : कुछ पर्वतीय स्थानों को, विशेषकर हिमालय की पहाड़ियों के पर्वतीय स्थानों के बारे में प्रलेखीय चलचित्र तैयार हुये हैं।

अध्यक्ष महोदय : तब ठीक है। दक्षिण भारत के किसी पर्वतीय स्थान के बारे में प्रलेखीय चलचित्र क्यों नहीं बनाये गये ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं इतना कह सकता हूं कि माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसे हम ध्यान में रखेंगे। किन्तु मैं यह भी कहूंगा कि हमें इस बारे में विभिन्न संस्थायें मंत्रणा देती है और उनके सुझावों के अनुसार स्थान चुने जाते हैं। यदि दक्षिण भारत के किसी रमणीय स्थान सम्बन्धी प्रलेखीय चलचित्र तैयार किये जाने की न्यूनता रह गई है, तो भविष्य में उसका भी ध्यान रक्खा जायगा।

भिलाई इस्पात परियोजना

†*१२०२. **श्री कामत** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भिलाई इस्पात संयंत्र में कितने विदेशी काम करते हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन कर्मचरियों की प्रत्येक श्रेणी को क्या वेतन दिया जाता है;

(ग) क्या एक ही श्रेणी के भारतीय कर्मचारियों और विदेशी कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन के बारे में कोई भेदभाव किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस भेदभाव का क्या कारण है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) १७ (चीफ इंजीनियर १, प्रमुख विशेषज्ञ ५, विशेषज्ञ ६ और द्विभाषिये ५)।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६०**]

(ग) तथा (घ). भेदभाव का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भारतीय कर्मचारी विदेशी कर्मचारियों के समान योग्यता वाला नहीं है।

†**श्री कामत** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण के बारे में *** .....क्या मंत्री महोदय सभा को यह बतायेंगे कि इस श्रेणी के अधिकारियों को उनके अपने देश में, क्या अर्थात् रूस में, इसके समान कार्य के लिये क्या वेतन मिलता है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : ***मुझे कोई ज्ञान नहीं है।

* * * * *

†**सेठ गोविंद दास** : ये १७ विदेशी कितने समय के लिये रखे जायेंगे और कब तक भारतीय लोग उनका स्थान ले सकेंगे ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : साधारणतया, विदेशी शिल्पिक कर्मचारी पूरा कार्य आरम्भ होने के एक वर्ष पश्चात तक रहेंगे।

†**श्री पी० सी० बोस** : क्या सरकार ने जमशेदपुर और बर्नपुर में प्रशिक्षित कोई शिल्पिक कर्मचारी नियुक्त किया है, और यदि हां, तो इन विदेशी विशेषज्ञों की योग्यताओं के मुकाबले में उनकी योग्यता कैसी है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : सरकार ने शिल्पिक कर्मचारी नियुक्त अवश्य किये हैं किन्तु वे उच्च श्रेणी के कर्मचारी नहीं हैं। रूसी कर्मचारियों और भारतीय कर्मचारियों की योग्यताओं की समानता की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा उपकरण नहीं है जिसके द्वारा हम उनके ज्ञान को आंक सकें।

†**श्री किरोलिकर** : क्या इन विदेशियों को किसी प्रकार का आवास दिया जाता है और यदि हां, तो क्या उस आवास के लिये उनसे किराया लिया जाता है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : इस समय नहीं। मुझे मालूम नहीं कि भविष्य में क्या होगा जब हम उन्हें उचित आवास स्थान देंगे। हमने सोवियत सरकार के साथ जो करार किया है उसके अनुसार इस मामले पर विचार करना होगा। किन्तु इस समय हम उन्हें रहने का स्थान दे रहे हैं।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन प्लेन्ट्स (संयंत्र) के लिये जो लोकल स्टाक लिया जा रहा है, इंजीनियरिंग और अदर (अन्य) टैक्निकल स्टाफ (दूसरा शिल्पिक भण्डार) वह किस स्टेज (अवस्था) पर है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : जितनी गति से मैं चाहता हूं उतनी गति से नहीं, किन्तु तो भी संतोषजनक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

***अध्यक्ष महोदय के आदेश से निकाल दिया गया।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : ये वेतन किस प्रकार नियत किये गये हैं, क्या सरकार के साथ बातचीत करके या इनको भेजने वाली संस्था के साथ बातचीत करके अथवा संबद्ध व्यक्तियों के साथ बातचीत करके ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : नहीं, हमारा केवल सोवियत सरकार से सम्बन्ध है। भारत सरकार और सोवियत सरकार इन विदेशी शिल्पिकों को दिये जाने वाले वेतन और पारिश्रमिक सम्बन्धी मामले का निर्णय करती है।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या ये वेतन आय कर से मुक्त हैं ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : जी, हां।

†**श्री कामत** : क्या दूसरी इस्पात परियोजना, रूरकेला परियोजना में काम करने वाले विदेशी राष्ट्रजनों को उतना ही वेतन दिया जाता है जितना सोवियत शिल्पिकों और विशेषज्ञों को दिया जाता है, अथवा क्या जर्मनी के शिल्पिकों को रूसी शिल्पिकों की अपेक्षा अधिक या कम वेतन मिलता है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : जहां तक मुझे मालूम है, रूरकेला में हमने केवल एक शिल्पिक रखा है, हो सकता है एक या दो और हों। किन्तु हमारे पास एक टैक्नीकल इंजीनियर है, जिसका वेतन, मैं समझता हूं इसके बराबर है।

मुंज बुनने के उद्योग

†*१२०५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में गांवों में मुंज बुनने के उद्योग में बहुत से लोग रखे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस कुटीर उद्योग के रूप में इस उद्योग का संगठन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या सरकार उत्पादन का गुण प्रकार बढ़ाने के बारे में गवेषणा करवा रही है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) सरकार के पास ठीक जानकारी नहीं है। तथापि यह समझा जाता है कि पंजाब में मुंज बुनने के उद्योग में अधिक लोग नहीं हैं।

(ख) पंजाब सरकार ने ऐसी किसी योजना की सिफारिश नहीं की।

(ग) पांवपोछों और दरियों को बुनने के उपयुक्त धागा बनाने के लिये हाल ही में एक चर्खा तैयार किया गया है, उसका उपयोग करने के प्रयोग किये जा रहे हैं।

†**सरदार इकबाल सिंह** : माननीय मंत्री को यह बात कहां से मालूम हुई है कि पंजाब में मुंज बुनने के उद्योग में अधिक लोग काम नहीं करते ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : पंजाब सरकार के उद्योग विभाग की यह सूचना है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सच है कि राज्य कांग्रेस के खादी बोर्ड ने बहुत समय पहले पंजाब सरकार को इस उद्योग के विकास और गवेषणा के बारे में सिफारिश की थी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जैसा मैंने कहा, हमारे पास पंजाब सरकार से ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है। उसने हमें बताया है कि इस उद्योग में अधिक लोग नहीं लगे हैं। अनुमानतः राज्य सरकार इस बारे हमको कोई योजना नहीं भेजना चाहती।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह पंजाब के किसानों का, विशेष कर गांवों या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों का सहायक उद्योग है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : मुंज उद्योग न्यूनाधिक रूप में समस्त देश में फैला हुआ है और इसमें रस्से चटाइयां और पायदान बनाई जाती हैं। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है यह केवल कुछ वित्तीय सहायता देने का प्रश्न है, यदि इसकी आवश्यकता हो। शायद पंजाब सरकार केन्द्रीय सरकार से धन मांगने की कोई आवश्यकता नहीं समझती।

†**अध्यक्ष महोदय** : राज्य विषयों सम्बन्धी प्रश्न, यथासंभव, राज्यों में पूछे जाने चाहियें। केन्द्रीय सरकार केवल सूचना प्राप्त कर सकती है, इससे अधिक सूचना उसके पास नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों को ऐसे प्रांतीय मामलों को उठाने के लिये लिख दिया करें। तब वे यहां इस बात को उठा सकते हैं कि केन्द्र द्वारा उसके लिये कितनी सहायता दी जा सकती है। इससे समय की बचत के साथ राज्य सरकार, राज्य विधान सभा के सदस्यों और इस सभा के सदस्यों के बीच सम्पर्क भी स्थापित होगा। हम यहां अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं बैठे हैं, बल्कि मौलिक न्यायालय के रूप में हैं।

जापान में भारतीय आस्तियां

†*१२०६. **श्री गिडवानी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और जापान सरकार के बीच, हाल में ही, दोनों देशों के राष्ट्रजनों की सम्पत्तियों सम्बन्धी आस्तियों के निबटारे के प्रश्न के बारे में, जो गत महायुद्ध में दोनों सरकारों ने अपने-अपने अधिकार में ले ली थीं, कोई पत्र-व्यवहार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो मामले के निपटारे की कब तक संभावना है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां।

(ख) जापान सरकार के साथ इससे शीघ्र निबटाने के बारे में पत्र-व्यवहार हो रहा है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य को इस मामले के तथ्य पूर्णतया मालूम हैं इसलिये वह अनुपूरक प्रश्न पूछना उचित नहीं समझेंगे।

भारतीय कारें

†*१२०७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में बनाई गई कारों के निर्यात की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो १९५५-५६ में कितनी ऐसी कारों का निर्यात किया गया था;

(ग) किन देशों को उनका निर्यात किया गया था; और

(घ) क्या १९५६-५७ के लिये इन कारों का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (घ). भारत में बनाई गई कारों के निर्यात की खुली अनुमति दी जाती है। कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।

(ख) पांच।

(ग) श्रीलंका।

डा० राम सुभग सिंह : जिन देशों में यह गाड़ियां भेजी गई हैं वहां पर क्या उनको लोकप्रिय माना जाता है और वह अच्छी साबित हुई हैं या नहीं ?

श्री करमरकर : जो पांच गाड़ियां भेजी गई हैं वह तो हमारे डिप्लोमैटिक कोर के आदमियों ने ही ले लीं, और उनकी कोई नापसन्दगी नहीं आई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि भारत में इन गाड़ियों का मूल्य क्या है और निर्यात करने पर जिन देशों में यह गाड़ियां जाती हैं वहां उनका मूल्य क्या है, और मूल्यों में जो अन्तर है उसका कारण क्या है ?

श्री करमरकर : बनाई गई और जोड़ी गई तथा निर्यात की गई कारों के सी० के० डी० पुर्जों के बारे में एक्स्पोर्ट को ठोस करने के लिये हमने आयात कर का ७/८ तक रिबेट देने का निश्चय किया है। लेकिन अभी इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मेरा प्रश्न था कि कितने दामों में बिकती हैं, उसका उत्तर नहीं मिला।

श्री करमरकर : उत्तर इसलिये नहीं मिला कि मुझे नोटिस चाहिये।

†**श्री थानू पिल्ले** : लंका को जो कार भेजी गई है उसका मेक क्या है और यह कितने मूल्यों में बेची गई है ?

†**श्री करमरकर** : मैं समझता हूं कि 'हिन्दुस्तान' मेक की कार निर्यात की गई है। विदेशों में उपभोक्ता को इसका ठीक कितना मूल्य देना पड़ेगा, इसके लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : जब आनेवाली गाड़ियों पर इम्पोर्ट चार्जेज लगाये जाते हैं, यहां तक कि ४,००० रु० की गाड़ी पर ६,००० रु० तक लगाये जाते हैं, तो जो गाड़ियां यहां से बाहर भेजी जाती हैं उन पर आप एक्स्पोर्ट ड्यूटी क्यों नहीं लगाते हैं ?

श्री करमरकर : एक्सपोर्ट ड्यूटी न लगाने पर जो गाड़ी वहां पर बिकती नहीं है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने पर उसके बिकने की क्या आशा की जा सकती है ?

†**डा० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या इनमें से कोई कार न बिकने के कारण वापिस आ गई है ?

†**श्री करमरकर** : जी, नहीं। वे बेची जा चुकी हैं और उनके वापिस होने का कोई अवसर नहीं आया। मुझे आशा है वे उनको वापिस नहीं करेंगे।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या निर्यात की गई कारों के अच्छी तरह न चलने के बारे में कोई शिकायत आई है ?

†**श्री करमरकर** : आयात की गई कारों के बारे में नहीं। कई बार मुझे यहां उपयोग में लाई जानेवाली कारों के बारे में शिकायत मिली है ?

†**श्री पुन्नूस** : इस अवधि में आयात की गई और निर्यात की गई कारों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

†**श्री करमरकर** : उनके मूल्य ?

†**श्री पुन्नूस** : कितनी आयात की गई थीं और उनके मूल्य क्या थे ?

†**श्री करमरकर** : कारों का आयात करना हमारी नीति नहीं है, हम केवल पुर्जे मंगवाते हैं। दूसरे भाग के बारे में मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : आयात किये गये पुर्जों के मूल्य में कमी होने के बावजूद भी इन जोड़ी गई कारों के मूल्य में कमी क्यों नहीं हुई है ?

†**श्री करमरकर** : उत्पादन लागत अधिक है और उत्पादन लागत के अनुसार ही कारों का मूल्य नियत किया जाता है।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : मैं जानना चाहता हूं कि मूल्य अधिक क्यों है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर** : हम जो मूल्य चाहते हैं उससे मूल्य अधिक है ।

पटसन जांच आयोग

†***१२०९. श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पटसन जांच आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दिशा में क्या कार्रवाई की गई है ।

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६१]**

†**श्री एल० एन० मिश्र** : मैं माननीय मंत्री का ध्यान प्रथम सूची की सिफारिश १ के उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं कि कच्चे पटसन के निकास की समूची स्थिति साधारणतया संतोषजनक रही है । और मैं उनका ध्यान रेलवे मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं कि यातायात की कठिनाइयां होने के कारण कच्चा पटसन उत्तर बिहार से नहीं भेजा जा सका । यदि यह स्थिति थी, तो इस प्रतिवेदन का क्या आधार है और क्या सरकार इस मामले में अपने मत में संशोधन करने को तैयार है ?

†**श्री करमरकर** : हमने टिप्पण में कहा है कि कच्चे पटसन के निकास की स्थिति हाल के वर्षों में साधारणतया संतोषजनक रही है । संभवत: रेलवे मंत्री का वक्तव्य विशिष्ट समय या विशिष्ट स्थिति के कारण हो । मुझे उसका पता नहीं है । किन्तु यदि माननीय सदस्य रेलवे मंत्री को या हम को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हम उस पर विचार करेंगे ।

†**श्री एल० एन० मिश्र** : सिफारिश ९ के बारे में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या पटसन के इस वायदे के सौदों को प्रोत्साहन देना पटसन का एक प्रकार का फडका बाजार बनाना नहीं होगा, यदि हां तो क्या सरकार इस बात को प्रोत्साहित करना चाहती है या इसको निरुत्साहित करना ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : मामला अब विचाराधीन है और वायदा बाजार आयोग इस पर विचार कर रहा है । यदि वायदा व्यापार अच्छी तरह चलाया जाय, तथा सट्टेबाजी न हो तो मैं समझता हूं, कि सरकार इसको प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि इससे पटसन-उत्पादित करने वालों को एक नियत मूल्य मिल जाता है ।

†**श्री एल० एन० मिश्र** : सूची २, सिफारिश ४ और ५ में विनियमित विपणन केन्द्रों और स्टैण्डर्ड बाटों आदि का उपबंध दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जबकि उद्योग अथवा निर्माताओं को सहायता पहुंचाने वाली सिफारिशें तो प्राय: क्रियान्वित कर दी गई हैं । उत्पादको को लाभ पहुंचाने वाली सिफारिशें अभी भी क्रियान्वित क्यों नहीं की गई हैं ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : द्वितीय भाग का जहां तक सम्बन्ध है, यह मामले राज्य सरकारों से सम्बन्धित हैं और जिस सीमा तक हम इससे सम्बन्धित हैं केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में हमने ब्योरा प्रस्तुत कर दिया है । मैं वर्तमान में इससे अधिक नहीं बता सकता ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या सरकार जूट उत्पादकों को उचित कीमतें दिलाने की दृष्टि से गोदामों की स्थापना का विचार कर रही है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : सहसा प्रस्तुत किये जाने वाले सुझाव पर सरकार सहसा उत्तर नहीं दे सकती है ।

भरती आयोग, पाण्डिचेरी

†***१२१०. श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **प्रधान मंत्री** ५ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सेवा के विविध संवर्गों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़ी

---

†मूल अंग्रेजी में

जाति के लोगों के स्थान संरक्षण के लिये पांडिचेरी के भरती आयोग को अनुदेश दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) और (ख). पाण्डिचेरी राज्य में अभी कोई जातियां अथवा आदिम जातियां अनुसूचित जातियां अथवा अनुसूचित आदिम जातियां घोषित नहीं की गई हैं और न उनकी भरती के बारे में पाण्डिचेरी राज्य को अनुदेश दिये गये हैं।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या वहां कोई ऐसा शोषित वर्ग संस्थायें हैं जो प्रतिनिधित्व की मांग कर रही हैं और यदि हां, तो इनके प्रतिनिधित्व के लिये क्या किया गया है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : मैं माननीय सदस्य को यह स्मरण करा दूं कि अभी इन प्रदेशों का विधि अनुसार हस्तान्तरण नहीं हुआ है, और फ्रांसीसी सरकार से समझौते के अनुसार विधि अनुसार हस्तान्तरण होने तक संवैधानिक अथवा प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किये जा सकते हैं।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : विधि अनुसार हस्तान्तरण की बात छोड़कर, मैं यह जानना चाहता हूं कि दलित वर्ग और अनुसूचित आदिम जातियों सहित सभी वर्गों के व्यक्तियों को नई भर्ती में नियुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के विरुद्ध कोई प्रतिबन्ध नहीं है। संभवतः माननीय सदस्य अनुसूचित और अनुसूचित आदिम जाती के व्यक्तियों के प्रति विशिष्ट व्यवहार की बात कह रहे हैं। जैसा मैंने कहा था विधि अनुसार हस्तान्तरण होते ही वहां का प्रशासन अन्य स्थानों की भांति हो जायेगा।

†**श्रीमती खोंगमैन** : क्या सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को उतनी ही सुविधायें प्रदान कर रही है जैसी हमारे संविधान में कल्पना की गई है और जैसा भारत में अन्यत्र किया गया है ?

†**श्री आनिल के० चन्दा** : जो कुछ अभी कहा गया है मैं उसे ही फिर दोहरा देता हूं अर्थात् विधि अनुसार हस्तान्तरण होने तक हम प्रशासनिक अथवा संवैधानिक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।

†**श्री तिमय्या** : क्या मंत्रालय को कम से कम यह मालूम है कि वहां पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं और यदि हां, तो क्या वह उनकी आबादी की पूरी संख्या बता सकते हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे विश्वास है कि अन्य राज्यों की भांति पाण्डिचेरी में भी अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जादियां हैं किन्तु मेरे पास उनकी संख्या नहीं है। मैंने बताया था कि उनकी नियुक्ति के लिये प्रतिबंध नहीं है लेकिन अभी तक विशिष्ट व्यवहार नहीं किया जाता है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : प्रधान मंत्री के इस कथन को ध्यान में रखते हुये कि जब फ्रांस के विदेश मंत्री एम० पिनै यहां थे तब उनके साथ विधि अनुसार हस्तान्तरण के प्रश्न पर चर्चा की गई थी क्या सरकार इस स्थिति में है कि वह विधि अनुसार हस्तान्तरण का अनुमानित समय बताया जा सके।

†**श्री अनिल के चन्दा** : सन्धि के मसविदे के सम्बन्ध में बातचीत प्रायः समाप्त हो रही है और मैं आशा करता हूं कि उसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायगा।

अल्यूमीनियम फैक्टरी

†*१२११. **श्री संगण्णा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हीराकुड बांध योजना में दस हजार टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाली अल्यूमीनियम फैक्टरी की स्थापना का निर्णय किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या भारतीय अल्यूमीनियम समवाय भारतीय और कनाडियन उद्योगों का संयुक्त प्रयत्न है और उसे संयन्त्र स्थापित करने की अनुमति दी गई है;

(ग) क्या प्रस्तावित संयन्त्र को कार्य आरम्भ करने के लिये हीराकुड योजना से २० हजार किलोवाट विद्युत दी जायगी;

(घ) संयन्त्र द्वारा उत्पादन आरम्भ करते समय न्यूनतम विद्युत् शक्ति कितनी चाहिये; और

(ङ) संयन्त्र कब तक उत्पादन आरम्भ करेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) और (घ). अनुमान है कि संयन्त्र को २५,००० किलोवाट न्यूनतम शक्ति चाहियें । यह शक्ति हीराकुड विद्युत् योजना से प्राप्त करने का विचार है ।

(ङ) १९५७ के मध्य के आस-पास जब कि अल्यूमीनियम उत्पादन के लिये विद्युत् उपलब्ध हो जाने की संभावना है यह फैक्टरी उत्पादन आरम्भ करेगी ।

†**श्री संगण्णा** : इसमें भारतीय सार्थ और विदेशी सार्थ की पूंजी का क्या अनुमान है ।

†**श्री कानूनगो** : हीराकुड प्रदेश में संयन्त्र स्थापित करने वाला सार्थ एक पुराना और प्रतिष्ठित सार्थ है । जहां तक हमारी जानकारी है इसमें लगभग ६० और ४० का अनुपात है ।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : सरकार को हीराकुड में ऐसी कौन सी विशेषतायें नजर आईं कि उन्होंने वहां फैक्टरी बनाने का निर्णय किया और यदि विद्युत् उपलब्धि ही इसका कारण हैं तो सरकार भाखड़ा-नंगल में इस प्रकार की फैक्टरी की स्थापना पर विचार करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है । हीराकुड, भाखड़ा, तुंगभद्रा सब अलग-अलग हैं ।

†**श्री जागड़े** : क्या सरकार कोरबा में अल्यूमीनियम फैक्टरी की स्थापना का विचार रखती है तथा यह कब स्थापित की जायेगी ?

†**श्री कानूनगो** : इस आशय का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा**: द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी अल्यूमीनियम फैक्टरियां खोली जा रही हैं ?

†**श्री कानूनगो** : हमें ज्ञात नहीं है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि विन्ध्य प्रदेश में बाक्साइड की बहुत बड़ी खानें हैं जिससे कि अल्यूमीनियम बनता है ? क्या मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है कि जहां बाक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है वहां पर भी ऐसे कारखाने खोले जायें ।

†**श्री कानूनगो** : हिन्दुस्तान में बहुत जगह पर बाक्साइड मिलता है लेकिन कुछ जगहों पर कम दाम में मिलता है ।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : ऐसा प्रतीत होता है कि कोई गैर-सरकारी सार्थ किसी विदेशी सार्थ के सहयोग से इस फैक्टरी की स्थापना कर रही है । क्या अल्यूमीनियम सरकारी क्षेत्र में नहीं है ।

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : ऐसा हो सकता है किन्तु मेरे विचार में अभी तक नहीं है । किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि विद्यमान सार्थ कार्य नहीं कर सकती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैसूर में रेशम की छीजन

†*१२१२. **श्री मादिया गौडा :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष कितनी मैसूर रेशम छीजन का उत्पादन होता है;

(ख) मैसूर कताई रेशम फैक्टरी उसमें से कितने काम में लाती है;

(ग) शेष का उपयोग किस प्रकार किया जाता है; और

(घ) क्या सरकार कताई सम्बन्धी रेशम फैक्टरी का प्रसार करने का विचार रखती है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :** (क) लगभग ७ लाख पौंड ।

(ख) यद्यपि मैसूर स्पन सिल्क मिल्स लिमिटेड चन्नापटन में ८ लाख पौंड रेशम की छीजन का प्रतिवर्ष उपयोग में लेने की क्षमता है किन्तु वर्तगान में यह केवल ३,५७,००० पौंड है ।

(ग) अतिरिक्त परिमाण के निर्यात की अनुमति दे दी जाती है ।

(घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री एन० राचय्या :** क्या मैसूर सरकार ने चन्नापटना में रेशम उद्योग के विकास के लिये इस फैक्टरी को वित्तीय साहतया की मंजूरी के लिये कोई अभ्यावेदन अथवा सिफारिशें भेजी हैं ?

†**श्री के० सी० रेड्डी :** मुझे किसी ऐसे प्रस्ताव का स्मरण नहीं है किन्तु मैं इस पर ध्यान दूंगा ।

†**श्री मादिया गॉडा :** भारत में अन्य किन-किन भागों में रेशम की छीजन का उत्पादन होता है ? क्या यह सच है कि सम्पूर्ण भारत में कती हुई रेशम के उत्पादन की चन्नापटना में ही केवल एक फैक्टरी है ?

†**श्री के० सी० रेड्डी :** हमारे पास चन्नापटना में ही केवल एक फैक्टरी है । मैसूर राज्य के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में भी रेशम की छीजन उपलब्ध है ।

†**श्री मादिया गौडा :** इस बात को दृष्टिगत करते हुए कि वृद्ध मात्रा में उपयोगी सामान बिना किसी काम में लिये नष्ट कर दिया जाता है क्या सरकार रेशम की छीजन के उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है ?

†**श्री के० सी० रेड्डी :** यह व्यापक प्रश्न है तथा वर्तमान स्थिति में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** दूसरा प्रश्न ।

†**श्री तिम्मय्या :** मैं भी प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं । किन्तु अपवाद रूप में ।

†**श्री तिम्मय्या :** क्या मैसूर राज्य में रेशम कातने की कोई ऐसी फैक्टरी है जो बन्द कर दी गई थी तथा क्या सरकार के पास उसे चालू करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री के० सी० रेड्डी :** मैसूर राज्य में भूतकाल में किन्हीं कारणों से फैक्टरी ने काम बन्द कर दिया होगा । मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि जहां तक मुझे मालूम है सरकार कते हुए रेशम की फैक्टरी की प्रबन्ध व्यवस्था लेने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

चाय का निर्यात

†*१२१३. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाडक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत द्वारा १९५५-५६ में निर्यात की गई चाय की मात्रा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या विदेशों में भारतीय चाय की मांग संतोषजनक है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) अप्रैल-जनवरी १९५५-५६ में उत्तर भारत और दक्षिण भारत से क्रमशः २५,४२,५६,८२० और ६,०४,२३,९७३ पौंड चाय का निर्यात किया गया था ।

(ख) जी हां ।

†**ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या सरकार पंजाब के कांगड़ा जिले और जम्मू और काश्मीर राज्य में चाय की खेती के क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार करेगी ?

†**श्री करमरकर** : कांगड़ा और जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : क्या यह सच है कि जहाज सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में चाय कम भेजी जाती है ? मैं जानता हूं कि श्रीलंका की चाय आस्ट्रेलिया शीघ्र पहुंचती है जब कि हमारी चाय के पहुंचने में प्रायः तीन महीने लग जाते हैं । इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री करमरकर** : मैं किसी भी स्थान पर जाने के लिये जहाज सम्बन्धी कठिनाई से अवगत नहीं हूं ।

†**श्रीमती खोंगमेन** : माननीय मंत्री ने चाय की जिस मात्रा का अभी उल्लेख किया है क्या उसमें भारत के पूर्वी भाग अर्थात् आसाम राज्य का चाय का निर्यात भी सम्मिलित है ?

†**श्री करमरकर** : मैंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों के लिये कहा था और स्वभवतः आसाम उत्तर भारत में सम्मिलित है ।

†**श्री वेलायुधन** : मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय चाय प्रसार बोर्ड द्वारा विदेशों में प्रोपैगेण्डा की क्या अवस्था है तथा क्या अन्य देशों में हमारी चाय को अधिक मुनाफे पर बेचने के लिये कुछ किया जा सकता है क्योंकि श्रीलंका, मलाया और दूसरे देशों से इस दिशा में तीव्र स्पर्द्धा है ?

†**श्री करमरकर** : विदेशों में प्रोपैगेण्डा के लिये चाय पैदा करने वाले अन्य देशों के साथ सहयोग सब से उत्तम मार्ग है । श्रीलंका ने और हमने एक योजना बनाई है जिसके अनुसार चाय के मामले में हम एक दूसरे की स्पर्द्धा नहीं करते हैं और इससे विश्व में चाय की खपत अनिवार्य रूप में बढ़ेगी ।

†**श्री वेलायुधन** : प्रोपैगेण्डा की क्या दशा है ? वह किस प्रकार चल रहा है ?

†**श्री करमरकर** : यह भली भांति किया जा रहा है ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या १९५५-५६ के उत्तरवर्ती भाग में भारतीय चाय की कीमतों में कुछ गिरावट आ गई थी ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : चाय की कीमत में गिरावट आ गई थी ।

†**श्री पुन्नूस** : इसके कारण क्या हैं ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : इसके कई कारण हैं आंशिक रूप में अधिक उत्पादन और ब्रिटेन में ऋण-निरुत्साहीकरण । संभवतः इसका एक कारण यह भी था कि हमने पहले की भांति चाय ब्रिटेन में न भेजकर भारत में ही उसकी अधिकांश मात्रा की नीलामी का अनुरोध किया ।

†**श्री हेम राज** : क्या यह सच है कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अधीन चाय में रंग न देने के परिणामस्वरूप अफगानिस्तान में भारत की हरी चाय का बाजार कम हो रहा है ? इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर** : अफगानिस्तान में निर्यात की कमी के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये । दूसरे प्रश्न के बारे में, चाय में मिलावाट रोकने के लिये कुछ नियम बनाये गये थे और हमारा विचार है कि हरी चाय के सम्बन्ध में कुछ कठिनाई है । जैसा मैंने कुछ समय पहले इस सभा में कहा था हमने पंजाब सरकार को इस मामले में कानूनी कार्यवाही करने से मना करने की सलाह दी थी । हमारी आशा है कि यह हल हो जायेगी ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या भारत अन्तर्राष्ट्रीय चाय प्रसार बोर्ड का सदस्य है, क्या भारतीय चाय के प्रोपैगेण्डा के लिये वह कुछ कर सका है अथवा क्या वह विदेशों में भारतीय चाय की खपत के मार्ग में बाधा है ? अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देशों में कौन सा संगठन है ?

†**श्री करमरकर** : मैं अपना पहले वाला उत्तर दोहरा दूं । हमने इस विषय पर खूब विचार किया है और हमारा विचार है कि विदेशी बाजारों में भारतीय चाय की संवृद्धि का सर्वोत्तम मार्ग अन्य चाय-उत्पादक क्षेत्रों अथवा देशों से सहयोग है । फिर हमारी यह आदत नहीं है और न यह उचित अथवा व्यावहारिक है कि सबको छोड़कर केवल भारतीय चाय के बारे में ही कहते फिरें । समस्त चाय उत्पादक देश एक संगठन उदाहरणार्थ अमेरिका में एकत्रित हो गये हैं और हमारा विचार है कि भारतीय चाय की हित संवृद्धि के लिये यही सर्वोत्तम उपाय है ।

वनस्पति घी और तिलहन

†*१२१४. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों से वनस्पति घी और तिलहन के मल्य बराबर बढ़ रहे हैं; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) मूल्य बढ़ने का कारण गत वर्ष की अपेक्षा १९५५-५६ के दौरान में मूंगफली का कम उत्पादन है । फसल बोते समय सौराष्ट्र और गुजरात में प्रतिकूल परिस्थितियों और गत दिसम्बर में दक्षिण भारत में जो तूफान आया था उसके कारण मूंगफली तथा अन्य फसलों को जो हानि पहुंची थी उस के कारण उत्पादन कम हुआ था । उत्पादन शुल्क लगाने के फलस्वरूप भी मूल्य बढ़ गया है ।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या कारण है कि ग्रामोद्योग बोर्ड ने तेलों का वही मूल्य रख छोड़ा है जो कुछ महीनों पहले था ?

†**श्री करमरकर** : मैं समझता हूं कि वे किसी सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं जिसका पालन करना साधारण व्यवसायी के लिये आवश्यक नहीं है । साधारण व्यवसायी अन्य बहुत सी बातों पर भी निर्भर रहता है । वह चाहता है कि उसे अच्छा मूल्य तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुयें मिलें । जहां तक मैं जानता हूं कि ग्रामोद्योग बोर्ड का उत्पादन व्यय लेखांकन अपना अलग होता है और उचित मूल्य पर ही उस तेल को बेचते हैं ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही नहीं है कि वेजीटेबल आयल (वनस्पति घी) की कीमत इसलिये भी बढ़ रही है कि वह शुद्ध घी के साथ खूब मिलाया जाता है और उस रूप में बहुत कम बिकता है और क्या इस हालत में उसका जमाया जाना बंद करने का या उसको रंग देने का कोई प्रयत्न हो रहा है ?

श्री करमरकर : इस विषय में बार-बार सभा में प्रस्ताव आ चुका है और उस पर वाद-विवाद भी हो चुका है और उसमें माननीय सदस्य ने भी हिस्सा लिया है और अगर वह रंग देने के बारे

†मूल अंग्रेजी में

में फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री (खाद्य और कृषि मंत्रालय) से पूछें तो शायद उन्हें कुछ पता लग सके कि वह मिनिस्ट्री (मंत्रालय) वेजीटेबल आयल (वनस्पति घी) में मिलाने के लिये कोई उपयुक्त रंग तलाश कर सकी है कि नहीं।

†**श्रीमती जयश्री** : क्या बहुत अधिक मात्रा में तेल का निर्यात किया जाता है ?

†**श्री करमरकर** : तिलहन का अधिक मात्रा में निर्यात नहीं किया जाता। कुछ सीमित अंशों में चुनी हुई मूंगफली की कुछ किस्मों, तथा सरसों और नाइजर के बीजों को छोड़कर नियंत्रित किस्म के अन्य दूसरे बीजों का निर्यात रोका जा रहा है। अन्तर्देशीय आवश्यकता, और उत्पादन आदि को देखते हुए तेल के निर्यात के बारे में समय-समय पर नीति निश्चित की जाती है। इसलिये इस सम्बन्धी नीति समय-समय पर बदलती रहती है।

दामोदर घाटी परियोजना में श्रमिकों का वेतन

†*१२१७. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी परियोजना की पंचेट परियोजना में स्त्री मजदूरों को पुरुषों के बराबर काम करने पर भी वेतन कम दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो वेतन स्तरों में यह अन्तर क्यों रखा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या स्त्री और पुरुशों के वेतन में यह अन्तर केवल दामोदर घाटी परियोजना के पंचेट पहाड़ी परियोजना में ही अथवा अन्य परियोजनाओं में भी यह भेद रखा जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने 'नहीं' में उत्तर दिया है। माननीय सदस्य अब भी यह मान रहे हैं कि वहां अन्तर है।

†**ठाकुर युगल किशोर सिंह** : पुरुष श्रमिक तथा स्त्री श्रमिक को अलग-अलग कितना वेतन दिया जाता है ?

†**श्री हाथी** : कोई अन्तर नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : पुरुष श्रमिक को जो कुछ दिया जाता है वही स्त्री श्रमिक को भी दिया जाता है। और प्रश्न पूछने की मैं आज्ञा नहीं दूंगा। यदि वह बताना चाहते हैं कि पुरुष और स्त्री श्रमिकों में अन्तर है तो मैं कहूंगा कि उनमें कोई अन्तर नहीं है। अब वह फिर पूछ रहे हैं कि क्या वेतन दिया जाता है ?

†**ठाकुर युगल किशोर सिंह** : यदि वे वेतन सम्बन्धी आंकड़े देते हैं तो यह पता चल जायगा कि उनके वेतन में अन्तर है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य के पास इस बात का कोई प्रमाण है कि यह वक्तव्य गलत है तो वह सभा का ध्यान इसकी ओर आकर्षित कर सकते हैं।

†**श्री वेलायुधन** : क्या माननीय मंत्री जी यह बता सकते हैं कि एक ही काम के लिये स्त्री और परुष श्रमिकों को एक सा वेतन मिलता है ? हमारा प्रश्न यह है। मुझे बताया गया है कि वेतन में अन्तर है।

†**श्री हाथी** : दामोदर घाटी परियोजना से मुझे यह सूचना मिली है कि वेतन में अन्तर है। प्रवीण कर्मचारियों को १२० रुपये, अर्द्ध प्रवीण कर्मचारियों को ७५ रुपये और अप्रवीण कर्मचारियों को ६० रुपये प्रतिमास वेतन मिलता है ? यह वेतन पुरुष और स्त्री दोनों के लिये एक ही सा है। दामोदर घाटी परियोजना ने यह सूचना दी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जहां तक मैं जानती हूं, दो प्रकार की श्रेणियाँ हैं जिनमें स्त्रियां कार्य करती हैं। उनमें से एक श्रेणी क्लर्कों की है और दूसरी अप्रवीण श्रमिकों की, जो वहां बिजली तथा अन्य दूसरी परियोजनाओं में कार्य करती हैं। ये श्रमिक ठेके पर कार्य करते हैं। क्या ठेकेदार देयक (बिल) बनाते समय स्त्रियों के लिये भी समान वेतन लेते हैं किन्तु भुगतान करते समय स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन देते हैं ?

†**श्री हाथी** : मेरा उत्तर तो दामोदर घाटी परियोजना के विभागीय कर्मचारियों के बारे में ही था। ठेकेदार तो फुटकर काम के लिये आते हैं। वे जो काम करते हैं उस कुल काम के लिये उन्हें भुगतान किया जाता है। और जितना वे कार्य करते हैं उतने के लिये ही उन्हें भुगतान किया जाता है।

भिलाई इस्पात परियोजना

†*१२१८. **श्री कामत** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात परियोजना के कार्यान्वित करने के परिणामस्वरूप भिलाई के आस-पास के अब तक कितने व्यक्ति विस्थापित किये जा चुके हैं;

(ख) उनके प्रतिकर अथवा पुनर्वास के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं;

(ग) क्या दिये गये अपर्याप्त प्रतिकर विशेषत: ली गई भूमि के लिये दिये गये प्रतिकर के बारे में अभ्यावेदन दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) तथा (ख). जैसा कि आजकल विचार है उसके अनुसार संयन्त्र और नगर बसाने के लिये १४,००० एकड़ भूमि शीघ्र ही अर्जित की जायेगी। जिसमें से लगभग ३,६०० एकड़ भूमि में खेती नहीं होती है और १०,४०० एकड़ भूमि में खेती होती है। ३,५०० एकड़ भूमि पर खरीफ की फसल कट जाने के बाद अब तक कब्जा कर लिया गया है।

अर्जित की जाने वाली भूमि में १२ गांव होंगे और ऐसा अनुमान है कि इस अर्जन के परिणामस्वरूप लगभग १,२०० परिवारों की सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ेगा। अब तक किसी मकान का कोई अर्जन नहीं किया गया है अत: किसी परिवार के विस्थापित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जिन व्यक्तियों की भूमि अर्जित की जा रही है उनको अग्रिम भुगतान करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार को आवश्यक निधि दे दी गई है। यह भी विचार है कि परियोजना में अधिक से अधिक इन ग्रामनिवासियों को काम दिया जाय।

(ग) तथा (घ). जिन ग्रामीणों की भूमि अर्जित की जाने वाली है उनकी ओर से कुछ स्थानीय नेताओं ने कुछ अभ्यावेदन दिये थे। अर्जन के विरुद्ध तो कोई कार्यवाही नहीं हुई है किन्तु प्रतिकर की दर बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये गये हैं। दुर्ग के उप कमिश्नर ने, जिनसे इन्होंने भेंट की थी, उन्हें बताया है कि भूमि अर्जन का कार्य नियमित रूप से होगा और उसके प्रतिकर का मूल्यांकन भूमि अर्जन पदाधिकारियों द्वारा किया जायगा।

†**श्री कामत** : क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन दे सकेंगे कि भिलाई परियोजना क्षेत्र के उन सभी विस्थापित स्त्री और पुरुषों को जो शारीरिक रूप से ठीक हैं, भिलाई परियोजना में कार्य दिया जा सकेगा ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : 'विस्थापित' शब्द से माननीय मंत्री का क्या आशय है यह स्पष्ट रूप से मैं नहीं समझ सका। परियोजना क्षेत्र में हम लोगों को काम पर लगा सकते हैं अत: जितने अधिक से अधिक व्यक्तियों को हम काम पर लगा सकते थे उतने स्त्री, पुरुषों को हमने काम दिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जांगड़े** : क्या यह सच है कि दामोदर घाटी परियोजना अथवा रूरकेला जैसे विभिन्न क्षेत्रों के भूमि स्वामियों को जो प्रतिकर दिया गया है वह इस क्षेत्र के किसानों को दी गई क्षतिपर्ति से बहुत अधिक है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : दामोदर घाटी परियोजना के बारे में तो मुझे ज्ञात नहीं है । रूरकेला में जो प्रतिकर दिया गया है उसकी अपेक्षा भिलाई में दिया गया प्रतिकर बहुत अच्छा है ।

†**श्री किरोलिकर** : कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें गत अक्तूबर में भूमि खड़ी फसल के साथ ले ली गई थी । किन्तु प्रतिकर अभी तक नहीं दिया गया है । यह प्रतिकर क्यों नहीं दिया गया है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : हमने निधि का प्रबन्ध कर दिया है । अतः यह प्रश्न मध्य प्रदेश सरकार से करना चाहिये ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्षतिपूर्ति की राशि निश्चित करते समय केवल इसी बात को, कि उस क्षेत्र में भूमि का मूल्य क्या है, ध्यान में नहीं रखा जायगा अपितु यह भी ध्यान में रखा जायगा कि किसान अपनी भूमि के बराबर भूमि किसी दूसरे क्षेत्र में उस धन से खरीद सके ? क्या ऐसा ध्यान रखा जायगा ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : भारत सरकार इसके लिये कोई विधि नहीं बनाती । अर्जित की गई भूमि का मूल्यांकन करने के लिये प्रचलित भूमि अर्जन अधिनियम एवं उसकी क्रियाएं हैं और उन्हीं के अनुसार भूमि का मूल्यांकन किया जाता है । इस अधिनियम में अपील करने की भी व्यवस्था है । यही प्रक्रिया लागू होगी । मैं इस मामले के आर्थिक पहलू पर नहीं जाऊंगा ।

†**श्री कामत** : माननीय मंत्री ने कहा है कि भूमि अर्जन के बारे में उन्हें शिकायतें एवं अभ्यावेदन मिले हैं । क्या उन अभ्यावेदनों में यह बताया गया है कि अर्जित की गई भूमि के लिये जो प्रतिकर दिया गया है वह भूमि की बाजारू मूल्य की अपेक्षा एक चौथाई अथवा एक तिहाई है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : न तो मुझे शिकायतें मिली हैं और न मैं इस स्थिति में हूं कि शिकायतें मुझे मिलें । शिकायतें उन अधिकारियों को मिली हैं जो इस मामले की देख-रेख करते हैं । माननीय सदस्य के इस कथन से कि वह मूल्य एक तिहाई अथवा एक चौथाई था, मैं सहमत नहीं हूं । वास्तव मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि रूरकेला में जो प्रतिकर दिया गया है उसकी तुलना में यह उचित है किन्तु यह एक ऐसा मामला ह जिसकी जांच उपयुक्त पदाधिकारी द्वारा की जानी चाहिये और इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं ।

बर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीय

+*१२१९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ के दौरान में बर्मा से आये प्रत्यावर्तित भारतीयों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) उनके प्रत्यावर्तन के मुख्य कारण क्या हैं और प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में भारत सरकार ने उन्हें क्या सहायता दी है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) १९५५ के दौरान में बर्मा से ४५ भारतीयों का प्रत्यावर्तन किया गया है ?

(ख) जब कोई भारतीय नागरिक बेकारी, वृद्धावस्था, अथवा अन्य किसी दूसरे कारण से निराश्रित अवस्था में बर्मा में फंस जाता है और भारत जाने के लिये उसके पास समुद्र यात्रा के लिये कुछ भी पैसा नहीं रहता तो, उसे निःशुल्क यात्रा-पत्र (सामान्यतः आपातकालीन प्रमाण-पत्र) भारत वापस

†मूल अंग्रेजी में

जाने के लिये जारी कर दिये जाते हैं और स्थानीय जहाजी समवाय के द्वारा सरकारी खर्च पर उसे यात्रा के लिये टिकट खरीद दिया जाता है साथ ही में ऊपरी खर्चे के लिये और भारत के निकटतम बन्दरगाह स्थान से अपने निवास स्थान तक पहुंचनें के लिये यदि आवश्यकं होता है तो कुछ रुपया दिया जाता है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : बर्मा से भारत वापस लोगों को बुलाने के क्या कारण हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कारण बतला दिये हैं ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सच है कि उन्हें स्वदेश इसलिये बुलाया जा रहा है कि उन्होंनें अपने नाम दर्ज नहीं कराये थे और बर्मा में संचार तथा यातायात की सुविधाओं आदि की कमी के कारण वे अपना नाम दर्ज नहीं करा सके ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : पंजीयन का उनके निराश्रित होने से कोई सम्बन्ध नहीं ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या इन ४५ व्यक्तियों में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस कारण स्वदेश वापस भेजे गये कि बर्मा सरकार उन्हें भेजना चाह रही थी ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : इन ४५ मामलों में से प्रत्येक के बारे में सारी विस्तृत बातें मेरे पास नहीं हैं । जब वहां पर हमारे दूतावास को किसी व्यक्ति की असहाय अवस्था का पता लग जाता है और यह कि वह अपना जीवनयापन नहीं कर सकता तो हम उसे स्वदेश वापस बुला लेते हैं ।

कनाडा में सरकारी सम्पत्ति

†*१२२०. **डा० लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २७ अप्रैल १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ११०४ (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसैल हिल रोड, टोरंटो, कनाडा में भारत सरकार के मकानों की बिक्री से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(ख) क्या इस सौदे में कोई हानि या लाभ हुआ ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) ४८४ रसैल रोड, टोरंटो में भारत सरकार की सम्पत्ति की बिक्री से कुल ३९६३८·२६ डालर प्राप्त हुए ।

(ख) बिक्री से प्राप्त यह राशि क्रय मूल्य से लगभग १६,००० डालर कम है । किराये पर लिये गये स्थान के लिये व्यापार आयुक्त को जो मकान किराया भत्ता दिया जाता और व्यापार आयुक्त कार्यालय के बंद होने के बाद मकान को किराये पर देने से जो राशि प्राप्त हुई उसको ध्यान में रखते हुए और कर, बीमा और मरम्मत आदि के लिये दी गई राशि का लेखा करते हुए यह कहा जा सकता है कि सरकार को न कोई लाभ हुआ है और न हानि ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चाय बोर्ड

†*११९३. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के लिये केन्द्रीय चाय बोर्ड के लिये कितनी राशि प्राप्त की गई; और

(ख) किस प्रकार के कल्याण कार्यों पर वह राशि खर्च की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) चाय बागान के मजदूरों के कल्याण पर १९५४-५५ में चाय बोर्ड की निधि से २,०१,६८७ रुपये दिये गये थे ।

(ख) (१) संगठन कल्याण, आमोद प्रमोद, शिक्षण तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र;

(२) बागान श्रम अधिनियम के अन्तर्गत जिनकी चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई है उनकी व्यवस्था करना;

(३) कल्याण और आमोद प्रमोद केन्द्रों को पुस्तकें, रेडियो, खेल आदि का सामान देना ।

लोक-गीत

†*११९७. **श्री वोडयार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक-गीत एककों की विभिन्न क्षेत्रों में स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां तो किन क्षेत्रों में; और

(ग) क्या सरकार का विचार लोक-गीतों के सम्पादन एवं प्रकाशन में अखिल भारतीय सहगान सभा की सहायता लेने का है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रारम्भ में तो निम्नलिखित क्षेत्रों में एककों की स्थापना करने का विचार है :

१. आसाम और पड़ौसी क्षेत्र में;

२. मध्य प्रदेश के कबायली क्षेत्र; बिहार और उड़ीसा;

३. सौराष्ट्र, राजस्थान और कच्छ;

४. केरला और कर्नाटक ।

(ग) उन सभी संस्थाओं का सहयोग लिया जायगा जो लोक-गीतों से सम्बन्धित हैं ।

पत्रकारों द्वारा विकास कार्यों का भ्रमण

†*११९८. **श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ चुने हुए पत्रकारों के दल को देश के विकास कार्यों के प्रत्येक कार्य दिखाने का है;

(ख) क्या उन पत्रकारों से कहा जायगा कि वे अपने भ्रमण का प्रतिवेदन सरकार को दें; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये पत्रकारों को चुनने की क्या प्रक्रिया होगी ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां । इस प्रकार के कुछ भ्रमण हो चुके हैं ।

(ख) जी नहीं । पत्रकार तो स्वतन्त्र हैं, वे सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं । विचार यह है कि पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले विकास कार्यों का वे स्वयं अध्ययन कर सकें और अपने विचार निर्धारित कर सकें ।

(ग) प्रत्येक भ्रमण के लिये १२ से १५ तक पत्रकारों का एक दल चुना जाता है जिसमें एक अथवा दो क्षेत्र के समाचार प्रतिनिधि होते हैं । ये प्रतिनिधि बिना किसी दलगत भावना के आधार पर चुने जाते हैं जो अधिकतर उस क्षेत्र के भारतीय भाषाओं के सुविख्यात दैनिक पत्रों और साप्ताहिक समाचार पत्रों और कुछ अंशों में आंग्ल दैनिक पत्रों के प्रतिनिधि होते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डी० डी० टी०

*११९९. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में भारत में डी० डी० टी० का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

उत्पादन मंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : २८३·६७ टन ।

मोटर कारों के टायर

†*१२००. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान अनुज्ञापन कालावधि में मोटर कारों के टायरों के कुल कितने परिमाण का आयात करने की प्रस्थापना है; और

(ख) आयात किये हुए इन टायरों की कीमत देश में बनाये गये टायरों की तुलना में कैसी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) वर्तमान अनुज्ञापन कालावधि में आयात किये जाने वाले मोटर कारों के टायरों के कुल परिमाण अलग से बताना सम्भव नहीं है। फिर भी अनुमान है कि वर्तमान कालावधि में सभी प्रकार के टायरों और ट्यूबों के लिये, जिनमें मोटर टायर तो सम्मिलित हैं पर ट्रैक्टर और उपयोग में न आ सकने वाले टायर और ट्यूब सम्मिलित नहीं हैं लगभग २२ लाख रुपयों की आयात-अनुज्ञप्तियां जारी की जायेंगी ।

(ख) एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६२**]

फ़ाउन्टेन पैनों का निर्माण

†*१२०३. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में "पार्कर–५१" और "शेफर" जैसे फाउन्टेन पैनों का निर्माण किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या देश में ऊंची किस्म के पैनों (कलमों) के निर्माण का कोई प्रयास किया जा रहा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । सरकार अच्छे प्रकार के पैनों के निर्माण की कुछ योजनाओं का अनुमोदन कर चुकी है ।

"इंडियन लिसनर" का कन्नड़ संस्करण

†*१२०४. **श्री गाडिलिगन गौड़ :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कन्नड़-भाषी क्षेत्रों में "इंडियन लिसनर" के कन्नड़ संस्करण के लिये लगातार मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसे प्रकाशित करने का विचार कर रही है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विस्थापित व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायिक मामले

†*१२०८. **श्री वल्लाथरास :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ और १९५६ में, दिल्ली और नई दिल्ली की नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में अनुज्ञापनों के बिना व्यापार या व्यवसाय करने के लिये शरणार्थियों के विरुद्ध दंडाधीशों के न्यायालयों में दायर किये गये मामलों की संख्या कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कथित क्षेत्रों में पटरियों पर बैठने वाले कितने शरणार्थियों को स्थान दे दिया गया है, और कितनों को अभी तक बैठने के स्थान नहीं दिये गये हैं; और

(ग) क्या उन पर अभियोग उन्हें बैठने का स्थान दिये जाने के बाद या पुनर्वास अधिकारियों के अनुमोदन के बाद चलाये गये हैं ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) दंडाधीशों के न्यायालयों में विस्थापित व्यक्तियों और अविस्थापित व्यक्तियों के आधार पर अलग-अलग सूचना नहीं रखी जाती है। फिर भी, काफी मेहनत करने के बाद इस प्रकार की सूचना एकत्रित तो की जा सकती है, लेकिन इन आंकड़ों के संग्रह में लगने वाला समय और श्रम प्राप्त किये जाने वाले परिणामों के सममात्रिक नहीं होगा।

(ख) (१) आवास आवंटित किये गये विस्थापित परिवारों की संख्या.....१८,०००

(२) जिन विस्थापित परिवारों को अभी आवास की व्यवस्था की जानी है. . .३,०००

(ग) प्रश्न पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। विस्थापित व्यक्तियों के कुछ वर्गों को मकानों का आवंटन किया जाता है, लेकिन मकानों के आवंटन और अभियोजनों में तो आपस में कोई सम्बन्ध ही नहीं है और न प्रत्येक अभियोजन के लिये पुनर्वास अधिकारियों के अनुमोदन की ही आवश्यकता पड़ती है। ये अभियोजन तो समय-समय पर पुनर्वास अधिकारियों द्वारा निश्चित आम नीति-निर्णयों के अनुसार ही आरम्भ किये जाते हैं।

पेंसिलें

†*१२१५. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीसे (सुरमे) की पेंसिलों की वर्तमान आवश्यकता कितनी है और उनका कितना उत्पादन होता है; और

(ख) सरकार ने इस उद्योग के विकास के लिये क्या प्रोत्साहन दिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क)

आवश्यकतायें.....लगभग ६ लाख ग्रौस प्रति वर्ष

उत्पादन.....लगभग ३ लाख ग्रौस प्रति वर्ष

(ख) (१) पेंसिलों के आयात को सीमित कर दिया गया है, संस्थापित आयातकों का कोटा केवल ५० प्रतिशत है।

(२) अयात को केवल बढ़िया किस्म की पेंसिलों तक ही सीमित रखने के विचार से, आयात की जाने वाली पेंसिलों पर प्रति पेंसिल दो आने चुंगी लगा दी गई है।

(३) पेंसिलों के सुरमे की बत्तियों के निर्माण में सहायता देने के लिये सरकार एक विदेशी प्रैविधिज्ञ की सेवायें प्राप्त करने का प्रबन्ध कर रही है।

स्थानीय विकास कार्य

†*१२१६. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भी स्थानीय विकास कार्य के कार्यक्रम को जारी रखने की प्रस्थापना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : जी, हां।

हिमालय-अभियान

*१२२१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** निम्न आशय का एक विवरण लोक-सभा के टेबल पर रखने और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्या आने वाले मौसम में हिमालय पर पर्वतारोहण और वैज्ञानिक अनुसंधान के सम्बन्ध में आरोहण के लिये किन्हीं विदेशी दलों ने अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन देशों से आयेंगे;

(ग) हिमालय के किन-किन भागों में वे अभियान करेंगे;

(घ) उन्हें किन-किन शर्तों पर अनुमति दी गई है;

(ङ) उन के साथ भारतीय सम्पर्क अधिकारियों अथवा भारतीय पर्वतारोहियों को नियुक्त करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ङ). एक ब्योरा सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[देखिय परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६३]**

व्यापार सम्बन्धी करार

†*१२२२. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री उन देशों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिनको वर्ष १९५५-५६ में भारतीय कुटीर उद्योग के उत्पादों का अधिक परिमाण में निर्यात किया गया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिये विभिन्न बाजार हैं। १९५५-५६ में, इन मुख्य-मुख्य बाजारों को निर्यात किया गया था : इंगलैंड, अमरीका, लंका, सिंगापुर, अदन, टैंगानिका, पश्चिमी जर्मनी, इटली और सौदी अरब।

स्थानीय विकास कार्य

†७३६. **श्री आर० के० गुप्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्थानीय विकास कार्यों के लिये विभिन्न राज्यों को कुल कितनी धन-राशि राज्यवार आवंटित की गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : द्वितीय पंच वर्षीय योजना—स्थानीय कार्यक्रम की प्रारूप रूपरेखा—में १५ करोड़ रुपयों की एक धन-राशि अस्थायी रूप से सम्मिलित कर ली गई है। विभिन्न राज्यों को बंटवारा वर्ष में एक बार किया जाता है, और वर्ष १९५६-५७ के लिये राज्यों को दिया जाने वाला प्रस्तावित आवंटन संलग्न विवरण में बताया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६४]**

भारतीय मशीनों के लिये उपस्करण सामग्री

†७३७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** २३ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के लिये उपस्करण सामग्री आदि के सम्भरण के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये स्वास्थ्य मंत्री के सभापतित्व में स्थापित की गई परामर्शदात्री समिति की सिफारिशें अब किस अवस्था में है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : छुरी-कांटों, चीनी मिट्टी के बरतनों आदि और कांच की बनी वस्तुओं के सम्बन्ध में भारतीय मिशनों की आवश्यकताओं को प्रमापीकृत कर दिया गया है। परामर्शदात्री समिति की अन्य सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रहा है।

तिब्बत में रुके हुये भारतीय व्यापारी

७३८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** २३ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्या तिब्बत में भारतीय व्यापारियों के बर्फ के कारण रुक जाने के बारे में पूरी जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसको सभा की टेबल पर रखा जायगा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). मांगी गई सूचना का एक ब्योरा साथ लगा है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६५**]

कुटीर उद्योगों का विकास

†**७३९. श्री इब्राहीम** : क्या **उत्पादन** मंत्री उन राज्यों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिनको १९५५-५६ में कुटीर उद्योगों के विकास के लिये क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम वित्तीय सहायता दी गई ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : अधिकतम सहायता मद्रास राज्य को दी गई थी, और न्यूनतम सहायता त्रिपुरा राज्य को।

बीड़ी उद्योग

७४०. श्री के० सी० सोधिया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री निम्न आशय का एक विवरण लोक-सभा की टेबल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ में बीड़ी उद्योग में तम्बाकू की कुल कितनी मात्रा का उपयोग किया गया और देश में तम्बाकू की कुल उपज में इसकी क्या प्रतिशतता थी; और

(ख) इस उद्योग में कुल कितनी पूंजी लगी है, और उक्त वर्षों में पैदा किये गये माल का कुल अनुमानित मूल्य कितना है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री० टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क)

१९५३-५४	लगभग ११·६४ करोड़ पौंड।
	२० प्रतिशत के आस-पास।
१९५४-५५	१२·२० करोड़ पौंड।
	२२ प्रतिशत के आस-पास।
१९५५-५६	के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) बीड़ी उद्योग में लगी पूंजी के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। देश में बनी हुई बीड़ी का मूल्य लगभग ६५ करोड़ रुपये वार्षिक है।

मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स

†**७४१. श्री मादिया गौडा** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री २१ नवम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स के विस्तार की योजना कब तक पूरी होगी; और

(ख) विस्तार कार्यक्रम के लिये कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). अभी तक उस योजना के ब्योरे को अन्तिम रूप से निश्चित नहीं किया गया है।

हाथ का कुटा चावल

†**७४२. श्री मादिया गौडा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथ के कुटे चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५३-५४ और १९५४-५५ में इसका कितना उत्पादन हुआ ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) हाथ के कुटे हुए चावल का उत्पादन बढ़ाकर देहाती क्षेत्रों में अधिक रोजगार की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, विकास कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं। निम्नांकित कार्य विशेषों के लिये वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाती है :

(१) पचास प्रतिशत लागत के आधार पर, उन्नत औजारों से काम लेने के लिये वित्तीय सहायता।

(२) हाथ से कूटने के तरीकों से तैयार किये गये चावल पर, प्रतिमन छः आने की दर से सहकारी समितियों और मान्यता-प्राप्त संस्थानों को उत्पादन अनुसहाय्य।

(३) कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण—प्रशिक्षार्थियों को छात्र-वृत्तियां और यात्रा भत्ता।

(४) चावल का स्टाक रखने और औजारों का निर्माण करने के लिये ऋण।

(५) प्रचार और प्रकाशन; और

(६) गवेषणा और प्रयोग।

(ख) १९५३-५४ और १९५४-५५ में हाथ से कूटने के तरीकों से उत्पादित चावल से सम्बन्धित आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :

वर्ष	उत्पादन (लाख टनों में)
१९५३-५४	२०७·६
१९५४-५५	१८२·४

ग्राम तैल उद्योग

†७४३. **श्री बूवराघस्वामी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश भर में ग्राम तैल उद्योग के विकास के लिये कुल कितनी धन राशि नियत की गई है ; और

(ख) भारत के प्रत्येक राज्य में इस ग्राम तैल उद्योग में वास्तव में लगे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रारूप रूपरेखा में खादी और अन्य ग्राम उद्योगों के लिये अस्थायी रूप से ४८·४३ करोड़ रुपये का नियतन किया गया है। खादी बोर्ड की सलाह से, इसी बंटवारे का एक भाग घानी तैल उद्योग के लिये काम में लाया जायेगा।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है, और यथा समय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, ५ अप्रैल, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	११५२–७१
तारांकित प्रश्न संख्या		
११९२	गुड़ और खण्डसारी विकास	११५२
११९४	भारतीय उद्योग प्रदर्शनी	११५२–५३
११९५	उत्तर प्रदेश में भारी उद्योग ...	११५३–५५
११९६	प्रेस सूचना कार्यालय	११५५–५६
१२०१	प्रलेखीय चलचित्र	११५६–५७
१२०२	भिलाई इस्पात परियोजना	११५७–५९
१२०५	मुंज बुनने के उद्योग ...	११५९–६०
१२०६	जापान में भारतीय आस्तियां	११६०
१२०७	भारतीय कारें ...	११६०–६२
१२०९	पटसन जांच आयोग	११६२
१२१०	भरती आयोग, पाण्डिचेरी	११६२–६३
१२११	अल्यूमीनियम फैक्टरी	११६३–६४
१२१२	मैसूर में रेशम की छीजन	११६५
१२१३	चाय का निर्यात	११६५–६७
१२१४	बनस्पति घी और तिलहन	११६७–६८
१२१७	दामोदर घाटी परियोजना में श्रमिकों का वेतन	११६८–६९
१२१८	भिलाई इस्पात परियोजना	११६९–७०
१२१९	बर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीय ...	११७०–७१
१२२०	कनाडा में सरकारी सम्पत्ति ...	११७१
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	११७१–७७
तारांकित प्रश्न संख्या		
११९३	चाय बोर्ड	११७१–७२
११९७	लोक-गीत	११७२
११९८	पत्रकारों द्वारा विकास कार्यों का भ्रमण	११७२
११९९	डी० डी० टी०	११७३
१२००	मोटर कारों के टायर	११७३
१२०३	फाउन्टेन पैनों का निर्माण ...	११७३
१२०४	"इंडियन लिस्नर" का कन्नड़ संस्करण	११७३
१२०८	विस्थापित व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायिक मामले	११७३–७४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमश:)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१२१५ पेंसिलें ११७४
१२१६ स्थानीय विकास कार्य ... ११७४
१२२१ हिमालय अभियान ... ११७४–७५
१२२२ व्यापार सम्बन्धी करार ... ११७५

अतारांकित
प्रश्न संख्या

७३६ स्थानीय विकास कार्य ११७५
७३७ भारतीय मिशनों के लिये उपस्करण सामग्री ... ११७५
७३८ तिब्बत में रुके हुए भारतीय व्यापारी ११७५–७६
७३९ कुटीर उद्योगों का विकास ११७६
७४० बीड़ी उद्योग ११७६
७४१ मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स ११७६
७४२ हाथ का कुटा चावल ११७६–७७
७४३ ग्राम तैल उद्योग ११७७

M33LSD—10-6-57—190—GIPF

गुरूवार
5 अप्रैल 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ३, १९५६

(२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६)

1st Lok Sabha

(XII Session)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Parliament Library

बारहवाँ सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ३१ से अंक ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

M117LSD—4

विषय-सूची

[भाग--२ वाद-विवाद, खण्ड ३--२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६]

अंक ३१--बुधवार, २८ मार्च, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन-प्रस्ताव	१५१७–२०
सदस्य का बन्दीकरण	१५२०
सदस्य का ज़मानत पर रिहाई ...	१५२०–२१
सभा का कार्य	१५२१, १५२२–२३, १५६८–६९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५२१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१५२२
ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
अड़तालिसवां प्रतिवेदन.	१५२२
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१५२२
अनुदानों की मांगें	१५२४–६७
मांग संख्या २२--आदिम जाति क्षेत्र	१५२४–६७
मांग संख्या २३--वैदेशिक कार्य ...	१५२४–६७
मांग संख्या २४--पांडिचेरी राज्य	१५२४–६७
मांग संख्या २५--वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५२४–६७
मांग संख्या ११९--वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	१५२४–६७
त्रावणकोर-कोचीन आय-व्ययक, १९५६-५७ ...	१५६७–६८
दैनिक संक्षेपिका	१५७०–७१

अंक ३२--गुरुवार, २९ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५७३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं की स्थिति और वहां से उनका प्रव्रजन	१५७३
सभा का कार्य	१५७४
अनुदानों की मांगें	१५७४–१६०५
मांग संख्या २२--आदिम जाति क्षेत्र	१५७४–१६०५
मांग संख्या २३--वैदेशिक कार्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २४--पाण्डिचेरी राज्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २५--वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५७४–१६०५
मांग संख्या ११--वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ...	१५७४–१६०५
त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प	१६०५–३१
लेखानुदानों की मांगें--त्रावनकोर-कोचीन	१६३१–३३
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक	१६३३–३४
दैनिक संक्षेपिका	१६३५

पृष्ठ

अंक ३३—शनिवार, ३१ मार्च, १९५६

सदस्य का बन्दीकरण तथा दोषसिद्धि १६३७

स्थगन-प्रस्ताव

श्री बरलाम दास टंडन का अनशन ... १६३८–३९

अनुदानों की मांगें १६३७, १६३८–७५

मांग संख्या ९२—पुर्नावास मंत्रालय ... १६३८–७५

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय १६३८–७५

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १६३८–७५

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १६३८–७५

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़तालिसवां प्रतिवेदन १६७५

मद्य-निषेध के लिये अन्तिम तारीख नियत करने के बारे में संकल्प ... १६७५–८५

औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के

बारे में संकल्प १६८५–९४

दैनिक संक्षेपिका १६९५

अंक ३४—सोमवार, २ अप्रैल, १९५६

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १६९७

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक के बारे में याचिका १६९७

अनुदानों की मांगें ... १६९७–१७५८

मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनायें

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध

विभाग तथा व्यय

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय

मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय

दैनिक संक्षेपिका ... १७५९

अंक ३५—मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १७३१

अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १७३१

अनुदानों की मांगें १७३२–१८१५

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय १७६२–१८०९

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाएं १७६२–१८०९

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध

विभाग तथा व्यय १७६२–१८०९

पृष्ठ

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय १७६२–१८०६

मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १७६२–१८०६

मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१०–१५

मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवाएं १८१०–१५

मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१०–१५

मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१०–१५

मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय १८१०–१५

दैनिक संक्षेपिका १८१६

अंक ३६—बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ... १८१७

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकायें १८१७

अनुदानों की मांगें १८१७–७९

मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१७–४२

मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवायें १८१७–४२

मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१७–४२

मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१७–४२

मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १८१७–४२

मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय १८४३–७९

मांग संख्या १०२—सम्भरण १८४३–७९

मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८४३–७९

मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण ... १८४३–७९

मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संम्भरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८४३–७९

दैनिक संक्षेपिका १८८०

अंक ३७—गुरुवार, ५ अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें १८८१–१९४६

मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय १८८१–९१

मांग संख्या १०२—सम्भरण १८८१–९१

मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८८१–९१

मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण १८८१–९१

मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८८१–९१

पृष्ठ

मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय १८९२–१९४६
मांग संख्या ८८—नमक १८९२–१९४६
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन १८९२–१९४६
मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें १८९२–१९४६
मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८९२–१९४६
मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय १८९२–१९४६
दैनिक संक्षेपिका १९४७

अंक ३८—शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १९४९
प्राक्कलन समिति—
चौबीसवां प्रतिवेदन १९५०
अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक १९५०
कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब ... १९५०–५१
अनुदानों की मांगें १९५१–८३
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय १९५१–५७
मांग संख्या ८८—नमक ... १९५१–५७
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन १९५१–५७
मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें १९५१–५७
मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... १९५१–५७
मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय १९५१–५७
मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ... १९५८–८३
मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप १९५८–८३
मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८३—खानें १९५८–८३
मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा ... १९५८–८३
मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज ... १९५८–८३
मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १९५८–८३
मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय १९५८–८३

पृष्ठ

बाल सन्यास दीक्षा रोक विधेयक १९८३

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक १९८३–२०००

विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव १९८३–२०००

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (**धारा ४२९ का संशोधन**) २०००–०६

विचार करने का प्रस्ताव २०००

दैनिक संक्षेपिका २००७

अंक ३९—सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २००९

कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब २००९–१०

अनुदानों की मांगें २०१०–७९

मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय २०१०–२४

मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप २०१०–२४

मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८३—खानें २०१०–२४

मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा २०१०–२४

मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज २०१०–२४

मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय २०१०–२४

मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय २०१०–२४

मांग संख्या ४२—खाद्य और कृषि मंत्रालय २०२५–७९

मांग संख्या ४३—वन २०२५–७९

मांग संख्या ४४—कृषि ... २०२५–७९

मांग संख्या ४५—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें ... २०२५–७९

मांग संख्या ४६—खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय २०२५–७९

मांग संख्या १२७—वनों पर पूंजी व्यय २०२५–७९

मांग संख्या १२८—खाद्यान्नों का क्रय २०२५–७९

मांग संख्या १२९—खाद्य और कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय २०२५–७९

दैनिक संक्षेपिका २०८०

अंक ४०—मंगलवार, १० अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें ... २०८१–२१३९

मांग संख्या ७०—श्रम मंत्रालय २०८१–२१३३

मांग संख्या ७१—मुख्य खान निरीक्षक २०८१–२१३३

मांग संख्या ७२—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २०८१–२१३३

मांग संख्या ७३—काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुनःसंस्थापन २०८१–२१३३

मांग संख्या ७४—असैनिक प्रतिरक्षा २०८१–२१३३

पृष्ठ

मांग संख्या १३६—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय २०८१–२१३३
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१३३–३९
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१३३–३९
मांग संख्या ५३—दिल्ली २१३३–३९
मांग संख्या ५४—पुलिस २१३३–३९
मांग संख्या ५५—जनगणना ... २१३३–३९
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१३३–३९
मांग संख्या ५७—अन्दमान तथा निकोबर द्वीप २१३३–३९
मांग संख्या ५८—कच्छ २१३३–३९
मांग संख्या ५९—मनीपुर २१३३–३९
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१३३–३९
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध ... २१३३–३९
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २१३३–३९
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय २१३३–३९

दैनिक संक्षेपिका २१४०

अंक ४१—बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनचासवां प्रतिवेदन २१४१

अनुदानों की मांगें २१४१–२२०३
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१४१–२२०३
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१४१–२२०३
मांग संख्या ५३—दिल्ली २१४१–२२०३
मांग संख्या ५४—पुलिस २१४१–२२०३
मांग संख्या ५५—जनगणना २१४१–२२०३
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१४१–२२०३
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह... २१४१–२२०३
मांग संख्या ५८—कच्छ २१४१–२२०३
मांग संख्या ५९—मनीपुर २१४१–२२०३
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१४१–२२०३
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध २१४१–१२०३
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २१४१–२२०३
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... २१४१–२२०३

दैनिक संक्षेपिका २२०४

अंक ४२—गुरुवार, १२ अप्रैल, १९५६	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें	२२०५–५८
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय	२२०५–१५
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल	२२०५–१५
मांग संख्या ५३—दिल्ली	२२०५–१५
मांग संख्या ५४—पुलिस	२२०५–१५
मांग संख्या ५५—जनगणना ...	२२०५–१५
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	२२०५–१५
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह	२२०५–१५
मांग संख्या ५८—कच्छ	२२०५–१५
मांग संख्या ५९—मनीपुर	२२०५–१५
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा	२२०५–१५
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध	२२०५–१५
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ...	२२०५–१५
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२०५–१५
मांग संख्या ६६—लोहा और इस्पात मंत्रालय ...	२२१५–४१
मांग संख्या १३३—लोहा और इस्पात मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२१५–४१
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२४१–५८
मांग संख्या २—उद्योग	२२४१–५८
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े ...	२२४१–५८
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	२२३५
दैनिक संक्षेपिका ...	२२५९

अंक ४३—शनिवार, १४ अप्रैल, १९५६	
अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	२२६१–६२
अनुदानों की मांगें	२२६२–८७
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२६२–८७
मांग संख्या २—उद्योग ...	२२६२–८७
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े	२२६२–८७
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२२६२–८७
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२६२–८७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उनचासवां प्रति-वेदन...	२२८७–८९
औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प	२२८८–२३०६
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	२३०७
दैनिक संक्षेपिका	२३०८

अंक ४४—सोमवार, १६ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज २३०९—११

सभा का कार्य ... २३११—१२

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २३१२

जीवन बीमा विधेयक ... २३१२

अनुदानों की मांगें ... ... २३१३—८२

मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय २३१३—२३

मांग संख्या २—उद्योग ... २३१३—२३

मांग संख्या ३—वाणिज्य सूचना तथा आंकड़े ... २३१३—२३

मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३१३—२३

मांग संख्या ११३—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय २३१३—२३

मांग संख्या १७—शिक्षा मंत्रालय २३२४—७७

मांग संख्या १८—पुरातत्व विद्या २३२४—७७

मांग संख्या १९—अन्य वैज्ञानिक-विभाग २३२४—७७

मांग संख्या २०—शिक्षा २३२४—७७

मांग संख्या २१—शिक्षा-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३२४—७७

मांग संख्या ११८—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय २३२४—७७

मांग संख्या २६—वित्त मंत्रालय २३७७—८२

मांग संख्या २७—सीमा शुल्क २३७७—८२

मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क २३७७—८२

मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३७७—८२

मांग संख्या ३०—अफीम २३७७—८२

मांग संख्या ३१—स्टाम्प ... ... २३७७—८२

मांग संख्या ३२—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान २३७७—८२

मांग संख्या ३३—लेखा परीक्षण २३७७—८२

मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा २३७७—८२

मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३७७—८२

मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें २३७७—८२

मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ता तथा निवृत्ति वेतन ... ... २३७७—८२

मांग संख्या ३८—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २३७७—८२

मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान २३७७—८२

पृष्ठ

मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन २३७७–८२
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान ... २३७७–८२
मांग संख्या १२०—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२१—चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२२—टकसालों पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२३—निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ... २३७७–८२
मांग संख्या १२४—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान २३७७–८२
मांग संख्या १२५—वित्त-मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ... २३७७–८२
मांग संख्या १२६—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन २३७७–८२

दैनिक संक्षेपिका २३८३

अंक ४५—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

कार्य मंत्रणा समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन २३८५

तारांकित प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि २३८५–८७

अनुदानों की मांगें २३८७–२४२७

मांग संख्या २६—वित्त-मंत्रालय २३८७–२४२५
मांग संख्या २७—सीमा शुल्क २३८७–२४२५
मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क ... २३८७–२४२५
मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३०—अफीम २३८७–२४२५
मांग संख्या ३१—स्टाम्प २३८७–२४२५
मांग संख्या ३२—अभिकरण-विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान २३८७–२४२५
मांग संख्या ३३—लेखा-परीक्षा २३८७–२४२४
मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा २३८७–२४२५
मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३८—वित्त-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान २३८७–२४२५

	पृष्ठ
मांग संख्या १२०——भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२१——चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजीव्यय ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२२——टकसाल पर पूंजी व्यय	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२३——निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२४——छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२५——वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२६——केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन	२३८७—२४२५
मांग संख्या ६३——सूचना और प्रसारण मंत्रालय	२४२५—२७
मांग संख्या ६४——प्रसारण ...	२४२५—२७
मांग संख्या ६५——सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १३२——प्रसारण पर पूंजी व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या ७५——विधि मंत्रालय	२४२५—२७
मांग संख्या ७६——न्याय-व्यवस्था	२४२५—२७
मांग संख्या ७७——विधि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १०६——अणुशक्ति विभाग	२४२५—२७
मांग संख्या १०७——अणुशक्ति गवेषणा	२४२५—२७
मांग संख्या १४६——अणुशक्ति विभाग का पूंजी व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १०८——संसद्-कार्य विभाग	२४२५—२७
मांग संख्या १०९——लोक-सभा ...	२४२५—२७
मांग संख्या ११०——लोक-सभा के अधीन विविध व्यय ...	२४२५—२७
मांग संख्या १११——राज्य-सभा ...	२४२५—२७
मांग संख्या ११२——उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	२४२५—२७
वित्त विधेयक	२४२७—३०
विचार करने का प्रस्ताव	२४२७
दैनिक संक्षेपिका	२४३१

M117LSD—190—25-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २ – प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

गुरुवार, ५ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११.३० म० पू०

अनुदानों की मांगें*

†**अध्यक्ष महोदय** : अब लोक-सभा निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय से सम्बन्धित मांगों पर विचार करेगी। माननीय मंत्री अपना असमाप्त भाषण प्रारम्भ करेंगे।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : ***

†**कर्नल जैदी** (जिला हरदोई-उत्तर पश्चिम व जिला फर्रुखाबाद-पूर्व व जिला शाहजहांपुर-दक्षिण) : मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या प्रमुख मंत्रालयों के बजट प्राक्कलनों को ३ या ४ घन्टों में निपटा देना उचित है? इतने समय में उन पर भली प्रकार चर्चा नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि इतना कम समय देना स्वस्थ संसदीय परम्परा नहीं होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह समय का बटवारा कार्य मंत्रणा समिति द्वारा किया जाता है। इस मामले पर विचार करने के लिये एक उप-समिति नियुक्त की गई थी परन्तु यह कहा गया कि कार्य की अनुसूची पहले ही निर्धारित की जा चुकी है। उप समिति का भी यही मत था कि स्वास्थ्य मंत्रालय और निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के लिये ३ या ४ घण्टे का समय सर्वथा अपर्याप्त है। उसने प्रत्येक के लिये २ दिन के समय की सिफारिश की है जो संभवतः अगले वर्ष से लागू होगी। इसलिये वर्तमान स्थिति में तो जैसा निश्चित किया जा चुका है उसके अनुसार ही कार्य करना होगा।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : अध्यक्ष महोदय! विभिन्न आवास योजनाओं के सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने आलोचना की। मैं आपकी अनुमति से प्रथम पंच-वर्षीय योजना में किये गये आवास सम्बन्धी उपबन्ध का निर्देश करूँगा।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

†मूल अंग्रेजी में

***अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया

[सरदार स्वर्ण सिंह]

आवास के लिये ३८.५ करोड़ रुपये का सामान्य उपबन्ध किया गया था। विभिन्न योजनाओं के कार्यकरण के साढ़े तीन वर्षों में निम्नलिखित धनराशियों की मंजूरियां दी गईं। औद्योगिक आवास योजना के लिये लगभग २२ करोड़ रुपये की मंजूरियां थीं और वास्तविक व्यय १३ करोड़ रुपये से कुछ अधिक है। इसमें ७९,५०० इकाइयों का निर्माण होना है। अल्प-आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत २१.५ करोड़ रुपयें की मंजूरियां थी और वास्तविक व्यय ११ करोड़ रुपयें है। इस तरह आवास-कार्य पर वास्तव में २४.५ करोड़ रुपये व्यय हुये। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वास्तविक मंजूरियां ४४ करोड़ रुपये से कुछ अधिक की थीं। यह योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के परामर्श और उनकी स्वीकृति से ही किया जा सका।

वास्तव में यह कार्य थोड़ा नहीं है। इससे इस मांग के अन्तर्गत वास्तविक व्यय का आभास नहीं होता क्योंकि भुगतान से वास्तविक निर्माण नहीं मालूम होता जो किया गया है क्योंकि भुगतान थोड़ा सा निर्माण कार्य हो जाने तथा लेखों और विवरणों के उचित लेखा परीक्षण किये जाने के पश्चात् किया जाता है।

इस पृष्ठभूमि में मैं कुछ विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि जहां तक इस आवास के अन्तर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों का सम्बन्ध है वे पूर्ण हो गये हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारूप के अनुसार, जो इस प्रतिष्ठित सभा के समक्ष चर्चा के लिये आयेगा, १२० करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। इसमें से ५० करोड़ औद्योगिक आवास के लिये हैं और ४० करोड़ रुपये प्रयोग के तौर से अल्प-आय वर्ग आवास योजना के लिये निश्चित किये गये हैं। गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये २० करोड़ रुपये का उपबन्ध है और ग्रामीण आवास के लिये ५ करोड़ रुपये की अपेक्षाकृत कम राशि का। इसके अतिरिक्त ३ करोड़ रुपये मध्यम-आय वर्ग आवास के लिये और २ करोड़ रुपये बागानों के मजदूरों के लिये रखे गये हैं।

जहां तक ग्रामीण आवास का सम्बन्ध है, मैं उसके लिये धन की अपर्याप्तता के सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों की भावना जानता हूँ जिन्होंने बहस में भाग लिया है। मैं उसके सम्बन्ध में थोड़ी देर में कहूँगा।

औद्योगिक आवास योजना के सम्बन्ध में केवल मेरे विरोधी मित्र श्री नम्बियार ने आलोचना की। उनकी मुख्य आपत्ति यह थी कि नियोजकों की ओर से पूर्ण प्रोत्साहन नहीं प्राप्त हुआ। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूँ कि नियोजकों की ओर से बहुत कम प्रोत्साहन मिला। यह कुछ आश्चर्यजनक है क्योंकि वित्तीय सहायता सम्बन्धी उपबन्ध बहुत उदार हैं। जब नियोजक मजदूरों के लिये मकान बनाते हैं तो उन्हें २½ प्रतिशत सहायता पाने और ऋण के रूप में अन्य अच्छी रकम प्राप्त करने का हक है जो कि लगभग ३७·५ प्रतिशत है। यदि इसके बावजूद भी प्रोत्साहन कम रहा है तो यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। नियोजकों को आवास का प्रबन्ध करने की आवश्यकता समझाने का प्रत्येक प्रयत्न किया गया है। क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि इसके लिये जबरदस्ती की जाय, यह एक बड़ा प्रश्न है जिस पर, मैं समझता हूँ, योजना आयोग विचार कर रहा है।

जबरदस्ती करने के विरुद्ध नियोजकों ने जो निम्न तर्क उपस्थित किया है उसमें कुछ सार अवश्य है कि इसके परिणामस्वरूप निर्मित वस्तुओं का मूल्य बहुत बढ़ जायगा। मैं इस तर्क का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। वास्तव में, मैं उसके पक्ष अथवा विपक्ष में कोई मत नहीं व्यक्त कर रहा हूँ। परन्तु उस दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया जा रहा है और योजना आयोग में एक उचित निर्णय किया जायेगा क्योंकि यह एक बड़ा प्रश्न है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को उस सम्बन्ध में कुछ आपत्ति हो सकती है। अन्त में, व्यय में कोई भी वृद्धि हो, चाहे वह कैसी भी वांछनीय हो, उससे मूल्य में वृद्धि होती है। उसमें से कितनी देश की अर्थ व्यवस्था सहन कर सकती है यह एक बड़ा प्रश्न है।

मझे विश्वास है कि इन समस्त दृष्टिकोणों पर इन सब पहलुओं से पूर्ण विचार किया जायगा और उस दिशा में कोई भी कदम उठाये जाने के पूर्व समस्त उपलक्षणाओं का उचित मूल्यांकन कर लिया जायेगा ।

†**श्री नम्बियार** (मयूरम्) : वह खर्च तो लाभ में से किया जाना है, अन्य मदों में से नहीं । यदि वह नियोजकों के लाभ में से किया जाना है तो वे उसे क्यों नहीं कर सकते ? वे मूल्य नहीं बढ़ायेंगे ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं नियोजकों का पक्ष नहीं ले रहा हूँ । अन्य आलोचनाओं की तरह इसका उत्तर भी वे ही देंगे । परन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ कि यदि उनका ख्याल यह है कि नियोजकों के लिये यह अनिवार्य कर देने से काम चल जायेगा कि वे अपने लाभ में से कुछ अंश खर्च करके मजदूरों के लिये मकान बनायें तो वह गलती पर हैं क्योंकि उस रकम से कोई अधिक मकान नहीं बन सकेंगे । लाभ की धनराशि को इस प्रकार औद्योगिक मजदूरों के लिये घरों के निर्माण में वापस लगा देने से कोई खास परिणाम नहीं निकलेगा और उसके फलस्वरूप जितने घर बनेंगे वे पर्याप्त नहीं होंगे ।

उन्हीं माननीय सदस्य ने पश्चिमी बंगाल में मकान निर्माण की अपर्याप्तता के सम्बन्ध में भी शिकायत की । यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के नियोजकों, मजदूरों की सहकारी समितियों, और पश्चिमी बंगाल सरकार ने वास्तव में इस औद्योगिक आवास योजना का पर्याप्त लाभ नहीं उठाया है । फिर भी यह याद रखना चाहिये कि पश्चिमी बंगाल में बहुत सी जटिल समस्यायें हैं जिनका वे सामना कर रहे हैं, जिसमें शरणार्थियों की बाढ़ भी सम्मिलित है, और वे इन समस्याओं से संघर्ष कर रहे हैं और उसमें वास्तव में उनके संसाधनों और शक्तियों का बहुत बड़ा भाग खर्च हो जाता है । उन्होंने इस योजना का कुछ लाभ उठाया है, परन्तु मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि जो निर्माण कार्य हुआ है वह कलकत्ता जैसे औद्योगिक नगर के औद्योगिक मजदूरों की संख्या को देखते हुये वास्तव में पर्याप्त नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं । ऐसी कौनसी कठिनाई है जिसके कारण नियोजक उसका लाभ नहीं उठाना चाहते ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं नियोजकों की ओर से क्या उत्तर दे सकता हूँ ।

उनसे न हमारी संधि है और न झगड़ा ही । उत्तर स्पष्टतः यही है कि २५ प्रतिशत सहायता और ३७·५ प्रतिशत ऋण मिल जाने पर भी उन्हें शेष ३७·५ प्रतिशत धन प्राप्त करना है और ऊपर से ऋण का भुगतान भी उन्हें करना होगा । इस सबका मूल्य पर असर पड़ता है और वे कहते हैं कि इस ऊपर के खर्चे से उत्पादन की लागत बहुत बढ़ जाती है । वास्तव में इस मामले की जांच होनी चाहिये । चूंकि माननीय सदस्या उनका दृष्टिकोण समझने को बहुत उत्सुक थीं इसलिये मैंने उसे रख दिया है ।

कुछ अन्य राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस औद्योगिक आवास योजना का बहुत अच्छा लाभ उठाया है और औद्योगिक मजदूरों के लिये काफ़ी बड़ी संख्या में मकान बनाने का काम किया है । इस सम्बन्ध में मुझे खास तौर से उत्तर प्रदेश , बम्बई, मैसूर, मध्य-भारत और हैदराबाद का उल्लेख करना है । इन राज्यों ने अपने अनेक महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों में इन औद्योगिक मजदूरों के लिये मकानों का कार्य प्रारम्भ किया है । मैं लोक-सभा के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूँगा, जो मेरी समझ से देश का पर्यटन किया करते हैं, कि वे उस समस्त कार्य की जानकारी प्राप्त करें, जो किया जा रहा है, और समय निकाल कर इन नये औद्योगिक मकानों को जा कर देखें और मैं कुछ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस समस्त विरोध और आलोचना के बावजूद भी वे इन नई बनी कुछ बस्तियों को अवश्य पंसद करेंगे ।

†**श्री केशव अय्यंगार** (बंगलौर उत्तर) : ऐसे मकान वर्षों तक खाली क्यों पड़े रहते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह बात संभवत: मैसूर के श्री राचय्या ने कही थी कि ये मकान खाली पड़े रहे हैं। में नहीं समझता कि मैसूर के अतिरिक्त भी कहीं खाली पड़े हैं। हम इस बात पर बल दे रहे हैं कि वास्तव में किरायेदारों, औद्योगिक मजदूरों को उठाये जाने के पूर्व समस्त सुविधाओं का पर्याप्त प्रबन्ध हो जाय जैसे पानी, बिजली आदि। हो सकता है कि कुछ बस्तियों में, जिनको माननीय सदस्य ने खाली पाया, अभी इन सुविधाओं का प्रबन्ध न हो सका हो। फिर भी, हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि मकानों के बन जाने पर उन्हें खाली न पड़ा रहने दिया जाय क्योंकि यह निर्माण इमारतें खड़ी करने के लिये ही तो नहीं किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि मजदूरों को उनसे लाभ पहुँचे।

अब मैं थोड़े से शब्द अल्प-आय वर्ग आवास योजना के सम्बन्ध में कहूँगा। इस योजना की आलोचना के रूप में एक ही बात कही गई कि इस योजना के अन्तर्गत केवल उन्हीं आदमियों को लाभ हो सकता है जिन की वार्षिक आय ६००० रुपये हो और यह ८००० रुपये का ऋण केवल ऐसे ही आदमियों को दिया जा रहा है। मेरे आदरणीय मित्र श्री मोहनलाल सक्सेना ने, जिन्होंने इस समस्या पर बहुत विचार किया है, इस प्रकार की बात कही। यद्यपि माननीय सदस्य ताना मारने के ढंग से बात करते हैं, परन्तु फिर भी मैं कहूँगा कि उन्होंने समस्या पर कुछ विचार अवश्य किया है। हां, कभी कभी उनका गणित ठीक नहीं होता और कभी कभी वे ऐसी धारणा बना लेते हैं जो एकांगी होती है जिससे उनको डिगाना सरल नहीं होता। मैं उस दृष्टिकोण की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। वह बड़ी अच्छी बात हो सकती है। परन्तु उस से मेरे मंत्रालय को ही नहीं वरन् कभी कभी मेरे कुछ सहयोगियों को भी कठिनाई हो जाती है कि जैसी आलोचना वह करते हैं उसे सुलझाया कैसे जाय। उदाहरणार्थ, इस खास मामले में, वह यह भूल जाते हैं कि यह ६००० रुपये सालाना की आय अधिकतम सीमा है और उस वर्ग में ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसकी २०० रुपये या ३०० रुपये या ४०० रुपये या ५०० रुपये मासिक आय हो, इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण के रूप में वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि उन्हीं आदमियों को इसका लाभ मिल सकता है जिनकी वार्षिक आय ६००० रुपये है। अधिकतम सीमा के इस पहलू को उन्हें ध्यान में रखना होगा। यह लाभ उस आय के वर्ग के लिये है जिसकी अधिकतम सीमा ६००० रुपये है। मैं समझता हूँ उनके तर्क के पीछे यह एक भ्रान्ति थी जब उन्होंने कहा कि केवल ६००० रुपये वार्षिक आय वाले आदमी लाभ उठा सकते हैं। फिर, उन्होंने यह भी नहीं बताया इस सम्बन्ध में क्या सीमा रखी जाय। इसी तरह, एक व्यक्ति को ८००० रुपये का ऋण भी निर्धारित की गई अधिकतम सीमा है।

वास्तविक अनुभव से मालूम होता है कि राज्य सरकारें, जो इस योजना के अन्तर्गत सहायता देती हैं, भावी मकान बनाने वाले की आवश्यकताओं की सावधानी से छानबीन करती हैं। वे उसकी आय देखती हैं; वे उसकी आवश्यकतायें मालूम करती हैं; वे यह मालूम करती हैं कि वह ऋण की अदायगी कर सकेगा या नहीं; वे यह मालूम करती हैं कि ऋण के भुगतान की जो किस्तें उसे देनी हैं वे ऐसी तो नहीं हैं जो उसके लिये भारस्वरूप हों। इसलिये उसको दी जाने वाली वास्तविक धनराशि का निर्णय करने में इन सब बातों पर विचार किया जाता है। इस मंत्रालय को यह ज्ञात है कि इस योजना के अन्तर्गत ऋण के रूप में २००० रुपये से लेकर ८००० रुपये तक की धनराशियां दी गई हैं।

मेरे पास इस समय ठीक-ठीक आंकड़ें नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिन्होंने इस योजना के अधीन सहायता मांगी है, विभिन्न स्थितियों में राशि भी भिन्न हो सकती है।

उन्हीं माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि इस योजना के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को सहायता नहीं दी जानी चाहिये जो कि बड़े मकान बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दो कमरे वाले मकानों को ही यह सहायता दी जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा अनुमान है कि उन्हें निर्माण का कुछ अनुभव है। उन्होंने अपने संगठन के द्वारा कम लागत के मकानों की प्रदर्शनी में एक या दो मकान प्रदर्शित करने की कृपा की थी। उन्हें पूरी तरह मालूम है कि एक व्यक्ति को छोटे दो कमरे वाले मकान बनाने में कितना व्यय करना पड़ता है, उसके साथ रसोईघर, गुसलखाना तथा अन्य सुविधायें होनी चाहियें। इतने छोटे आकार के एक स्वतंत्र मकान में, भूमि की कीमत जोड़कर ८००० रुपये से १०००० रुपये व्यय आ सकता है। वस्तुतः जब हम इस सीमा की बात करते हैं तो वित्तीय सहायता स्वयं ही सीमा बाँध देती है। वस्तुतः यह कहना भी अनुचित है कि जो व्यक्ति ढाई कमरों वाले मकान का निर्माण करना चाहता है उसे सहायता न दी जाय। ऐसी कठोर सीमा लगाना न्यायोचित नहीं है। हमारा अभिप्राय यह है कि योजना पर्याप्त लचीली हो जिससे कि उसमें भारत जैसे विशाल देश के अन्तर्गत पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जलवायु, सामाजिक तथा अन्य प्रकार की अवस्थाओं से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की स्थानीय अवस्थाओं के अनुरूप परिवर्तन कर के उसे देश की विभिन्न स्थितियों के उपयुक्त बनाया जा सके।

हमने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में एक कमरे के मकान बनाने की आज्ञा दे कर पर्याप्त रियायत दिखाई है। मैं जानता हूँ कि एक कमरे के मकानों के निर्माण के विरुद्ध सामान्यतः बहुत आलोचना की जाती है। यदि हम ने यह आग्रह किया होता कि पिछले वर्ष की अप्रत्याशित बाढ़ से कष्ट उठाने वाले लोगों को तभी सहायता मिलनी चाहिये जब वे दो कमरों वाले मकान का निर्माण करें, तो हो सकता था कि हम आपात कालीन स्थिति का सफलता से सामना नहीं कर पाते। इसलिये बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के लिये, हमने अस्थायी रूप से यह रियायत की कि उनको उनके पैरों पर खड़े होने के लिये १००० रुपये, १५०० रुपये या २००० रुपये की अल्प राशि की सहायता भी उपलब्ध है जिससे बाढ़ से होने वाली भारी विपत्ति कुछ अंशों में कम हो सके। इसलिये मैं यह निवेदन करूँगा कि अल्प-आय वर्ग गृह-निर्माण योजना पर्याप्त विचार कर लेने के पश्चात ही बनाई गई है। यदि कोई बात, ऋण की राशि अथवा योजना के रूप में परिवर्तन करने अथवा निचले अथवा ऊँचे आय वर्ग को उसमें शामिल करने के सम्बन्ध में हो, तो इस बात पर निरंतर विचार किया जा सकता है। मैं सदैव अपने ज्येष्ठ सहयोगियों से परामर्श लेता रहता हूँ और हम एक पारस्परिक परामर्श के पश्चात् ही कोई निर्णय करते हैं।

इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भूमि के सम्बन्ध में उठाया। इस सम्बन्ध में की गई आलोचना की बातों में पर्याप्त बल है। गृह-निर्माण योजना का मूल भूमि की उपलब्धि है। सभी जानते हैं कि कई कारणों से, जिनको बताने की आवश्यकता नहीं है, यथा लोगों का नगरों की ओर आने से, भूमि की कमी पड़ गई है। किसी भी गृह निर्माण योजना के लिये, वस्तुतः उपयुक्त जमीन की व्यवस्था सब से मुख्य बात है, चाहे वह औद्योगिक श्रमिकों के लिये हो, अथवा अल्प आय वर्ग, अथवा किसी भी वर्ग के लिये। हम इस समस्या पर काफी विचार कर रहे हैं। इस दिशा में कुछ ठोस कदम भी उठाये गये हैं। उदाहरणस्वरूप हम राज्य सरकारों को अल्पकालीन ऋण देते हैं जिन्हें वह ३ से ५ वर्षों में लौटा सकते हैं। इस पर ब्याज की दर भी बहुत कम है। यह केवल ३·५ प्रतिशत है। इन ऋणों का उद्देश्य यह है कि इनकी सहायता से लोग भूमि अर्जित कर सकें और उसमें नालियों, बिजली, सड़कों और ऐसी ही अन्य सुविधायों की व्यवस्था करके उसका इस शर्त पर विकास कर सकें कि उसके छोटे-छोटे भूमि खंड (प्लौट) बना कर मकान निर्माण की इच्छा रखने वालों को लागत मूल्य पर दे दिये जायेंगे। मेरा निवेदन है कि यह बहुत अच्छी व्यवस्था है। वस्तुतः राज्यों को केवल अपने प्रशासनिक कर्मचारियों को तैयार करना है और अपने को इस योग्य बनाना है कि वे इस योजना का लाभ उठा सकें। भूमि का अर्जन और उसका विकास करना आसान काम नहीं है। इसमें कुछ समय लगता है। भूमिखंडों (प्लौटों) का स्थान निश्चित करना होता है। तब बहुत तरह के दबाव पड़ते हैं। कई प्रकार के निहित तथा अन्य स्वार्थ अपना काम करते हैं। इन क्षेत्रों में भूमि का अर्जन तथा विकास करने की यह

[सरदार स्वर्ण सिंह]

सहायता केवल राज्य सरकारों के लिये ही नहीं है, अपितु स्थानीय निकाय भी इन क्षेत्रों के विकास के लिये राज्य सरकारों के द्वारा इस योजना से लाभ उठा सकते हैं। लागत मूल्य का यह सिद्धान्त विशुद्ध आदर्शवादी है। मुझे पता है कि देश के एक भाग में इस योजना का परीक्षण किया गया है। वस्तुतः वितरण या तो किसी प्रकार की लाटरी प्रणाली से अथवा पहिले आने वाले व्यक्ति को पहिले दिये जाने के आधार पर किया जाता है। इन विकसित स्थानों को लागत मूल्य पर वितरण करने के लिये, कोई न कोई प्रणाली सदैव निकाली जा सकती है। उदाहरणस्वरूप पंजाब सरकार ने नई राजधानी चन्डीगढ़ में भूमि खंड (प्लौट) नियत मूल्य पर, बिना नीलाम किये हुये, लागत मूल्य पर दिये हैं। भूमि-खंडों (प्लौटों) के क्षेत्र नियत रहते हैं, भूमि खंड चाहने वाले व्यक्ति की बारी क्रमशः आती है। स्थानों का वितरण करने के लिये या तो लाटरी डाली जाती है या कोई अन्य तरीका अपनाया जाता है, या तो किसी व्यक्ति को किसी भूमिखंड लेने में पूर्ववर्तिता मिलती है अथवा वह कोई विशेष स्थान पसन्द कर सकता है। किन्तु मूल्य वही रहता है जिस पर उसके निवास इत्यादि का व्यय शामिल रहता है। इसलिये यह आशा की जाती है कि इस शीर्ष क अन्तर्गत उपलब्ध सहायता का उत्तरोत्तर लाभ उठाने से भूमि का प्रश्न सफलता से हल हो सकता है।

कुछ समय पूर्व शिमला में हुये आवास मंत्रियों के सम्मेलन में इस बड़े प्रश्न पर भी विचार किया गया था कि अर्जन का कार्य प्रारम्भ होने पर भूमि के मालिकों को कितना मूल्य दिया गया। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि प्रतिकर की राशि का निर्धारण करने के लिये कोई समान सूत्र निकाला जाय। सभा को यह ज्ञात है कि इस सम्बन्ध में कोई विधान बनाना राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि राज्य के प्रयोजन के लिये भूमि का अर्जन करना विभिन्न राज्य सरकारों के दायित्व में और उनके क्षेत्र में है। मैं आपको यह बता दूं कि कुछ राज्यों ने अपने क्षेत्रों में भूमि की चकबन्दी के कार्य के समय गाँवों के निकट कुछ भूमि को उन गाँवों के भूमिहीन लोगों के लिये बस्तियां बनाने के लिये, निश्चित करने की व्यवस्था की है। मैं कई राज्यों को जानता हूँ, जहाँ कि उन्होंने यह व्यवस्था की कि जब चकबन्दी का कार्य हो तो कुल भूमि में से कुछ क्षेत्र, गाँव की आबादी की वृद्धि के लिये छोड़ दिया जाये। उस हिस्से के लिये जिससे यह बड़ा पुंज बनता है प्रत्येक भूमि के मालिक से एक निश्चित दर के अनुसार भूमि ली जाती है। ये उन कार्यवाहियों म से कुछ हैं जो कि इस सम्बन्ध में की जा रही हैं। वस्तुतः इस मामले में अधिक ध्यान देने और अधिक तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है और मैं आशा करता हूँ कि इस मामले में योजना आयोग और विभिन्न राज्यों में यथोचित ध्यान दिया जायेगा।

मध्य आय वर्गीय गृह निर्माण योजना के पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा गया। वस्तुतः यह मामला श्री राधा रमण बनाम श्री मोहन लाल सक्सेना का है। श्री मोहन लाल सक्सेना मुझसे इस बात से बहुत अप्रसन्न हैं कि मैं अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना का लाभ ऐसे लोगों को भी दे रहा हूँ जिन की आय ६००० रुपये प्रति वर्ष है और राधा रमण ने आग्रह किया है कि हमें मध्य आय वर्ग गृह निर्माण योजना का पुनरुद्धार करना चाहिये जिसकी प्रगति को बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के निर्णय से अस्थायी धक्का लगा है। अस्थायी रूप से आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान में हमने इस मध्य आय वर्ग गृह-निर्माण योजना में सरकार के अंश के रूप में ३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। आशा है कि लगभग १० करोड़ रुपये बीमा समवायों से आ जायेंगे और ये ६००० रुपये प्रति वर्ष की आय वाले वर्ग के लोगों को दे दिये जायेंगे।

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम्) : अब यह समझ में आ गया है कि बीमा के राष्ट्रीयकरण से सरकार को हानि हुई है। अब सारी राशि सरकार के नियंत्रण में है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे माननीय मित्र वस्तुतः उस तर्क का अनुमान लगा रहे हैं जिसे मैं करना चाहता हूँ। मैं यह कहना चाह रहा था कि इस बात पर निराश होने का कोई कारण नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय बीमा निगम अपनी विनियोजन नीति की विस्तृत परीक्षा करेगा और यह आशा है कि लोग गृह-निर्माण में विनियोजन के लिये कुछ व्यवस्था करने में समर्थ होंगे। वह किस वेतन वर्ग तक को लेने को तैयार है अथवा वह किस सीमा तक ऋण की राशि अग्रिम धन के रूप में देने को तैयार है इस बात का निर्णय तो बाद में किया जायेगा, किन्तु मैं आशा करता हूँ कि बीमा निगम की नीति निर्धारण करने वालों के लिये गृह निर्माण के लिये कुछ धन की व्यवस्था करना सम्भव होगा।

तत्पश्चात् सभा के विभिन्न पक्षों की ओर से, गंदी बस्तियों को साफ करने का महत्वपूर्ण प्रश्न विचार के लिये उठाया गया है। मैं गंदी बस्तियों की उस अमानवीय और दुखदायी अवस्था का, जिस में इन बस्तियों के लोग रह रहे हैं और जिसकी बार बार चर्चा की जा चुकी है, पुनः वर्णन नहीं करना चाहता। इस सम्बन्ध में किया जाने वाला प्रत्येक कार्य वाँछनीय है और इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ करना अत्यावश्यक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में गंदी बस्तियों को साफ करने के लिये २० करोड़ रुपये की व्यवस्था है। मैं जानता हूँ यह राशि पर्याप्त नहीं है, किन्तु जब यह सारी योजना सभा के सम्मुख रखी जायेगी तब कदाचित् सदस्य अन्य सम्बन्धित प्रतियोगी मांगों के सम्बन्ध में अधिक अच्छा निर्णय कर सकेंगे और देश के कुल संसाधनों के उपयोग का सर्वोत्तम तरीका बता सकेंगे। यदि अन्य प्रतियोगी माँगों की ध्यानपूर्वक जाँच करने के पश्चात् वे इस सम्बन्ध में अधिक धन देने का समर्थन कर सकें तो मुझे सर्वाधिक प्रसन्नता होगी। किन्तु इस राशि का निश्चय बहुत सावधानी के बाद किया गया है और योजना आयोग ने इस पर अत्याधिक सहानुभूति से विचार करने को कहा है। किन्तु एक ऐसे देश में, जहाँ प्रगति की रफ्तार तेज करनी है, सामाजिक सुविधाओं और प्रत्यक्ष उत्पादन कार्यों में एक संतुलन रखना पड़ेगा। इन दोनों के बीच विभाजन रेखा खींचना सरल नहीं है, तथापि विभाजन रेखा कहीं न कहीं खींचनी ही पड़ेगी। हमने इसे खींच दिया है। अब सभा को इसका समर्थन करना है और वस्तुतः अन्य कई बातें सभा में चर्चा हो जाने के बाद निकलने वाली योजना पर ही निर्भर रहेंगी।

गंदी बस्तियों को साफ करने की योजना को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में, उन्हें फिर से मकान देने, तथा उन्हें कहाँ मकान दिया जाय और उन्हें कौन सा वैकल्पिक स्थान दिया जाय इत्यादि के सम्बन्ध में अत्यंत लाभदायक सुझाव दिये गये हैं। मुझे विश्वास है कि इन सुझावों पर वे विभिन्न एजेन्सियां, जिन्हें इन विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम सौंपा गया है, पर्याप्त ध्यान देंगी। लेकिन एक बात कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। गंदी बस्ती को साफ करने की किसी भी योजना में दो मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिये। पहिली यह कि ५० प्रतिशत वित्तीय सहायता दिये जाने पर भी, दिल्ली सुधार प्रन्यास को आज यह ज्ञात हुआ है कि वहाँ निर्माण किये गये नये मकानों का जो किराया लगाया गया है वह किराया भी गंदी बस्तियों के रहने वाले लोग नहीं दे सकते हैं। दूसरे इन गंदी बस्तियों को साफ करने के पश्चात् ली गई भूमि पर उन लोगों को मकान देने की सद्भावना के रहने पर भी वे सभी विभिन्न व्यक्ति उसी क्षेत्र में नहीं बसाये जा सकते। इसलिये इस स्थिति में कुछ व्यक्तियों को हटाना अनिवार्य है। इसे कैसे अच्छी तरह किया जा सकता है? यह स्थान स्थान के ऊपर निर्भर है और मैं प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में विस्तार से नहीं बता सकता कि उन्हें अमुक स्थान से ५० गज, २०० गज अथवा एक मील हटना पड़ेगा। यह विस्तार का विषय है।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** (दर्राग) : यदि आप एक के ऊपर एक मकान बनायें तो ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : सभी स्थानों में एक के ऊपर एक मकान बनाना संभव नहीं है और इससे अन्य कठिनाइयाँ पैदा हो जायेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राधा रमण** (दिल्ली नगर) : ५०० रुपये अनुदान देने की पुनर्वास योजना बहुत सफल रही है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : श्री राधा रमण ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हटाये गये इन लोगों के पुनर्वास में, ५०० रुपये का अनुदान देने और उन्हें कोई भूमिखंड बता देने की योजना खूब सफल रही है । मुझे इस बात से प्रसन्नता है और मुझे इस बात का विश्वास है कि इस सम्बन्ध में कुछ किया जा सकेगा । मैं केवल स्थिति की कठिनाइयाँ बता रहा था । किसी भी गंदी बस्ती को साफ करने की किसी भी योजना को क्रियान्वित करने से होने वाले वास्तविक परिणामों का निर्धारण करते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिये ।

तत्पश्चात् एक के बाद दूसरे सदस्य ने ग्रामीण गृह निर्माण की आलोचना की है । ग्रामीण गृह-निर्माण अनिवार्यतः गावों के पुनर्निर्माण के लिये भूमि ढूंढने और विभिन्न प्रकार के मकानों के निर्माण के लिये निकटवर्ती स्थान में उपयुक्त भूमिखण्डों की व्यवस्था करना है । दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देहातों में मकानों के निर्माण का कार्य प्रत्यक्ष रूप से संभालने के लिये योजना आयोग और सरकार काफ़ी धन नहीं जुटा सकी है । यह एक ऐसी कालावधि है जिसमें आदर्श गांव बना कर या सामुदायिक केन्द्रों में सहायता दे कर या छोटे नगरों, नगरपालिकाओं और कई स्थानों आदि पर हरिजनों के लिये कुछ कर के एक प्रकार का प्रारम्भिक प्रयत्न किया जायेगा । परन्तु मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वर्तमान संकेतों के अनुसार देहातों में मकानों के निर्माण के सम्बन्ध में किसी बड़े पैमाने पर सहायता दे कर प्रत्यक्ष रूप से मकान बनाने का कार्य संभालने के लिये पर्याप्त धन प्राप्त नहीं है । परन्तु मुझे विश्वास है कि यदि भूमि की इस समस्या को सन्तोषजनक ढंग से सुलझा लिया गया, जैसे कि उसे कुछ राज्यों में सुलझाया जा रहा है, तो वह ऐसी परिस्थितियों के अन्त्य निर्माण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा जिस में सामान्य आर्थिक परिस्थितियों में सुधार होने पर देहातों में मकानों की व्यवस्था को अवश्य ही बहुत प्रोत्साहन मिलेगा ।

अब मैं संक्षेप में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के सम्बन्ध में कुछ कहूँगा । इसकी काफ़ी आलोचना की गई है इसलिये मैं यह बताना चाहूँगा कि यह देखने के लिये कि कार्य विशिष्ट बातों के अनुसार किया जाये तथा उल्लिखित श्रेणी का हो, निर्माण से पहले, निर्माण के दौरान में तथा निर्माण के बाद किन-किन कार्यवाहियों के किये जाने की व्यवस्था है । लोक-सभा के माननीय सदस्यों को अच्छी तरह मालूम है कि साधारणतया टैण्डर आमंत्रित कर के काम दिया जाता है । विभिन्न स्थानों के लिये अनुसूचित दर निर्धारित किये गये हैं और हाल ही में कई स्थानों के लिये उन में परिवर्तन किया गया है । इस अनुसूची की सदैव जांच पड़ताल की जाती है ।

उन टैंडरों की प्राप्ति के पश्चात् निर्माण मंत्रणा बोर्ड सावधानीपूर्वक उनकी जांच करता है । इस बोर्ड में हैं इंजीनियर, वित्तीय प्रतिनिधि तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली के प्रतिनिधि होते हैं । यह तीनों उन टैंडरों की एक साथ जांच करके अपनी सिफारिश देते हैं । यदि धनराशि एक निश्चित सीमा से अधिक होती है तो इन प्रस्तावों की स्वीकृति उच्च स्तर पर की जाती है ।

हमने एक निर्माण सर्वेक्षक रखने की पद्धति लागू की है । इस सर्वेक्षक का सम्बन्ध न केवल ठेके का फारम तैयार करने से होता है प्रत्युत यह निर्माण कार्य पर भी नियंत्रण रखता है । इसके पश्चात् अधीक्षण कर्मचारी होते हैं ।

मैं यह नहीं कह सकता कि इतना सब करने के पश्चात् भी इस विभाग से भ्रष्टाचार पूर्णतः समाप्त हो गया है । परन्तु मेरा यह नम्र निवेदन है कि माननीय सदस्य सुझाव दें कि और उचित रूप में क्या

†मूल अंग्रेजी में

किया जा सकता है। हम इस विषय पर कि और क्या किया जा सकता है, अनौपचारिक परामर्श समिति में चर्चा करेंगे। कुछ सुझाव दिये गये हैं कि इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित व्यक्तियों, जैसे ठेकेदारों अथवा इंजीनियरों द्वारा एकत्रित की जाने वाली धनराशि पर भी कुछ नियंत्रण होना चाहिये। आय-कर प्राधिकारी अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार के कार्य सर्वदा ही करते रहते हैं। इस प्रकार के एक मामले की मुझे जानकारी है। इंजीनियरिंग विभाग के एक कर्मचारी ने ७०,००० रुपये बैंक में रखे और इसकी जानकारी होने पर आयकर अधिकारियों ने जांच की तथा लगभग सभी धनराशि उससे ले ली गई। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों की आस्तियों का परिगणन आयकर प्राधिकारी अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। परन्तु यह कहना कि यह पर्याप्त है अथवा नहीं, मेरे लिये कठिन है। परन्तु मैं कठोर तथा जागरूक अधीक्षण के अतिरिक्त किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने को प्रस्तुत हूं जिससे इस प्रकार की गड़बड़ी प्रभावोत्पादक रूप से रोकी जा सके।

मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि मकानों तथा अन्य इमारतों की लागत की यदि इसी तरह की दूसरी सरकारी अथवा गैर-सरकारी इमारतों की लागत के साथ तुलना की जाय, तो यह कोई असंतोषजनक नहीं दिखाई दे पड़ता है।

परन्तु यह सर्वदा याद रखना चाहिये कि राज्य स्तर पर, बन्दरगाहों में, नगरपालिकाओं में, एम० ई० एस० में, तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में किये जाने वाले निर्माण कार्यों से केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के लिये कुछ प्रतिशत कम ही है। तथा हमने एक विजिलैंस आफिसर नियुक्त किया है जिसका काम यह होगा कि प्रशासन की जांच करे तथा विभाग में भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयत्न करे।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये कुछ पुल टूट गये हैं। मैं नहीं जानता कि वह किन पुलों के सम्बन्ध में कह रहे थे परन्तु मैंने जांच की तो ज्ञात हुआ कि लोक-निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया कोई भी पुल गत बाढ़ में नहीं टूटा है।

इस सम्बन्ध में, मैं सभा को याद दिला देना चाहता हूँ कि सरकार को इसकी पूर्णतया जानकारी है तथा वित्त मंत्री ने अपने आय-व्ययक भाषण में विशेषतया कहा था कि सरकार का विचार इस प्रकार की कार्यप्रणाली बनाने का है जो परियोजनाओं के बनते समय अथवा पूर्णतया बन जाने के पश्चात्, इन परियोजनाओं की जांच करे। वित्त मंत्री ने अपने आय-व्ययक भाषण में यह कहा है:—

"हम लोग योजना आयोग से परामर्श करते रहते हैं और अब इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस मामले में कार्रवाई करने का सब से अच्छा तरीका यह होगा कि उच्च अधिकार प्राप्त एक विशेष समिति नियुक्त की जाय, जिसमें केन्द्र के मंत्रिगण तथा योजना आयोग के उप-सभापति रहें और यह समिति विशेष रूप से चुने हुये दलों द्वारा पूरी-पूरी छानबीन की व्यवस्था करे जिसके अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों में चलने वाले बड़े-बड़े योजना कार्यों के क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास परिषद् की सहमति से, निरीक्षण करना भी सम्मिलित हो। ये दल सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों को, जो सम्बद्ध अन्वेषण के प्रत्येक समूह के लिये विशेष रूप से चुने जायेंगे, मिला कर बनाये जायेंगे और बाहर के विशेषज्ञों से भी इन्हें सहायता दिलायी जा सकती है।"

मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि सरकार का ध्यान इस प्रश्न की ओर दे तथा यह जानने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं कि इस जांच आदि से भ्रष्टाचार में कितनी कमी हुई है।

मद्रास के एक माननीय सदस्य ने काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में कुछ कहा था। इस प्रश्न पर प्रत्येक वर्ष विचार किया जाता है तथा यह निश्चित है कि सभा के कुछ माननीय सदस्य काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों की सेवा शर्तों की चर्चा करें। मैं इस सम्बन्ध में कुछ दिन पूर्व किये कुछ कार्यों के सम्बन्ध में कुछ कहूँगा जिससे सबको जानकारी

[सरदार स्वर्ण सिंह]

हो जाये कि इस समस्या की ओर भी हमारा ध्यान है तथा इस पर सर्वदा शीघ्रतापूर्वक विचार किया जाता है ।

जहाँ तक सेवा के स्थायित्व का प्रश्न है, कितने ही लोक-निर्माण विभाग के काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारी बार बार स्थायी तथा अर्द्धस्थायी के प्रश्न की माँग कर रहे हैं । सरकार ने इनमें से, जिन्होंने सितम्बर १९५३ तक दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, २५२९ व्यक्तियों को स्थायी बनाने के आदेश दे दिये हैं । काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये १,११८ पदों को अर्द्ध-स्थायी घोषित करने के आदेश भी दिये जा चुके हैं । १९५५-५६ वर्ष में १ सितम्बर १९५३ को दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को अर्द्धस्थायी घोषित करने के आदेश दिये जा चुके हैं । आप इस कार्य की सराहना करेंगे । इन आदेशों के परिणामस्वरुप ८,३६३ और कर्मचारी अर्द्धस्थायी हो जायेंगे । संक्षेप में, आज की स्थिति के अनुसार कुल १३,००० काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों में से २,५२९ स्थायी पद तथा ९,४७१ अर्द्धस्थायी पद हैं तथा शेष लगभग एक हज़ार कर्मचारी अस्थायी हैं । कार्य के यदाकदा बढ़ने के कारण यह आवश्यक भी है ।

रिहाइशी मकानों के सम्बन्ध में भी हमने कुछ किया है । तथा १९५६-५७ के आय-व्ययक में प्रस्तावित निर्माण से स्थिति बहुत सुधर जायेगी क्योंकि दिल्ली तथा नई दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के लगभग ८० प्रतिशत कर्मचारियों के लिये मकानों की व्यवस्था हो जायेगी । काम पर स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों की भी यही प्रतिशतता रखनें का विचार है । वर्तमान वर्ष में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने की आशा है तथा यदि कुछ शेष रहेगा तो यथासंभव कम अवधि में इसको शीघ्र पूर्ण करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

कुछ चिकित्सा सुविधाओं के सम्बन्ध में कहा गया था । मैं यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में ६ डिस्पैंसरी हैं जिनमें से दो में योग्य डाक्टर हैं तथा यह कहना कि इन में केवल कम्पाउन्डर हैं, उचित नहीं है ।

इसके अतिरिक्त इन कर्मचारियों की सेवा के लिये एक चलती फिरती डिस्पैंसरी है तथा एक और चलती फिरती डिस्पैंसरी चलाने का सरकार का विचार है । इस प्रकार इन डिस्पैंसरियों में दो अर्हता-प्राप्त डाक्टर हैं तथा दो चलती फिरती डिस्पैंसरियाँ ९००० व्यक्तियों की चिकित्सा सुविधाओं के लिये अपर्याप्त नहीं हैं । मेरा विचार, स्वास्थ्य मंत्रालय से इस प्रश्न पर बातचीत करने का है कि इन कर्मचारियों को और सुविधायें दी जा सकती हैं ।

इसके पश्चात् राष्ट्रपति भवन के २५० मालियों के सम्बन्ध में कहा गया । मैंने जांच की तथा यह जानकारी हुई कि इनमें से ८० को क्वार्टर मिल चुके हैं तथा हमारा विचार और मकान बनाने का है जिससे और मालियों को मकान दिये जा सकें ।

जहां तक छपाई तथा लेखन-सामग्री का सम्बन्ध है, योजना अवधि में नासिक में एक नयी प्रेस बनाने के लिये १०२.२ लाख रुपये की व्यवस्था थी । मुझे सभा को यह बताते हुये प्रसन्नता है कि यह प्रेस बन चुकी है । मकान भी बनाये जा चुके हैं तथा इस कार्य के पूर्ण होने के लिये जो लक्ष्य निश्चित किया गया था वह पूर्ण हो चुका है । दूसरी योजना की अवधि में, विभिन्न प्रेसों के लिये ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था है तथा इस से दक्षिण में एक प्रेस खोलने का विचार है जिस पर लगभग १·५ करोड़ रुपये खर्च होगा । हमारा विचार वर्तमान प्रेसों में हिन्दी शाखाएं खोलने तथा अलीगढ़ प्रेस तथा कलकत्ता प्रेस के कर्मचारियों को मकानों की व्यवस्था करने का है । हमारा विचार कलकत्ता प्रेस के लिये इमारतें बनाने का तथा फरीदाबाद के प्रेस के विस्तार का है ।

किसी ठेकेदार के २५० कर्मचारियों के द्वारा की गई हड़ताल के सम्बन्ध में कुछ कहा गया । यह याद रखना चाहिये कि वह ठेकेदार के श्रमिक थे । परन्तु फिर भी एक आपसी समझौता कराने का पूर्ण प्रयत्न किया गया । क्रय संगठन तथा देश में निर्मित भांडारों तथा कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों

जैसे खादी को लेने के सम्बन्ध में कहा गया। इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से उपयोग करना हमारी निश्चित नीति है। मैं सभा में समय समय पर जो प्रगति हमने की है उसके आंकड़े बता चुका हूँ।

मैंने दो प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये हैं। एक एस्टेट आफिस के सम्बन्ध में है। दिल्ली में प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में पर्याप्त भवन निर्माण किये गये हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के मकानों की कमी को समाप्त करने का हमारा विचार है। हम कुछ कार्यालयों को दिल्ली से बाहर ले जाने का विचार कर रहे हैं। मैं सभा में कई बार बता चुका हूँ कि मुझे सफलता नहीं मिली है। कारण बताये गये हैं कि विभिन्न मंत्रालयों के सक्षमतापूर्वक कार्य के लिए दिल्ली में एक एकत्रीकरण आवश्यक है। इसलिये जब सभी प्रयास किये जा रहे हैं, मैं यह भी प्रयत्न कर रहा हूँ कि दिल्ली में मकानों तथा कार्यालयों का एकत्रीकरण हो क्योंकि मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यदि हम कुछ कार्यालयों को दिल्ली से बाहर ले जाने में सफल भी हुये फिर भी कार्यालयों तथा निवासस्थानों के लिये और अधिक भवननिर्माणों की आवश्यकता है।

एक प्रश्न यह भी उठाया गया कि पेट्रोल का विषय कई मंत्रालयों के अन्तर्गत आ जाता है। इस विषय पर हमारा ध्यान है तथा आशा है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का समन्वय किया जायेगा।

आपने मुझे कुछ अधिक समय दिया इसका मैं आपका आभारी हूँ। मैं सभी सदस्यों जिन्होंने चर्चा में भाग लिया है, को धन्यवाद देता हूँ।

†**श्री कामत** : मंत्रालय ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के स्तर पर **हैन्सर्ड** छपवाने में कब तक पहुँच जायेगा।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : हमें अपनी तुलना एक बाह्य अभिकरण से नहीं करनी चाहिये। परन्तु मेरा विचार इन वाद विवादों को शीघ्र छपाने का है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सब कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : "कि कार्य-सूची के चौथे स्तम्भ में दिखाई गई राशियों से अनधिक पृथक राशियों राष्ट्रपति को, निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में, जो दूसरे स्तम्भ में दिखाई गई हैं, उन भारों के लिये दी जाय जिनका भुगतान ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जायेगा।

मांग संख्या १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १४३, १४४ और १४५

[जो मांगें सभा द्वारा स्वीकृत हुईं वे नीचे दी जाती हैं--सम्पादक]

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१०१	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय	५२,४३,००० रुपये
१०२	संभरण	२,११,५९,००० रुपये
१०३	अन्य असैनिक निर्माण-कार्य	१७,९५,६०,००० रुपये
१०४	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	५,६३,०४,००० रुपये
१०५	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	६०,००,००० रुपये
१४३	नई-दिल्ली पूंजी व्यय	९,१७,८४,००० रुपये
१४४	भवनों पर पूंजी व्यय	९,२८,९५,००० रुपये
१४५	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय अन्य पूंजी व्यय	३,७१,२२,००० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा उत्पादन मंत्रालय की मांग संख्या ८७, ८८, ८९, ९०, ९१ और १३८ पर विचार करेगी । इसके लिये ६ घंटे निश्चित किये गये हैं । अब हम १२ बज कर २८ मिनट पर आरम्भ कर रहे हैं । हमें ६.५ बजे तक यह चर्चा खत्म कर देनी चाहिये ।

इस पर कई कटौती प्रस्ताव रखे गये हैं । उन की सूचना देने वालों में से जो सदस्य अपना प्रस्ताव रखना चाहें वे मुझे पन्द्रह मिनट के अन्दर सूचना दे देवें । यदि उनके प्रस्ताव अन्यथा नियमित हुये तो मैं उन्हें प्रस्तुत किया गया मान लूंगा ।

सदा की भांति सब के लिये भाषण अवधि १५ मिनट ही होगी । किन्तु यदि विभिन्न वर्गों के नेताओं को आवश्यकता हुई तो २० मिनट तक भी मिल सकते हैं ।

†**श्री कामत** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की मांगों पर भी चर्चा करने के लिये कुछ समय दिया जायेगा ? इन को पता नहीं किस कारण से सर्वथा छोड़ दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानते ही हैं कि प्रतिवर्ष कुछ मांगों पर ही वाद-विवाद किया जाता है । इसका निर्णय कार्य-मंत्रणा समिति करती है । अगले वर्ष माननीय सदस्य इस मामले को वहां उठा सकते हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : कार्य-मंत्रणा समिति की एक सदस्या होने के नाते मुझे यह कहना है कि हमें थोड़े से मंत्रालयों की मांगों पर भी विचार करने का समय नहीं मिलता है । हमने कई बार सरकार को कहा है कि इतनी मांगें हमारे सामने नहीं रखी जानी चाहियें । क्योंकि हमें कई बार कई मंत्रालयों को बिल्कुल छोड़ देना पड़ता है ।

†**श्री कामत** : यदि इस कार्य के लिये अधिक समय नियुक्त किया गया होता तो सभी मांगों पर चर्चा हो सकती थी । बिना चर्चा के मांगों का पास कर देना बड़ा अनर्थकर है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं एक नयी प्रक्रिया सोच रहा हूँ । किन्तु पता नहीं वह कब चालू हो सके । जैसे ही बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त हो जाये, भिन्न भिन्न मांगों के लिये भिन्न समितियाँ नियुक्त कर दी जायेंगी । समिति के सदस्य उन पर गम्भीरता से चर्चा करके उन्हें सभा के सामने रखेंगे । इस प्रकार प्रत्येक मांग पर समिति में तथा सभा में दो बार चर्चा हो जायेगी । परन्तु इस वर्ष अब ऐसा नहीं किया जा सकता है ।

अब हम दूसरे विषयों को लेते हैं ।

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत कीं:—

मांग संख्या	मांग का संक्षिप्त विषय	मांग की राशि
८७	उत्पादन मंत्रालय	२४,५२,००० रुपये
८८	नमक	१,३१,२२,००० रुपये
८९	उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन	७,१४,७१,००० रुपये
९०	सरकारी कोयला-खानें	३,८३,४१,००० रुपये
९१	उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	१,०५,४९,००० रुपये
१३८	उत्पादन मंत्रालय का पूंजी-व्यय	१६,२९,५६,००० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह** (जिला बनारस-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, आज उत्पादन के विषय में . . . .

†**श्री के० के० बसु** (डायमंड हार्बर) : माननीय सदस्य को इस प्रकार अन्त में खड़े होकर नहीं बोलना चाहिये । इसके लिये समय बढ़ाया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इनके बाद मैं श्री बसु को ही बुलाऊंगा ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और उपमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने शिपयार्ड (नावांगण) की उन्नति के वास्ते उनसे जो कुछ हो सकता था अब तक किया । लेकिन जितना होना चाहिये था उसमें वे इस वास्ते सफल नहीं हो सके कि उनको भारत सरकार द्वारा इतना रुपया नहीं दिया गया कि वे जहाजरानी की और ज्यादा उन्नति कर सकते ।

मैं आप का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में केवल एक ही शिपयार्ड विशाखापतनम में है । आप देखें कि इस साल दुनिया में, अर्थात् १९५५ में, १४४७ जहाज़ बने हैं, जब कि हिन्दुस्तान में सिर्फ ६ जहाज़ बन सके हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि विश्व के जहाज़ के उत्पादन में हमारा अनुपात ·९० है । अगर टनेज (नौभार) की तरफ ध्यान दें तो मालूम होगा कि लायड के रजिस्टर के अनुसार सन् १९५५ में दुनिया में कुल ५३ लाख टन के जहाज़ बने हैं । इस ५३ लाख टन में भारतवर्ष का हिस्सा सिर्फ दस हज़ार टन है, अर्थात् हमारा अनुपात टनेज में .३५० है । आप पूछेंगे कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है । ऐसा इस कारण होता है कि हमारे पास केवल एक ही शिपयार्ड (नावांगण) है और इसमें हम एक साल में चार से लेकर ६ जहाज तक तैयार कर सकते हैं । इस समय हिन्दुस्तान के १४ जहाज़ बन रहे हैं । उन में से ६ जहाज़ तो विशाखापतनम में बनेंगे, सात जहाज़ जर्मनी में बन रहे हैं, एक जहाज़ जापान में बन रहा है । अर्थात् हिन्दुस्तान के लिए १५ जहाज बनने वाले हैं उनमें से सिर्फ ६ देशी और ८ जहाज़ विदेशी होंगे । दस हजार टन के जहाज़ की कीमत ८० लाख रुपये के करीब होती है । इस प्रकार ८ जहाज़ों की कीमत करीब ६ करोड़ रुपया विदेश भेज देंगे । अफसोस है कि भारत सरकार ने श्री के० सी० रेड्डी साहब के हाथ मजबूत नहीं किये, उनको शिपयार्ड के वास्ते रुपया नहीं दिया है । यह ६ करोड़ रुपया जो आठ जहाजों के लिये विदेशी कम्पनियों को दे रहे हैं, यदि यही रुपया रेड्डी साहब को दे देते तो उस रुपये से हिन्दुस्तान में कम से कम ६ शिपयार्ड बन सकते थे और इस प्रकार हम हिन्दुस्तान का ६ करोड़ रुपया बचा सकते थे ।

आप जानते हैं कि हमारा देश प्रतिवर्ष १५० करोड़ रुपया विदेशी जहाज़ी कम्पनियों को फ्रेट (भाड़े) के रूप में देता है । ६ करोड़ रुपये के विदेशों में हिन्दुस्तान के लिये जहाज़ बन रहे हैं । वह रुपया भी हम विदेशों को देंगे । इस तरह से १५६ करोड़ रुपया हम हर साल विदेशों को भेज रहे हैं । इस चीज़ को अब हमें रोकना चाहिये ।

विशाखापतनम में कुल चार करोड़ रुपया लगा हुआ है जिसमें से करीब साढ़े तीन करोड़ सरकार ने दिया था और एक करोड़ सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी का है । आप पूछेंगे कि विदेशों में इस दिशा में क्या काम हो रहा है । ग्रेट ब्रिटेन में ३० करोड़ रुपया शिपयार्ड के लिये दिया गया है । मैं अपनी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उस ने इस साल शिपयार्ड के वास्ते क्या दिया है । जो बजट हमारे सामने रखा गया है उससे मालूम होता है कि आपने ६० लाख रुपया सबसिडी (आर्थिक सहायता) के तौर पर विशाखापतनम शिपयार्ड को दिया है । हिन्दुस्तान इतना बड़ा मुल्क है । हम को अपने गौरव का इतना अभिमान है और हम ६० लाख रुपया विशाखापतनम शिपयार्ड को सबसिडी के रूप में देते हैं जब कि इंग्लैण्ड ने व्यापार सुविधा अधिनियम के अन्तर्गत ३० करोड़ रुपया जहाजरानी की उन्नति के लिये दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुनाथ सिंह]

इंगलैंड को भी छोड़िये। आप फ्रांस को लीजिये। हमारे विशाखापतनम शिपयार्ड में फ्रैंच टैकनीशियन काम कर रहे हैं। फ्रांस ने सन् १९५४ के बजट में १५ करोड़ रुपया सबसिडी के तौर पर अपने शिपयार्ड की उन्नति के वास्ते दिया है। आप समझ सकते हैं कि फ्रांस का कोष बड़ा है या हिन्दुस्तान का कोष बड़ा है। फ्रांस के सिर पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं या हिन्दुस्तान के सिर पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। आपको इस बात पर विचार करना चाहिये।

आप कहेंगे कि सरकार जहाज़ी कम्पनियों को लोन (ऋण) देती है। आप के लोन का रेट आफ इंटरेस्ट (ऋण की ब्याज दर) क्या है? साढ़े चार परसेंट (प्रतिशत)। अगर आप सेविंग बैंक में रुपया लगायें या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लें, जो कि गवर्नमेंट जनता से ऋण लेती है, तो उस पर साढ़े तीन परसेंट सूद दिया जाता है। लेकिन जहाजों की उन्नति के वास्ते जो ऋण सरकार देती है उस पर साढ़े चार परसेंट सूद चार्ज करती है। अब देखिये दूसरे मुल्क क्या कर रहे हैं? इंग्लैण्ड ने ३० करोड़ रुपया इस काम के लिये ऋण के तौर पर एडवांस (अग्रिम धन) किया है। उन का रेट आफ इंटरेस्ट क्या है? डेढ़ परसेंट। इसके मुकाबले भारतवर्ष में जो ऋण दिया गया है जहाजी कम्पनियों को उस पर सूद है साढ़े चार परसेंट। इसके अलावा जो लोन (ऋण) भारतवर्ष में इन कम्पनियों को दिया गया है उसकी मियाद (समय) पांच से दस साल तक की रखी गई है जब कि इंगलेंड में यह मियाद बीस से तीस साल की है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वहां पर सरकार शिपयार्डों को जो ऋण देती है उसे बीस से तीस साल में वापस चाहती है जब कि हमारे यहां उसे ५ से दस साल में वापस चाहा जाता है। यह स्थिति अच्छी नहीं है।

हम ने अपने सेकेंड फाइव इयर प्लान (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) में शिपयार्ड के वास्ते ७५ लाख रुपया रक्खा है। हमारे भाई सतीश चन्द्र जी ने बड़े सुन्दर शब्दों में कहा था कि हम दूसरा शिपयार्ड बनाना चाहते हैं और हम ने उन को उसके लिये धन्यवाद भी दिया था और कहा था कि आप भारतवर्ष की बड़ी सेवा करेंगे अगर आप एक दूसरा शिपयार्ड बनायेंगे। लेकिन मैं देखता हूँ कि इस साल के बजट में दूसरे शिपयार्ड के वास्ते कोई पैसा नहीं रक्खा गया है। दूसरा शिपयार्ड सेकेंड फाइव इयर प्लान में बनेगा। आप को मालूम होना चाहिये कि इस वक्त हिन्दुस्तान के पास कुल १३३ जहाज़ हैं। सन् १९६१ में सेकेंड फाइव इयर प्लान पूरा हो जायगा तो ६० जहाज़ और हो जायेंगे और इस प्रकार सन् १९६१ में हिन्दुस्तान के पास कुल १९३ जहाज़ हो जायेंगे। एक जहाज़ की आयु २० साल होती है और २० वर्ष के बाद जहाज़ का रिप्लेसमेंट (बदली) होता है। इस तरह १९६१ में १० जहाज़ का प्रतिवर्ष रिप्लेसमेंट करना होगा। १९६१ के बाद इस प्रकार से आपके शिपयार्ड की कैपेसिटी, इस वक्त क्या है? ४ जहाज़ से लेकर ६ जहाज़ तक। रिप्लेसमेंट जो १९६१ में आरम्भ होगा, वह रिप्लेसमेंट १० जहाज़ प्रतिवर्ष के अनुसार होगा। आपका शिपयार्ड प्रति वर्ष १० जहाज़ का उत्पादन नहीं कर सकता है। यदि आपने २ शिपयार्ड भी बना लिये तब भी आपकी योजना पूरी नहीं हो सकती। आप देश की कुछ तरक्की नहीं कर पायेंगे। आपकी सारी एनर्जी (शक्ति) रिप्लेसमेंट में ही खत्म हो जायगी। इस प्रकार १० जहाज़ अगर १९६१ के बाद रिप्लेसमेंट में जाते हैं तो कम से कम १५ जहाज़ की हम आशा करते हैं कि हिन्दुस्तान हर वर्ष तैयार करेगा। इसका अर्थ यह होगा कि हमारी जो इस समय की प्रगति है, इस प्रगति के अनुसार हम चले तो हम को २५ जहाज़ प्रति वर्ष देश में तैयार करने चाहियें। मैं समझता हूँ कि २५ जहाज़ तैयार करने के वास्ते हमारे पास कम से कम ५ शिपयार्ड होने चाहियें जब कि कुल ४, या ६ जहाज़ हमारे शिपयार्ड में इस समय तैयार होते हैं। अगर २५ जहाज़ तैयार करने हैं तो कम से कम हमें ५ शिपयार्ड की अपने देश में अत्यन्त आवश्यकता है। उस स्थिति को देखते हुए कि जिस स्थिति में आज हम

लोग हैं आप पूछेंगे कि आखिरकार इन ८ जहाज़ों का आर्डर हिन्दुस्तानी कम्पनियों ने विदेश में क्यों दिया ? विशाखापटनम् शिपयार्ड को यह आर्डर क्यों नहीं प्लेस किया (दिया) गया है ? मैं स्वीकार करता हूँ कि इसमें हमारे उत्पादन मंत्री श्री के० सी० रेड्डी का कोई दोष नहीं है। अलबत्ता दोष यह है कि आपके यहां बायलर्स नहीं बनते, आप के यहां रोल्ड स्टील नहीं बनती और आपके यहां प्लेट्स नहीं बनतीं। इन चीजों को आप विदेशों से मंगाते हैं। अगर ८ लाख टन का जहाज़ है तो उसमें २ लाख टन स्टील लगता है। बायलर्स, रौल्ड स्टील और प्लेट्स इन सब के लिये आप विदेशों पर निर्भर हैं। इस कारण विदेशों के हाथों में बिके हुए हैं। देश में तीन तीन स्टील प्लांट्स की योजना बनाई गई लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि कहीं इस बात का भी प्रोविज़न रक्खा है कि हमें जहाज़ों के वास्ते इतनी स्टील, इतने बायलर्स और इतनी प्लेट्स की ज़रूरत होगी। अभी कल आपने अखबार में पढ़ा होगा कि पोलैंड के साथ स्टील और आयरन के सम्बन्ध में हमारा समझौता हुआ है कि हिन्दुस्तान यहां से आयरन और स्टील पोलैंड भेजेगा। आप ही बतलाइये कि हमें अपने लिये आयरन और स्टील की जरूरत है, हम इन चीजों को बाहर से मंगाते हैं लेकिन पोलैण्ड के साथ जो समझौता किया है उसके अनुसार यहां से आयरन और एक्सपोर्ट करेंगे, मैं समझता हूँ कि इस तरह की नीति उचित नहीं है। एक छंटाक भी लोहा हिन्दुस्तान से बाहर नहीं भेजा जाना चाहिये। जापान ने अपने जहाज़ों की तरक्की कैसे की ? उसने हिन्दुस्तान से स्क्रैप (लोहे की छीलन) खरीदी और उससे उसने अपने जहाज़ों की और अपने शिपयार्ड की उन्नति की लेकिन यह खेद की बात है कि हम ने उस तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया।

मैं आप को यह बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सबसे बड़ी आवश्यकता इस वक्त है वह यह है कि . . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं नई नई बातें बता रहा हूँ। अतः मुझे थोड़ासा और समय देने की कृपा करें। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हिन्दुस्तान में जो जहाज़ बनते हैं उन पर क्या लागत आती है। आप ने उसमें एक क्लाज़ रक्खा है कि पैरिटी (समानता) टु यू० के०। यूनाइटेड किंगडम में जो जहाज़ बनेंगे, उसके आधार पर हिन्दुस्तान के जहाज़ की क़ीमत रक्खी जायगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है ? एक भी हिन्दुस्तानी जहाज़ी कम्पनी ने यू० के० के शिपयार्ड में आर्डर प्लेस नहीं किया और क्या कारण है कि ७ जहाज़ों का आर्डर जर्मनी में पेश हुआ और एक जहाज़ का जापान में पेश हुआ ? इसका कारण यह है कि अगर यू० के० का जहाज़ ८० लाख का पड़ता है तो जर्मनी का ६० लाख का ही पड़ता है। जब यहां की जहाज़ी कम्पनियों को जर्मनी और जापान से कम दामों में जहाज़ मिल सकते हैं तो वे यू० के० में उसके लिये क्यों आर्डर प्लेस करने लगे ? अगर हमारे यहां की प्राइवेट जहाज़ी कम्पनियों को जर्मनी और ज़ापान से ६० लाख का जहाज़ मिल जाता है तो वह विशाखापटनम यार्ड को ८० लाख रुपया क्यों देंगे। यह तो सिम्पल एकोनामिक फैक्ट (साधारण आर्थिक तथ्य) है कि हमें जहां से चीज़ सस्ती मिलेगी वहीं से लेंगे। रेड्डी साहब हम को सस्ते जहाज़ नहीं सुलभ कर सकते क्योंकि उन को स्टील बायलर्स और प्लेट्स वगैरह बाहर के देशों से मंगाना पड़ता है और दूसरा एक कारण यह है कि उनको सबसिडी भी बहुत कम मिलती है। यू० के० ने ३० करोड़ रुपया दिया, फ्रांस ने अपने बजट में इसके लिये १५ करोड़ की रकेम रक्खी जब कि हम ने हर साल जो ६० लाख रुपया सबसिडि के तौर पर देते हैं वही ६० लाख रुपया इस साल के बजट में भी रक्खा है। मैं समझता हूँ कि यह रकम काफ़ी कम है और इस से हमारे जहाज़ी व्यवसाय की उन्नति नहीं हो सकती है। जापान ने अपने देश में जहाज़ी व्यवसाय में उन्नति लाने के लिये यह सिस्टम एडाप्ट किया (तरीका अपनाया) कि जो स्टील शिपयार्ड को सप्लाई किया

[श्री रघुनाथ सिंह]

जाता है वह मार्केट प्राइस से पर टन १०० रुपये कम होता है। इस तरह जहाज़ी कम्पनियों को स्टील सस्ते दाम पर मिल जाती है। ज़ाहिर है कि जब उसको स्टील सस्ता मिलेगा तो जहाज़ की क़ीमत भी सस्ती होगी।

इसके अतिरिक्त हमारे रेड्डी साहब के सम्मुख एक और विषम समस्या उपस्थित है। कोई भी व्यापारी कंट्रेक्ट (ठेका) देगा तो दो वर्ष पहले या तीन वर्ष पहले या पांच वर्ष पहले जहाज़ी कम्पनियों का कंट्रैक्ट देगा। यू० के० का नियम है कि पांच वर्ष पहले जहाज़ बनाने का कंट्रेक्ट लेते हैं, जर्मनी तीन वर्ष पहले लेता है और जापान दो वर्ष पहले लेता है। आप के पास आज कितने ठेके हैं? कितनी हिन्दुस्तानी कम्पनियों ने आप के शिपयार्ड के पास जहाज़ बनाने के लिये आर्डर्स प्लेस किये (दिये) हैं? कोई आर्डर आपके पास नहीं है। आपसे जहाज़ कौन लेगा? ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन को आप जहाज़ बना कर दे सकते हैं, वह आपसे जहाज़ ले सकते हैं लेकिन हिन्दुस्तानी जो कि जहाज़ का काम करते हैं, वह आप से जहाज़ नहीं ले सकते क्योंकि आपको जहाज़ बहुत महंगा पड़ता है।

इसके अतिरिक्त मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि आपने यहां पर फ्रांस के एक्सपर्टस (विशेषज्ञों) को बुला रक्खा है उनको ९ लाख रुपया सालाना देते हैं। मैं आपको बतलाऊं कि फ्रांस ने इस साल केवल ५५ जहाज़ बनाये हैं जब कि जर्मनी ने ३८९ जहाज़ बनाये और जापान ने १८८ जहाज़ बनाये और साथ मैंने यह कभी नहीं सुना है कि नेवल वारफ़ेयर (युद्ध) में या मर्केनटाइल नेवी (व्यापारिक नौवहन) में फ्रांस ने कभी कोई नाम कमाया हो अथवा प्रसिद्धि प्राप्त की हो लेकिन हम देखते हैं कि आप फ्रांस को ९ लाख रुपया प्रतिवर्ष दे रहे हैं जब कि २ लाख रुपया सालाना में आपको चीनी, जर्मनी और यू० के० एक्सपर्ट्स (विशेषज्ञ) मिल सकते हैं जिन्होंने कि नेवी की फ़ील्ड (क्षेत्र) में काफ़ी नाम कमाया है वहां के विशेषज्ञ आपको मिल सकते हैं और उनकी सेवायें आप क्यों नहीं लेते?

मुझे एक बात यह भी कहनी है कि आज आप ने शिपयार्ड का इन्चार्ज किसे बनाया है? आई० सी० एस० को जो कि एक **गाड गिवेन सर्विस** है। कोई भी काम हो आई० सी० एस० की सर्विसेज को इस्तेमाल किया जाता है मानो वही हर बात के सब से बड़े विशेषज्ञ हैं। मेरा नम्रतापूर्वक यह निवेदन है कि यह एक टैकनिकल सब्जेक्ट है। इसी तरह से साइकिल बनाना एक टेकनिकल सब्जेक्ट है। अगर आप वहां पर एक आई० सी० एस० आफिसर को रख देंगे तो वह क्या करेगा? इस वास्ते मेरा कहना यह है कि वहां के इन्तजाम के वास्ते किसी नान आफिशल (आई० सी० एस० से बाहर के व्यक्ति) को मौका देना चाहिये जो कि शिपिंग का एक्स्पर्ट (माहर) हो। मैं आपको यह मिसाल दूं। आप देखिये कि पंजाब में पांच वर्ष के अन्दर साइकिल इन्डस्ट्री इतनी डेवेलप (विकास) कर गई हैं कि सारे देश के अन्दर पंजाब से साइकिल पार्ट्स (हिस्से) जाते हैं। वहां का एक एक जिला, एक एक शहर में कोई न कोई साइकिल का पार्टस (हिस्सा) बनता है और वह हिन्दुस्तान के हर हिस्से में जाता है। जो साइकिलों को ऐसेम्बल करने (जोड़ने) वाले हैं वे हर जगह से उन को खरीद कर साइकिल ऐसेम्बल करते हैं। उसी तरह से जब आज हमारे पास एक ही शिपयार्ड है तो इस इन्डस्ट्री में हमारा देश एक्स्पर्ट नहीं हो सकता है। हम एक तरह से कंफाइन (सीमित) से हो गये हैं। जब हमारे यहां पांच या छः शिपयार्ड होंगे, हमारे पास पर्सोनेल (कर्मचारी) होंगे, एक्स्पर्ट होंगे तब हमारे यहां जहाज बन सकेंगे। आज मेरी समझ में नहीं आता है कि जब सरकार सीमेंन्ट को, शुगर को, सिल्क और टैक्सटाइल को प्रोटेक्शन (सुरक्षा) देती है, उन को सब्सिडी देती है करोड़ों की तादाद में, तो क्या कारण है कि शिपिंग इन्डस्ट्री को शिपयार्ड बनाने के लिये वह सब्सिडी (आर्थिक सहायता) नहीं देती। मेरा कहना है रेड्डी साहब को छः करोड़ रुपये दे दिये जायें। जो रुपया प्रति वर्ष देश विदेशों को जहाज़ देने के लिये

देता है, वही छः करोड़ रु० वह एक साल शिपयार्ड बनाने के वास्ते शिपिंग इन्डस्ट्री को दे दे, तो प्रति वर्ष का छः करोड़ का व्यय बच जायेगा।

अन्त में मुझे यह कहना ह कि कम से कम डिफेन्स डिपार्टमेंट (प्रतिरक्षा विभाग) को गौर करना चाहिये कि आखिरकार हमारी नेवी (नौसेना) कहां बनेगी ? सबमैरीन्स (पनडुब्बियां) कहां बनेंगी, हमारे क्रूजर (युद्धपोत) कहां बनेंगे ? हमारे यहां शिपयार्ड हैं नहीं, सारी चीजें मरम्मत के लिये इंग्लैंड जाती हैं। हमारे क्रूजर (युद्धपोत) में कोई डिफेक्ट (नुक्स) पैदा हो गया तो मरम्मत के लिये इंग्लैंड जायेगा। हम को अपने दो हजार मील के कोस्ट (तट) की रक्षा करनी है, उस कोस्ट (तट) की रक्षा करने के वास्ते डिफेन्स डिपार्टमेंट के पास एक भी शिपयार्ड नहीं है, तो आखिर हमारे क्रूजर और नेवी की आवश्यकता की चीजें कहां बनेंगी ? मेरा आप से कहना है कि इस तरह से आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत कीजिये। कम से कम डिफेन्स डिपार्टमेंट के पास एक शिपयार्ड होना चाहिये जहां पर कि हमारी नेवी तैयार हो सके।

†**श्री के० के० बसु** : आज हम ने प्रथम पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर लिया है और हम दूसरी योजना प्रारम्भ करने जा रहे हैं। आज सरकारी क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। अतः हमें इस मंत्रालय की मांगों की जो कि लोहा व इस्पात को छोड़कर सारे सरकारी क्षेत्र का नियन्त्रण कर रहा है भलीभांति जांच करनी चाहिये, ताकि सामान्य लोगों को सरकार की नीति का लाभ पहुँच सके और हम अपने उद्देश्य को भी पूरा कर सकें।

यदि आप प्रथम योजना का अध्ययन करेंगे तो आप को पता चलेगा कि सरकारी क्षेत्र के लिये जितना रुपया दिया गया था उसका ६० प्रतिशत रुपया ही प्रयोग किया जा सका है। उस को उत्पादन क्षमता की भी यही दशा रही है जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र में केवल १२ प्रतिशत रुपया अनुपयुक्त रहा है। आखिर सरकारी क्षेत्र में क्या कठिनाई है ? हमें इस विषय पर विचार करना चाहिये।

इस संसद् की एक संविहित समिति के सदस्य के नाते मैंने यह देखा है कि कुछ मंत्रालयों के कार्यों में कुछ कमी है। हमें उनकी भली भांति छानबीन करके उन त्रुटियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिये ताकि धन का पूरा पूरा उपयोग किया जा सके।

इस मंत्रालय की रिपोर्ट भी अन्य मंत्रालयों की रिपोर्टों की ही भांति है। जैसे एक प्राइवेट कम्पनी का संतुलन-पत्र देखने पर पता लगता है कि यह कम्पनी ठीक ठाक चल रही है। इसको लाभ हो रहा है। इसके निर्देशकों को बड़े-बड़े वेतन मिल रहे हैं परन्तु अचानक ही हमें किसी दिन खबर लगती है कि वह कम्पनी फेल होने जा रही है। उसी प्रकार इस रिपोर्ट में कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। हमें इस के सभी कार्यों से भली भांति परिचित कराया जाना चाहिये।

सिंदरी के कारखाने का उदाहरण लीजिये। पहले वहां के प्रबन्ध में कुछ गड़बड़ी थी। किन्तु अब वह ठीक है। अब हमें पिछली रिपोर्ट से पता चलता है कि फैक्टरी को कुछ लाभ होने लगा है। किन्तु लोक-लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को वहां के लागत-व्यय के सम्बन्ध में क्यों नहीं बताया जा रहा है ? मुझे समझ में नहीं आता है इस में सुरक्षा की कौन सी बात है ? इस संसद् को एक अंशधारी के नाते यह सब कुछ बताया जाना चाहिये, ताकि वह लागत व्यय में सुधार करके उसे कम कर सके। यह कहना बिल्कुल व्यर्थ है कि उससे आयात किये गये उर्वरकों को सहायता मिलती है। हमें यहां का लागत मूल्य कम करने का प्रयास करना चाहिये।

श्री रघुनाथ सिंह जी ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड की आलोचना की है। इसी प्रकार हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज फैक्टरी की भी चर्चा की गई है। किन्तु जब कभी ऐसे कार्यों में किसी गड़बड़ी की ओर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० के० बसु]

सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है तो वह यह कह देती है कि हमें अमुक इंजीनियर अथवा विशेषज्ञ ने ठीक परामर्श नहीं दिया था आदि। यह बहाने हमने बार बार सुने हैं। मंत्रीगण निडरता से सामने आकर क्यों नहीं बतलाते हैं कि हमने अमुक स्थान पर गलती की है और अब उसमें सुधार किया जा रहा है? मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में ऐसे सभी कार्यों में इस सभा को विश्वास में लिया जायेगा और हमें कार्य के सभी विस्तृत विवरण दिये जायेंगे।

व्याख्यात्मक ज्ञापन के पृष्ठ १२६ पर यह कहा गया है कि हिन्दोस्तान शिपयार्ड को १९५४–५५ में लाभ हुआ था परन्तु १९५५ में बी० सी० ११४ और वी० सी० ११५ को आर्थिक सहायता की राशि का समायोजन करने के उपरान्त उसमें कुछ घाटा दिखाया गया है। अब भला हमें केवल इसी सन्तुलन-पत्र को देख कर वहां के कार्यों का कैसे पता लग सकता है? इस सूचना से हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते हैं। सरकारी उद्योगों के सम्बन्ध में उनके कार्यों की सम्पूर्ण तथा विस्तृत रिपोर्ट दी जानी चाहिये अन्यथा सरकारी क्षेत्र का सुधार नहीं हो सकता है।

अब मैं हिन्दोस्तान आवास निर्माण की ओर आता हूँ। वहां पर कई गड़बड़ियां हुई हैं।

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : वह तो अब आवास, निर्माण और संभरण मंत्रालय के हाथों म चली गई है।

†**श्री के० के० बसु** : मैं जानता हूँ। मेरा अभिप्राय यह है कि राष्ट्रीयकृत उद्योगों की पूरी-पूरी रिपोर्ट दी जानी चाहिये ताकि हमारे देश के लोगों को पता लगता रहे कि देश की वास्तविक स्थिति क्या है। क्योंकि उन्हीं के सहयोग द्वारा ही उनमें कोई सुधार किया जा सकता है।

सिंदरी उर्वरक तथा रसायन कारखाने के बनाने के समय हमने उसमें प्रयोग किये जाने वाले सीमेंट का ठेका एक प्राइवेट कम्पनी को दिया था, अब हम भाखड़ा-नंगल में तथा दक्षिण में फिर एसी फैक्टरियां खोलने जा रहे हैं। हमें अपने पिछले अनुभवों का लाभ उठाना चाहिये।

सिंदरी में कई सालों तक विदेशी विशेषज्ञ बने रहे। आज शायद वहां दो ही विशेषज्ञ रह गये हैं।

†**श्री के० सी० रेड्डी** : केवल एक।

†**श्री के० क० बसु** : मुझे इसकी बड़ी खुशी है। हमें राष्ट्रीय उद्योगों के प्रति लोगों में विश्वास उत्पन्न करने का यत्न करना चाहिये। मेरे मित्र ने अभी हिन्दोस्तान शिपयार्ड के बारे में बताया है कि उसका प्रबन्ध एक आई० सी० एस० अधिकारी करते हैं, वास्तव में इस प्रकार के लोग एक विशेष प्रकार के वातावरण में पले होते हैं और वह इतने साहसी नहीं होते हैं। अब सरकार जब अपने क्षेत्र का विस्तार कर रही है उसे पुराने आई० सी० एस० अथवा रेलवे अफसरों तक ही सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस प्रकार के उद्योगों में फाईलों की अपेक्षा मानव सम्पर्क का अधिक ध्यान रखना चाहिये।

कुछ ही दिन हुए श्री सोमानी ने कहा था कि मैं सरकार की अपेक्षा आंधी कीमत पर सीमेंट तैयार कराके दिखा सकता हूँ। शायद इसलिये कि वह कुछ ऐसे तरीके अपना सकते हैं जो कि सरकार नहीं अपना सकती है। किन्तु उन्हें पता होना चाहिये कि अब वह युग बीत गया है जब सरकारी क्षेत्र को इतना अक्षम समझा जाता था। आज सरकार भी उत्पादन के उस स्तर तक पहुँच चुकी है।

अब इन उद्योगों के निर्देशकों के बोर्ड की ओर आता हूँ। उन में एक सचिव, एक संयुक्त सचिव, एक और गैर-सरकारी क्षेत्र के एक दो प्रतिनिधि होते हैं। सचिव आदि का किसी भी

†मूल अंग्रेजी में

समय तबादला हो सकता है और ग़ैर-सरकारी प्रतिनिधियों का सदैव यह दृष्टिकोण रहा है कि प्राईवेट सेक्टर ही बढ़े फूले। सरकार को ऐसे बोर्डों में उसी क्षेत्र का एक न एक श्रमिक प्रतिनिधि रखना चाहिये, क्योंकि उद्योग के कल्याण में उसकी भी इतनी ही दिलचस्पी होती है जितनी कि प्रबन्धक आदि की। मेरे विचार में उपमंत्री को ही उस बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिये। क्योंकि कम से कम वह इस सभा के सामने तो उत्तरदायी होता है।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या उपमंत्री टेक्नीकल व्यक्ति हैं ?

†**श्री के० के० बसु** : उन के टेक्नीकल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका अधिक सम्बन्ध तो प्रशासन सम्बन्धी मामलों से रहेगा। हमें तो केवल यह देखना है कि बोर्ड के सभी लोग इस भावना से कार्य करें जैसे कि किसी राष्ट्रीय कार्य को करते समय होनी चाहिये। किन्तु आज क्या है ? एक सचिव को ३,५०० रुपये वेतन मिलता है। कल उसे ४,००० के वेतन पर कहीं और भेज दिया जाता है अब हमें यह प्रथा बन्द कर देनी चाहिये। उपमंत्री को ही उसका चेयरमैन बनना चाहिये।

सिंदरी फैक्टरी में 'क' 'ख' और 'ग' वर्ग के कर्मचारियों के लिये तो आवास बना दिये गये हैं किन्तु अप्रवीण श्रमिकों के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। वे अब भी यही समझते हैं कि वे किसी बनिये के ही नौकर हैं। ऊंची श्रेणी के कर्मचारियों को तो सभी सुख सुविधायें दी जा रही हैं, किन्तु उनका कोई ध्यान नहीं किया जा रहा है। उन्हें सरकार के प्रबन्ध का कोई लाभ नहीं हुआ है।

कलकत्ता की राष्ट्रीय उपकरण निर्माण भी एक महत्वपूर्ण फैक्टरी है। प्राक्कलन समिति ने उसके कार्यों की एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। कुछ साल पहले उसकी पुनर्व्यवस्था करने के लिये सिफारिश की गई थी। उस कारखाने में चश्मों के कांच और घड़ियां आदि भी तैयार की जा सकती हैं। विदेशी विशेषज्ञ बुलाने की एक योजना भी थी। पर उस सिलसिले में कुछ भी नहीं किया गया है। हर वर्ष यह कहा जाता है कि नया कारखाना खुलने वाला है, और हर वर्ष लाखों रुपया उस पर खच किया जाता है, पर अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है। उस कारखाने में एक अधीक्षक तक नहीं है, कवल एक कर्मशाला प्रबन्धक है।

उस कारखाने में श्रमिकों की मांगों के सम्बन्ध में कुछ विवाद भी चला था, पर उस अधिकारी को उस विवाद का निबटारा करने का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। केन्द्रीय सरकार द्वारा उनकी मांगें स्वीकार किये जाने तक, वहां की हड़ताल से देश भर को हानि होती रही थी।

आज भी वहां श्रमिक यह मांग कर रहे हैं कि उनके काम के घण्टे मंत्रालयों के कर्मचारियों के बराबर ही होने चाहियें। स्थानीय अधिकारी उस सम्बन्ध में कुछ कर ही नहीं सकता। इसी से काम में गड़बड़ी होती है और कुछ व्यक्ति कहने लगते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र असफल रहा है और उसे हटा देना चाहिये। दिल्ली परिवहन प्राधिकार के सम्बन्ध में भी, किसी ने कहा था कि निजी क्षेत्र अधिक कार्य-कुशल होता है। पर मेरा विचार है कि हम सभी के सहयोग के बल पर सार्वजनिक क्षेत्र को ही सुधार सकते हैं।

अब, कोयला खदानों के सम्बन्ध में। गिरिडीह कोयला खदान के सम्बन्ध में किसी विदेशी तैल समवाय से उसके उपोत्पादों के उपयोग तथा बैन्ज़ोल तैल आदि के बारे में कोई एक करार अंग्रेजों के काल में हुआ था। उसी करार के अन्तर्गत, वह समवाय बाज़ार से कम दामों पर उन वस्तुओं को खरीद कर हमें अधिक दामों पर बेच रहा है। पता नहीं, मंत्रालय ने उस सम्बन्ध में अभी तक क्या किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० के० बसु]

बताया गया है कि निजी क्षेत्र को ८० लाख टन उत्पादन दे दिया गया है। मैं तो चाहता हूँ कि उसके कुप्रबन्ध पर विचार करते हुए, कोयला खदानों को सार्वजनिक क्षेत्र में ही रखा जाना चाहिये। गत वर्ष वहां हुई दुर्घटनाओं की संख्या को देखकर ही निजी क्षेत्र की कार्य-कुशलता का अनुमान लगाया जा सकता है। हमें अतिरिक्त उत्पादन के समूचे २३० लाख टनों को ही सार्वजनिक क्षेत्र में रखना चाहिये था।

कोयला आयुक्त के कार्यालयों के स्थानांतरित किये जाने की भी सिफारिश की गई है। कर्मचारियों का ख्याल है कि इससे उनके पारिश्रमिक में कमी हो जायेगी; और सौ-डेढ़ सौ रुपये पाने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक में ३० रुपयों की कमी भी एक बड़ी बात है। यदि देश के हित में यह स्थानांतरण आवश्यक ही हो, तो हमें कर्मचारियों को संरक्षण अवश्य देना चाहिये।

अब, नमक को लीजिये। सांभर के कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं। सरकार कहती है कि प्रकृति की कृपा पर ही निर्भर होने के कारण उसमें कोई फायदा नहीं हो पाता है। वहां के एक अधिकारी का विचार था कि उसे पट्टे पर दे देने से काफ़ी मुनाफ़ा कमाया जा सकता है। पर मेरा विचार है कि यदि आप नौकरशाही व्यवस्था पर पूरी तौर से निर्भर न रहें, उसकी व्यवस्था ठीक-ठीक करें और मंत्री महोदय स्वयं वहां जाकर सब कुछ देखें, तो इस सार्वजनिक क्षेत्र में भी काफी मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है।

माननीय मंत्री ग्राम दस्तकारी बोर्ड जैसे कई बोर्डों का दायित्व अपने ऊपर लेते जा रहे हैं। दस्तकार निर्धन होते हैं और वे भूमि की ज़मानतें नहीं दे सकते हैं। उनको बिना अग्रिम ऋण दिये हमें उस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती है। पर सरकार तो एक लाख रुपये की मंजूरी दे कर, कुल २५,००० रुपये ही बांट सकी थी।

इसलिये उत्पादन मंत्री को अनुभव कर लेना चाहिये कि, इस अव्यवस्था से सार्वजनिक क्षेत्र पर आंच आती है। लोग उसकी सफलता में संदेह करने लगते हैं। इसीलिये हमें उसे समूची जनता के सर्वोत्तम हितों में ही चलाना चाहिये।

श्री बलवन्त सिंह महता (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस देश को स्वतन्त्रता प्राप्त किये हुये करीब आठ वर्ष हो गये और हम यह आशा लगाये बैठे थे कि इस राजनैतिक आज़ादी के साथ ही हमारी आर्थिक आज़ादी भी हम को मिलेगी, लेकिन जब हम अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हैं तो हम को बड़ी निराशा होती है और उस आर्थिक आज़ादी के दर्शन होना हम को बहुत दूर मालूम होता है। अभी वह हमारे क्षितिज पर भी दिखाई नहीं देती। हमारे आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में हमारे उत्पादन का बहुत बड़ा हाथ है, और इस कारण इस मंत्रालय की यह बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अतः हम को यह देखना है कि हमारे राष्ट्र की जितनी शक्ति है और जितनी उसकी क्षमता है उसके अनुकूल हमारे राष्ट्र की जनशक्ति का उत्पादन में उपयोग हो रहा है, या नहीं ? अगर हम यह नहीं देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम उसमें अपने कर्त्तव्य से थोड़ा पीछे हट रहे हैं और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही जब कि हमने समाजवाद को अपनाया है, यानी समाजवादी ढांचे को हमने क़बूल किया है तो हम को यह भी देखना होगा कि उत्पादन के जितने भी स्रोत और साधन हैं वे समाज के हाथ में कहां तक आये हैं, या आ रह हैं। अगर नहीं आ गये हैं, तो उस के आने के लिये क्या कोई योजना रक्खी गई है ?

उत्पादन का हमारी आर्थिक स्थिति से बहुत बड़ा सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। हम को देखना होगा कि हमारा समाजवाद तभी सफल होगा और उस की ओर हम तभी बढ़ेंगे जब कि हमारे उत्पादन के स्रोत और साधन समाज के हाथों में आते जायेंगे। इसी प्रकार से, मैं आप से यह भी निवेदन

करूँगा कि यह चीज़ भी अधूरी रहेगी, अर्थात् हमारा समाजवादी समाज हम से दूर ही रहेगा, जब तक कि वितरण की व्यवस्था भी समाज के हाथों में नहीं होगी। समाजवादी ढांचे के लिये यह जरूरी है कि उत्पादन के सभी साधन और स्रोत तथा उत्पादित वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था अधिक से अधिक समाज के हाथ में हो। जब मैं इस मंत्रालय के विवरण को पढ़ता हूँ तो मुझ को थोड़ी निराशा होती है कि इस सम्बन्ध में उस में कोई चर्चा नहीं है, इस सम्बन्ध में कोई ऐलान नहीं है, जिस से हम में कोई उत्साह पैदा हो कि हमारा सरकारी क्षेत्र अर्थात् पब्लिक सेक्टर (सार्वजनिक क्षेत्र) अब इतना आगे बढ़ा है? आवश्यकता यह थी कि इस क्षेत्र को काफी आगे बढ़ाया गया होता। लेकिन इस रिपोर्ट को पढ़ने से हमें इसलिये निराशा होती है कि वह क्षेत्र बिल्कुल ही नहीं बढ़ाया गया है। यह हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है, हमारे प्रधान मंत्री एक-दो बार मीटिंगों में कह भी चुके हैं कि जो भी हमारे खनिज पदार्थों के साधन हैं वे तो सरकार के हाथों में होने चाहियें, अर्थात् हमारी जितनी भी माइन्स (खानें) हैं, वे तो कम से कम सरकारी क्षेत्र में आ ही जायेंगी, लेकिन मैं नहीं देखता कि इस रिपोर्ट में ऐसा कोई ऐलान किया गया है। मैं आशा लगा रहा था कि कम से कम जो हमारे राष्ट्र की सम्पत्ति है वह तो इस क्षेत्र में आयेंगी ही, और उस को आना ही चाहिये था, उसकी घोषणा की जायेगी, लेकिन वह नहीं हुई। मसलन लोहा है, तांबा है, सीसा है, जस्ता है, यह हमारे राष्ट्र का बहुत बड़ा धन है, मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री का संकेत उसी ओर था, लेकिन चूंकि में इस चीज़ को यहां नहीं पाता इसलिये मैं समझता हूँ कि हमारे मंत्री महोदय इस का कुछ स्पष्टीकरण करेंगे।

वितरण के लिये भी, मैं आप से अर्ज करूँगा कि उस को सरकारी क्षेत्र के हाथ में आना चाहिये। आज देश में हम जो भावों के बढ़ जाने के कारण घबराहट देखते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि आज जिन हाथों में वितरण की एजेंसियां (अभिकरण) हैं वे गड़बड़ी कर रही हैं। मैं इस का उदाहरण भी देना चाहता हूँ, लेकिन बाद में दूंगा। तो, वितरण स्टेट ट्रेडिंग (राज्य व्यापार) के द्वारा भी सरकार के हाथों में आ सकता है, और कोआपरेटिव बेसिस (सहकार्य के आधार) पर भी उस को कार्यान्वित किया जा सकता है। मंत्रालय को इस के ऊपर भी विचार करना चाहिये।

हर एक राजनीति का विद्यार्थी यह समझता है कि जो सरकारी क्षेत्र है उसमें तो इस मंत्रालय का पूरा एकाधिकार होगा लेकिन मंत्रालय की रिपोर्ट से ऐसा नहीं मालूम होता। लोगों की यह धारणा थी कि जितने भी सरकारी उद्योग धंधे हैं उनका संचालन इस मंत्रालय के द्वारा होता होगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सी चीजें आज इस के हाथ में नहीं हैं। मसलन आज हमारी विद्युत् का उत्पादन दूसरे मंत्रालय के हाथ में है, लोकोमोटिव्ज (रेलवे इंजिनों) का उत्पादन तीसरे मंत्रालय के हाथ में है; और सिथेटिक राइस (संश्लिस्ट चावल) का काम दूसरे मंत्रालय के हाथ में है; इस प्रकार से बहुत सी चीजें बंटी हुई हैं। अभी हाल ही में लोहे के लिये अलग मिनिस्ट्री (मंत्रालय) बन गई है, वह भी आप के हाथ से निकल गया है, आगे और भी वस्तुयें निकल सकती हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिये, और जो हमारा पूरे का पूरा सरकारी क्षेत्र है वह इसी मंत्रालय के नियंत्रण में होना चाहिये, हालांकि यह पता नहीं जो आज उसके हाथों में है वह कल रहेगा या नहीं।

कर्वे कमेटी ने एक और सिफारिश की है कि जो हमारे छोटे उद्योग धंधे हैं उन के लिये एक अलग मंत्रालय बनाया जाय। मैं समझता हूँ कि इस तरह से सभी चीजें अलग अलग चली जायेंगी और आज जिन का आप संचालन कर रहे हैं वे भी आप के हाथों में नहीं रह जायेंगी। बड़े उद्योग तो आपके पास हैं नहीं किन्तु जो छोटे उद्योग-धंधे हैं उन में से भी बहुत सी इन्डस्ट्रीज, यानी उद्योग आप के पास नहीं हैं। यानी जो मिड्ल क्लास (मध्यम श्रेणी) के उद्योग हैं, वे भी आप के नहीं हैं और जो कोटेज इन्डस्ट्रीज, यानी गृह-उद्योग-धंधे हैं उन में क्या हो रहा है, यह मैं बाद में बताऊंगा। मैं अभी

[श्री बलवन्त सिंह महता]

आप से निवेदन कर रहा था कि वितरण की एजेन्सी भी आप के हाथ में होनी चाहिये। अभी कुछ समय पहले सोमानी साहब ने एक प्रस्ताव रक्खा था कि जितने भी सरकारी क्षेत्र हैं उन के उद्योग-धंधों की जांच होनी चाहिये, यह वास्तव में ठीक भी है, लेकिन साथ ही मैं यह भी कहूँगा कि जितने हमारे प्राइवेट सेक्टर (निजी क्षेत्र) हैं उन के अन्दर जो उद्योग-धंधे चल रहे हैं उन के विषय में भी जांच होनी चाहिये, क्योंकि उनके वितरण की व्यवस्था भी बहुत बेहूदा और शोषणकारी है। मैं समझता हूं कि आज वस्तुओं का उत्पादन काफी होता है, लेकिन उन के भाव बहुत बढ़ जाते हैं वे बनावटी तौर पर ऊंचे कर दिये जाते हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था उन्हीं लोगों के हाथ में है। आप को मैं सीमेंट के बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कुछ ही दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आये थे, वह कहने लगे कि मैंने सीमेंट की एजेन्सी ली है। वहां पर मुश्किल से दो या तीन हजार रुपये महीने का सीमेंट बिकता है, इससे ज्यादा नहीं बिकता है। मैंने दो हजार रुपये जमा करवाये हैं। पांच, छः रोज बाद एक नोटिस आता है कि मैनेजिंग एजेन्सी (प्रबन्ध अभिकरण) तब्दील हो गई है अब तुम दो हजार रुपये और भेजो। वह बेचारे बड़े परेशान थे, दो हजार रुपये तो दे चुका और दो हजार वह और मांगते हैं। दो-चार महीने बाद फिर कहा जाता है कि पहले मैनेजिंग एजेन्सी तब्दील हो गई है इसलिये और भी सात हजार रुपये भेजने होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि सात हजार अब दे, चार हजार पहले दे चुका, कुल दस ग्यारह हजार रुपये दे, जबकि सीमेंन्ट मुश्किल से तीन हजार रुपये का बिकता है। यही नहीं, उसे गोदाम का किराया और कर्मचारियों का वेतन भी देना पड़ता है। अब आप बताइये कि वह किस प्रकार से बिल्कुल ईमानदारी के साथ सीमेंट को वहां बेच सकेगा? नतीजा यही होगा कि वह ब्लैक (चोर बाजार) में बेचेगा और इस तरह से नकली तौर पर भाव बढ़ जायेंगे और जनता को महंगा लेना पड़ेगा जिस से घबराहट बढ़ेगी तथा देश के अन्दर एक संकट सा आ जायेगा। इसीलिये, मैं आप से अर्ज करता हूँ कि वितरण की ऐजेन्सी भी आप को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखनी चाहिये।

अब मैं कुछ बड़े उद्योग-धंधों के बारे में अर्ज करूँगा। जिन उद्योग-धंधों का नियंत्रण हमारा यह मंत्रालय कर रहा है, उन में सब से पहले मैं फर्टिलाइजर (खाद) के सम्बन्ध में ही कहूँगा। देश के जितने भी प्रान्त हैं सब उस के अंग हैं। अगर शरीर के किसी एक अंग को लालन पालन से या किसी तरह से भी पुष्ट कर दिया जाता है तो उस का मतलब यह नहीं है कि उस का सारा शरीर स्वस्थ हो गया, सारा शरीर तो तभी स्वस्थ होगा जब सभी अंग बढ़ेंगे और पुष्ट होंगे। आज जो हमारे उद्योग धंधे सरकार की ओर से स्थापित किये जा रहे हैं उनके बारे में उनकी क्या नीति है यह मेरी समझ में नहीं आता। होना तो यह चाहिये था कि सभी प्रान्तों में कम से कम अपनी तौर पर एक या दो बड़े उद्योग, यानी हैवी इन्डस्ट्रीज़ स्थापित की जातीं जिससे सब ही अंग पुष्ट हो कर देश बलवान होता लेकिन वह नीति नहीं बरती जा रही है। पता नहीं किस नीति के अनुसार उद्योगों का कुछ ही स्थानों पर कंसेंट्रेशन किया जा रहा है। जो और प्रदेश अनडेवेलप्ड (अविकसित) हैं, अर्थात् उद्योग के लिहाज़ से अविकसित हैं, उन की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। आप फर्टिलाइजर के सम्बन्ध में देखिये। फर्टिलाइजर पैदा होती है जिप्सम से। और राजस्थान को यह सब से बड़ा दावा हो सकता है कि फर्टिलाइजर वहां पैदा की जाय क्योंकि वह जिप्सम से पैदा होती है जो राजस्थान में प्रचुर मात्रा में मिलती है। लेकिन वह वहां से एक हजार मील चल कर सिंदरी में पहुँचती है और वहां से सारे भारतवर्ष में बांटी जाती है। अव्वल तो पहले ही राजस्थान को यह मौका मिलना था कि फर्टिलाइजर फ़ैक्टरी वहां स्थापित की जाती, मगर खैर वह नहीं हो सका, लेकिन जब दूसरी फर्टिलाइजर फ़ैक्टरी खोलने का मौका आया तो भी आप ने दूसरी जगह के बारे में निर्णय कर लिया हालांकि मैं नहीं समझता कि वहां पर सब सुविधायें इस के लिये उपलब्ध हैं।

फर्टिलाइजर के लिये जो कच्चा माल चाहिये वह राजस्थान में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगर इसके लिये कोयले की ज़रूरत है, वह वहां होता है, पानी वहां मौजूद है, बिजली वहां मौजूद है। अब समझ में नहीं आता कि हमारे एक्सपर्ट्स (विशेषज्ञ) ने कैसे यह रिपोर्ट दे दी कि वहां पर महंगा पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि वहां किसी तरह से भी महंगा नहीं पड़ सकता। अगर आप चाहते हैं कि हर प्रान्त उन्नति करे, तो आप को हर प्रान्त में कम से कम एक-दो बड़े उद्योग-धन्धे स्थापित करने चाहियें। हमारे देश के महान् इंजिनियर श्री विश्वेश्वरैया ने, जिन को कि भारत का एक बड़ा निर्माता भी कहा जा सकता है, कहा है कि कम से कम दो या तीन बड़े बड़े उद्योग धंधे प्रत्येक प्रान्त में देने चाहियें, जिससे देश के सब प्रान्त औद्योगिक दृष्टि से बलिष्ट हो जायें। लकिन वह नीति यहां पर नहीं बरती जा रही है, आखिर इसका क्या कारण है कि राजस्थान में जहां पर काफी बेकारी और गरीबी फैली हुई है, एक भी बड़ा धन्धा नहीं पनपाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इसके लिये अब भी मौका है। आप वहां पर दूसरी फर्टिलाइजर फैक्टरी स्थापित कर सकते हैं।

अभी आप एक और बड़ी फैक्टरी हैवी इलैक्ट्रिक इक्विपमैंट (विद्युत के भारी उपकरण) के लिये बनाने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि इस काम के लिये माइका (अभ्रक) की बहुत ज़रूरत होगी। माइका के लिये भारतवर्ष में सब से बड़ा एरिया बिहार का है और उसके बाद राजस्थान का नम्बर आता है। राजस्थान में इतने खनिज पदार्थ हैं जितने कि सारे भारतवर्ष में और कहीं नहीं हैं। लेकिन अभी तक उनके विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। आप करोड़ों रुपये मूल्य का तांबा जस्ता और सीसा बाहर से मंगाते हैं। लेकिन ऐसी कोई योजना नहीं रखी गई है कि राजस्थान के खनिज पदार्थों को निकाला जाये। न राजस्थान की जनशक्ति को उस खनिज सम्पत्ति के विकास में लगाने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है। मुझे मालूम हुआ है कि जिस फैक्टरी का मैंने अभी ऊपर जिक्र किया है उसे भी आपने किसी दूसरी जगह लगाने का निर्णय कर लिया है। कहा जाता है कि राजस्थान में क्लाइमेट (जलवायु) अच्छी नहीं है। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूँ कि राजस्थान में सब तरह की आबोहवा मौजूद है। वहां ऐसे भी स्थान हैं जहां बहुत कम ह्यूमिडिटी (नमी) है, और ऐसे भी स्थान मौजूद हैं जहां कि मुश्किल से टैम्परेचर (तापक्रम) १०० डिग्री से ऊपर कभी-कभी जाता होगा। वहां बहुत से सुहावने और सजल स्थान हैं। अगर आप क्लाइमेट का खयाल करते हैं तो वहां अच्छी से अच्छी क्लाइमेट है। कम से कम एक बड़ा उद्योग धंधा तो राजस्थान को दिया जाये। लेकिन इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। आपका रुपया विदेशों को जा रहा है, उसका लिहाज भी आप नहीं रखते। मैं चाहता हूँ कि आप अपने एक्सपर्ट्स को राजस्थान जा कर वहां की परिस्थितियों का अध्ययन करने का अवसर तो दें।

आपने चितरंजन में इंजिन बनाने का कारखाना खोला है। यह अच्छा है, लेकिन, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में सब से पहले इंजिन अजमेर में बनते थे। आज भी वहां पर बड़े-बड़े टैक्नीशियन मौजूद हैं; लेकिन वहां पर काम न होने से वे सब के सब खत्म हो जायेंगे और उनकी कला सोती ही रह जायेगी। उनको अपनी कला को विकास करने का मौका ही नहीं दिया जाता। आप जगह जगह मौके दे रहे हैं लेकिन राजस्थान को उपेक्षित ही रखा जा रहा है।

लिगनाइट के लिये एक करोड़ रुपया रखा गया है। लिगनाइट केवल निवेली में या राजस्थान में मिलता है, लेकिन राजस्थान के लिये कोई योजना नहीं रखी गई है। इसका मुझे दुःख है।

अभी हमारे भाई रघुनाथ सिंह जी शिपिंग (नौवहन) के बारे में बोल चुके हैं। इसलिये मुझे उस विषय पर कुछ विशेष नहीं कहना है। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि शिपिंग में हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है। हम अपना सामान लाने ले जाने के लिये हर साल करोड़ों रुपया विदेशी कम्पनियों को देते हैं। जिस समय हम को अनाज लाना पड़ा था, उस समय तो हमको इन कम्पनियों को अरब से ऊपर तक रुपया प्रति वर्ष देना पड़ा था। मैं समझता हूँ कि इस उद्योग के

[श्री बलवन्त सिंह महता]

विकास के लिये आप को काफी रकम देनी चाहिये। मैंने खुद विशाखापतनम् का शिपयार्ड (नावांगण) दखा है। मैंने वहां देखा कि भिन्न-भिन्न व्यापारियों ने भिन्न-भिन्न प्रकार के जहाजों के लिये आर्डर दिये हुए थे। मैं समझता हूँ कि भिन्न-भिन्न प्रकार के जहाज बनाने में मुश्किल होती है। उन के लिये अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने पड़ते हैं और उन को पास करवाना पड़ता है। इस में समय और शक्ति का बहुत दुरुपयोग होता है। मैं समझता हूँ कि हमको इस निर्णय पर पहुँचना चाहिये कि हमारे व्यापारी जहाज सब एक ही प्रकार के होंगे। ऐसा करने से हमारी बहुत शक्ति बच जायेगी। मैं चाहता हूं कि हमें इस यातायात के साधन को काफी उन्नत करना चाहिये।

राजस्थान में नमक बड़ी मात्रा में पैदा होता है और देश में सबसे उत्तम प्रकार का नमक वहां होता है। वहां नमक के उत्पादन की बहुत बड़ी क्षमता है। लेकिन वहां के बहुत कम स्थानों को नमक बनाने के काम में लाया जाता है। मैं समझता हूँ कि आजकल वहां जितना उत्पादन है उसको आसानी से दुगुना और तिगुना किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जाये तो वहा की लेबर (श्रमिक) भी सुखी हों, और वहां के व्यापारी भी सुखी हों। अगर किसी साल वहां पर वर्षा न हो, तो भी उन स्थानों में जहां कि नमक मिलता है, अगर वहां पांच या छः फुट खोदा जाये तो नमक का पानी (ब्राइन) निकलने लगता है और उससे नमक तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा और भी रसायनिक उद्योग-धन्धों की फैक्टरियां वहां पर लग सकती हैं लेकिन इस ओर हमारी सरकार का ध्यान नहीं गया है। मैं समझता हूँ कि वहां पर जो साधन हैं उन का उपयोग किया जायेगा। देश में आजकल नमक के वितरण की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। इस से व्यापारी भी दुखी हैं और कंज्यूमर्स (उपभोक्ताओं) को भी नुक्सान है। महात्मा गांधी जी के तो दो ही प्रिय विषय थे, नमक और खादी। सौभाग्य से ये दोनों ही विषय इस मंत्रालय के अधीन हैं, परन्तु उनकी व्यवस्था संतोषजनक नहीं है।

हमारे यहां सांभर में विटनर्स से जो नमक निकाला जाता है उसे भारत सरकार ले लेती है यद्यपि वह राजस्थान सरकार की सम्पत्ति है। मैं समझता हूँ कि उस नमक की मालिक एग्रीमेंट यानी समझौते के अनुसार भारत सरकार नहीं है। उसकी मालिक तो राज्य सरकार है, अतः वह नमक उसको मिलना चाहिये, क्योंकि समझौते के अनुसार विटनर्स राजस्थान सरकार की सम्पत्ति मानी गई है।

मैं भावनगर में गया। मैंने वहां देखा कि सांभर के नमक पर शोध हो रहा था। जो चीज़ राजस्थान से पैदा होती है उस पर शोध वहां किया जाता है। मैंने उनसे बहुत सी बातें पूछीं। उन्होने कहा कि जो नमूना हमारे पास आता है उसका शोध करते हैं। मैं नहीं समझता कि सांभर को नमक का सोध भावनगर में क्यों किया जाता है। आपको सांभर में एक लेबारेटरी (प्रयोगशाला) खोलनी चाहिये और नमक से जो भी कैमीकल्स (रसायनिक) बन सकते हैं उनका वहां उत्पादन होना चाहिये।

इसके अलावा वहां पर कोआपरेटिव तरीके से काम करने की सुविधायें नहीं बढ़ायी गई हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कुछ काम प्राइवेट सेक्टर को भी करने दिया जाये तो कम्पीटीशन, यानी होड़ से नमक के दाम भी कम हो जायेंगे और वहां की लेबर को भी काम मिलने लगेगा।

अब, मैं खादी के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। खादी के विषय में मंत्रालय ने साफ लिखा है कि उसका उत्पादन बढ़ने से गांवों के बेरोजगार व्यक्तियों में आत्म-निर्भरता और आत्म-विश्वास बढ़ेगा, और उन्हें रोजगार मिल जायेगा।

यह साफ बात है। खादी का हमारे देश की लाखों और करोड़ों जनता से सम्बन्ध है, हमारे दश की ८० प्रतिशत जनता किसान है और उसको एक सहायक धन्धा चाहिये। केवल खेती से

उनका पूरा नहीं पड़ता है। इनमें से लाखों किसानों के पास जमीन भी नहीं है। कल एक सभा में चर्चा हो रही थी कि केवल बिहार में ८० लाख भूमिहीन आदमी हैं। तो, आप समझ सकते हैं कि सारे देश में ऐसे कितने आदमी होंगे। मध्यम वर्ग के पास तो कोई धन्धा ही नहीं है। पढ़े लिखे आदमी बेकार बैठे हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट में लिखा है कि गांवों में जो एक सोई हुई जन शक्ति है उसका उपयोग करने के लिये हमें खादी का उपयोग और उत्पादन बढ़ाना होगा, लेकिन जब से खादी की चर्चा होनी शुरु हुई है और अम्बर चर्खे पर विचार शुरु हुआ है, पूंजीपतियों में बौखलाहट पैदा हो गई है। वे इतने बौखला गये हैं जैसे कि उनको अपना काल नजर आ रहा हो और उनकी दशा सन्निपात के रोगी जैसी हो रही है और वे कपड़े फाड़ने लगे हैं। आज उद्योगपतियों का यह हाल है कि चाहे कोई भी अवसर हो, चाहे बैंकिंग की मीटिंग हो या इंश्योरेंस की मीटिंग हो, वे अम्बर चर्खे का जिक्र ले आते हैं और कहते हैं कि देश को गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो माननीय सदस्य को खत्म करना चाहिये।

श्री बलवन्त सिंह महता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत शीघ्र ही समाप्त करने वाला हूं। अम्बर चर्खे के ऊपर होने वाले प्रयोग सफल सिद्ध हो चुके हैं और मैं तो कहूंगा कि अगर न भी सफल हुए हों तब भी हमारे देश की जो इतनी बड़ी जन-शक्ति है, उसका उपयोग करना है। आज हमारे देश में लाखों आदमी बेरोज़गार बैठे हैं और भूख से पीड़ित हैं और उनको धंधा नहीं मिलता और आधा पेट भोजन भी उनको नसीब नहीं हो पाता और एक वेलफ़ेयर स्टेट (कल्याणकारी राज्य) होने के नाते आपको उनको कुछ न कुछ धंधा देना पड़ेगा। अगर आप उनको कोई धंधा नहीं दे सकते तो उनको आप डौल दीजिये। मैं समझता हूं कि अगर आप उनको कोई काम करने के लिये नहीं दे सकते तो आप अपनी एक बड़ी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। मैं समझता हूं कि अम्बर चर्खे का हमारा प्रयोग सफल रहा है और अगर नहीं भी सफल होता है तब भी हमारी सरकार को इसको सफल बनाना चाहिये क्योंकि हम को इन लोगों को काम पर लगाना है और हम को इसके लिये बड़े-बड़े प्राइज़ (इनामें) रखने चाहियें। महात्मा गांधी ने १ लाख रुपये का प्राइज़ रक्खा था, और मैं तो कहूंगा आपको अब इसके लिये १ करोड़ रुपये का प्राइज़ रखना चाहिये, ताकि यह प्रयोग सफल हो और संसार के अच्छे से अच्छे इंजीनियर्स इसकी ओर आकर्षित हों और अगर ऐस किया जाय तो कोई कारण नहीं है कि इसमें सुधार न किया जा सके। हम को इनको विदेशों में भी भेज कर सुधार करवाना चाहिये। हमारी सरकार के पास हर एक किस्म के विशेषज्ञ बैठे हुए हैं और उनकी सहायता लेकर हमें इस अम्बर चर्खे में सुधार करवाना चाहिये और इसका प्रचार करना चाहिये क्योंकि इससे यह माना जा रहा है कि कम से कम ४०–४५ लाख आदमियों को हम इसके द्वारा रोज़ी दे सकेंगे। लेकिन अम्बर चर्खे के प्रश्न को लेकर हमारे यहां एक दूसरा राग भी अलापा जा रहा है और वह यह है कि हमारी प्लानिंग मिनिस्ट्री (योजना मंत्रालय) इस निर्णय पर पहुंची है कि प्रति व्यक्ति सोलह गज़ पर कैपिटा (प्रति व्यक्ति) की जो हमारी कपड़े की वर्तमान खपत है उसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में साढ़े अठारह गज़ प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत रखी जाये और हमारे देश की कपड़े की यह अतिरिक्त मांग अम्बर चर्खे के द्वारा पूरी की जाय। मगर हो क्या रहा है कि जो बड़े-बड़े स्थापित स्वार्थ वाले इंटरेस्टेड आदमी हैं वह तो हैं ही, लेकिन जो हमारे ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं और जिनकी संयुक्त जिम्मेदारी है, वे भी इनके साथ राग अलाप रहे हैं और कहते हैं कि जो प्रति व्यक्ति साढ़े अठारह के बजाय बीस गज़ कपड़े की जरूरत देश को होगी और वह इस अम्बर चर्खे जैसी नकली चीज़ों से पूरी होने वाली नहीं है। इस तरह से, वे इसको असफल बनाने में लगे हुए हैं और अभी से यह स्थिति पैदा की जा रही है कि देश में एक डर पैदा कर दिया जाये कि देश में बड़ा भारी कपड़े का अकाल आने वाला है। मैं कहता हूं कि अगर देश में अकाल भी आता है तो हम दृढ़ता के साथ उसका मुकाबला करेंगे और उस पर काबू पायेंगे,

[श्री बलवन्त सिंह महता]

और जरूरत हुई तो हम को वार फुटिंग (युद्ध की तरह) पर उसका सामना करेंगे और उसके लिये अगर हम को थोड़ी कुर्बानी भी करनी पड़ी तो हम करेंगे लेकिन हम अपने उन लाखों आदमियों को भूखा नहीं मरने देंगे जो आज बिना काम के बैठे हुए हैं। आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे ज़िम्मेदार व्यक्ति हमारे इस अम्बर चर्खे का मजाक उड़ाते हैं जबकि तथ्य यह है कि आज देश में खादी का उत्पादन बहुत बढ़ा है और खादी काफ़ी मात्रा में देश में बिक रही है और हम देख रहे हैं कि आज देश के विभिन्न भागों में खादी इम्पोरियमों (प्रदर्शन कक्षों) में महीने में कई-कई लाख रुपये की खादी बिकने लगी है और इस खादी उद्योग के देश में पनपने से लाखों गरीब लोगों को काम मिल गया है और उनकी जीविका का प्रबन्ध हो गया है। अब और कुछ नहीं तो यह कहा जाता है कि खादी भंडारों पर लेडी वर्कर्स (महिला कार्यकर्मी) रखी जाती हैं, खादी बेचने के काम पर रखी जाती हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा करना क्या कोई पाप करना है? वह तो एक कला की चीज़ है और अगर हमारी मातायें बहनें आदि खादी बेचती हों तो यह उन्हीं का काम है क्योंकि वह कला से सम्बन्धित है। इसमें हर्ज ही क्या है? मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे इस खादी उद्योग के पीछे इस तरह की विरोधी शक्तियां काम कर रही हैं जो इसको सैबोटेज़ (तोड़-फोड़) करना चाहती हैं अतः उत्पादन मंत्रालय को इस तरह के विरोधी प्रचारों से सावधान और सतर्क रहना चाहिये। मेरी मंत्री महोदय से विनती है कि आप अपने स्थान पर मज़बूती के साथ खड़े रहें और इस अम्बर चर्खे के प्रयोग को और खादी उद्योग को प्रोत्साहन देते रहें, ताकि इस देश के लाखों गरीबों को खाने को रोटी मिल सके और वे काम पर लगे रहें और मुझे पूर्ण आशा है कि कर्वे कमेटी और प्लानिंग कमीशन (योजना आयोग) ने जो भी इसके लिये टार्गेट (लक्ष्य) निर्धारित किया है उसको पूरा करने के लिये प्रयत्नशील रहेंगे, और इन विरोधी प्रचारों की कोई पर्वाह नहीं करेंगे।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री (उत्पादन मंत्रालय) को क़ायम करते वक्त इससे बहुत सी उम्मीदें बांधी हुई थीं और जब यह मिनिस्ट्री कायम हुई थी तो यह समझा गया था कि देश में इंडस्ट्रीज़ की तरक्की होगी और जितनी भी नेशनल अंडरटेकिंग्स (राष्ट्रीय उपक्रम) हैं उनको बिल्कुल पूरे तरीके से कामयाब बनाने के लिये ही इस मिनिस्ट्री का आगाज़ (प्रारम्भ) हो रहा है और अगर पिछले तीन-चार साल की रिपोर्टस को देखें और उनके नफे या नुक्सान को तराजू पर रख कर तौलें तो हम पर यह चीज़ साफ राहिज हो जायगी कि वह तमाम हमारी उम्मीदें मिट्टी में मिल रही हैं और हमने जो इस मिनिस्ट्री से उम्मीद बांधी थी कि वह कमर्शियल अंडरटेकिंग्स (व्यावसायिक उपक्रम) को सेल्फ़ सफिशियेंसी (आत्म निर्भरता) तक पहुंचा देंगी और यहां की इंडस्ट्रीज़ साउंड फुटिंग (पक्की नींव) पर कामयाबी के साथ चलना शुरू हो जायेंगी, वह हमारी उम्मीद पूरी होती नज़र नहीं आ रही है।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

एक बीमारी और हमारी केन्द्रीय सरकार में मालूम होती है और वह है पोर्टफोलियोज़ की तकसीम को लेकर आपस में झगड़ा करना और इस झगड़े के कारण हम को कनफ्यूज़न (गलत-फहमी) हो जाता है और हम देखते हैं कि जो ब्रांच (शाखा) मिनिस्ट्री में जिस जगह पर होती है अगले साल वह ब्रांच दूसरी तरफ़ तबदील हो जाती है और यह जो मिनिस्ट्रीज़ में बार-बार तबदीलियां होती रहती हैं और मैनेजिंग एजेंसी की जो तबदीलियां होती हैं, उनके कारण कितनी खराबियां इंडस्ट्रीज में आ जाती हैं, यह उनकी रिपोर्ट पढ़ने से मालूम हो जायगा।

खैर मैं अब अपने विषय पर आता हूं। पहली चीज तो यह है कि अगर हमको सोशलिस्टक पैट्रन ऑफ सोसाइटी के स्लोगन (समाजवादी ढंग के समाज का नारा) को ठीक तरीके से कामयाब बनना

है तो हमको यह देखना होगा कि हमारी इंडस्ट्री कमर्शियल बेसिस (वाणिज्यिक आधार) पर चल रही है कि नहीं, यह आदर्श हमारे मुल्क के सामने रहना चाहिये। इस तरह से उनका डिसेंट्रलाइजेशन (विकेन्द्रीकरण) किया जाय कि मुल्क में जितना मैटीरियल पैदा होता है वह हम अपने काम-धंधों में इस्तेमाल कर सकें और मुल्क में बड़ी-बड़ी या छोटी-छोटी कोआपरेटिव बेसिस पर इंडस्ट्री कायम करें और इस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री को इस तरह पर काम करना होगा अगर वह चाहती है कि जो उम्मीदें लोगों ने उससे लगा रखी हैं, वे पूरी हों।

अब मैं कुछ शब्द यह जो हैंडलूम इंडस्ट्री खादी की है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि शायद साल भर से यह हैंडलूम इंडस्ट्री (हाथकरघा उद्योग) और खादी की ब्रांच इस मिनिस्ट्री के अंडर (अन्तर्गत) आई है, और मैं मानता हूं कि इस उद्योग को केन्द्रीय सरकार की ओर से बहुत कुछ मदद मिल रही है, लेकिन यह केवल स्पून फीडिंग (बिना विकास किये सहायता देना) मात्र है और यह इंडस्ट्री आज भी अपने पैरों पर खड़े होकर नहीं चल सकती है और इस उद्योग को बड़ी-बड़ी जो स्पिनिंग मिल्स (कताई मिलें) हैं उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि एक शहर में तो दस-दस और बारह-बारह मिलें कायम हैं जबकि दूसरी जगह पर एक भी मिल नहीं है और इसकी ओर मंत्रालय का ध्यान जाना चाहिये।

इसके अलावा, कॉटन ग्रोअर्स (कपास उगाने वाले) डिस्ट्रिक्ट्स में हमें यह देखना होगा कि यार्न (सूत) का वितरण माकूल तरीके पर कराया जाय और सरकार को हैंडलूम इंडस्ट्री को यह यार्न कुछ कम कीमत पर दिलाना होगा, और जब तक इस तौर पर सक्रिय रूप से हम इस हैंडलूम और खादी उद्योग को प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक यह देश में पनप नहीं सकेगा और यह महज एक फिलासफी (विचारधारा) बन कर रह जायगा और सिर्फ कागज पर ही यह लिखा रह जायगा कि सरकार इसको प्रोत्साहन देना चाहती है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार इस खादी और हैंडलूम को अमली तौर पर हर तरह से इम्दाद और प्रोटेक्शन (संरक्षण) नहीं देगी, तब तक हम जो एम्प्लायमेंट पोटेंशियल (रोजगार की सम्भाविता) है, उसको पूरा नहीं कर पायेंगे।

इसके अलावा, मेरा एक सुझाव यह भी है कि स्टेट अंडरटेकिंग्स में जो माल ऐडमिनिस्ट्रेशन (कुशासन) है और जिसकी कि वजह से सरकार को भारी हानि उठानी पड़ रही है उसकी तरफ भी सरकार ध्यान दे और उसको दूर करने का उपाय करे।

एक जिले में एक एम्पोरियम कायम करने से, या स्टेट के हेडक्वार्टर्स में एक-एक एम्पोरियम क़ायम करने से हम मार्केटिंग की फेसिलिटीज (सुविधायें) नहीं दे सकते। आपको अभी से एक ओथ (शपथ) लेनी पड़ेगी कि इस घरेलू सनत को मार्केट में लाना है। इसके लिये आप को कोई पैटर्न (नमूना) रिजर्व (सुरक्षित) कर देना चाहिये। मैं आज भी वही बात फिर दोहराता हूं जो कि मैंने इस हाउस में दो साल पहले पेश की थी और देश के बड़े-बड़े नेताओं ने भी, जैसे राजगोपालाचर्य जी ने, एक फार्मूला (सूत्र) पेश किया था कि जब तक साड़ियों और धोतियों को इस हैंडलूम इंडस्ट्री के लिये रिजर्व नहीं किया जायेगा उस वक्त तक कोई उम्मीद हम नहीं कर सकते कि खादी और हैंडलूम की उन्नति हो सकेगी। मुझे बहुत अफसोस मालूम होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में हमारी खादी की हालत बहुत अच्छी थी। उसके साथ-साथ जो उसके तत्व का प्रचार करने वाली हैंडलूम इन्डस्ट्रीज की शाखायें थीं, वह भी उस समय कम से कम जीवित रहने लायक कमा लेती थीं, लेकिन आज वह बड़ी बुरी हालत में हैं। आज उनका कम्पिटीशन मिलों से हो रहा है, इसको मैं साबित करना चाहता हूं। मैं किसी भी तरह से मिलों के खिलाफ नहीं हूं, बड़ी-बड़ी मिल्स को भी आप रहने की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ पैटर्न (प्रकार) ही हैंडलूम के लिये रिजर्व करदें, साड़ी, धोती नहीं, तो कम से कम तौलिया या रोजमर्रा इस्तेमाल की गवर्नमेंट की चीजें ही उनके लिये रहने दें तो भी काम

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

चल सकता है। लेकिन आज गवर्नमेंट के कामों के लिये भी हैंडलूम और खादी नहीं खरीदी जा रही है। मिलिटरी के इस्तेमाल की चीजें भी नहीं खरीदी जा रही हैं। अगर हम अपने मुल्क की भलाई के लिये, इस इंडस्ट्री की भलाई के लिये, इतना सामान भी नहीं खरीद सकेंगे, तो हम कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि यह इंडस्ट्री बहुत दिनों तक जिन्दा रह सकेगी ? लिहाजा मैं मंत्री महोदय से साफ तौर से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री को बचाने के लिये काफी कोशिश की जानी चाहिये।

दूसरा डिफेक्ट (त्रुटि) मुझ को यह मालूम होता है, हालांकि मैं गवर्नमेंट को बधाई देना चाहता हूं हैंडलूम वीवर्स की कोआपरेटिव ऐसोसिएशन (संस्था) बनाने के लिये....

†**श्री के० सी० रेड्डी** : माननीय सदस्य मुझे इस हस्तक्षेप के लिये क्षमा करेंगे। लेकिन, मैं आप को बताना चाहता हूं कि हाथ-करघा बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। इसलिये मेरे विचार से, अच्छा होगा यदि ये कुछ प्रश्न वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में होने वाले विवाद के समय भी उठाये जायें।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अन्य बातों के सम्बन्ध में अपना भाषण जारी रखें।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : जी हां। इसके बाद मैं सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्टरी (खाद कारखाना) के बारे में कहना चाहता हूं। आप बड़ी-बड़ी मिलें इस तरह की कायम करके मुल्क के एक ही तरफ बहुतसा उत्पादन करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक स्टेट में छोटे-छोटे कारखाने स्थापित किये जायें क्योंकि इससे सारे मुल्क में फर्टिलाइजर का तकसीम करना आसान हो जायेगा। जहां तक हैंडीक्रैफ्ट्स (दस्तकारी) और खादी का सवाल है, मैं समझता हूं कि खादी आपकी मिनिस्ट्री के दायरे में आती है, उसमें खादी के लिये जो ग्रान्ट्स (अनुदान) दी जाती हैं, उनकी भी तहकीकात की जाय कि कहां तक यह रकमें खादी के डेवेलपमेंट (विकास) के लिये इस्तेमाल की जाती हैं। इसके लिये जो ग्रान्ट्स दी जाती हैं उनके इस्तेमाल के बारे में भी काफी शिकायतें आती हैं। उनकी जांच करके सही तरीके से इस घरेलू सनत को बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिये।

दूसरे हैंडीक्रैफ्ट्स बोर्ड के बारे में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टेट्स में और कम्यूनिटी प्रोजेक्ट एरियाज (सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों) में बड़ी-बड़ी स्कीम्स इन्ट्रोड्यूस (आरम्भ) हो चुकी हैं। वहां पर भी ग्रान्ट्स दी जाती हैं, लेकिन असली तौर पर, मैं इतना ही बता दूं, खास कर मैं अपने जिले के बारे में कहता हूं, कि कम्यूनिटि प्रोजेक्ट एरियाज में गवर्नमेंट की तहत जो हैंडीक्रैफ्ट बोर्ड चल रहे हैं वहां मैंने खुद देखा है कि कोई खास काम नहीं चल रहा है। ज्यादातर छोटे-छोटे काम करने वाली बहनों को तनख्वाह वगैरह दी जा रही है। इसके अलावा किसी तरह की ट्रेनिंग का या प्लैनिंग (प्रशिक्षण या आयोजन) का काम वहां नहीं चल रहा है।

इसी तरह से मैं समझता हूं कि इस मिनिस्ट्री की तहत में जो कारखाने बहुत से जिलों में चल रहे हैं उनके काम की भी सही तौर पर जांच होनी चाहिये। इस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट को देखने से हमें कोई पता नहीं चलता कि जो कारखाने उसके जरिये चलाये जा रहे हैं उनके अन्दर फायदा कितना है और नुक्सान कितना ? हर एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री (अलग-अलग उद्योग) के फायदे और नुक्सान का चार्ट (विवरण-पत्र) बनाया जाना चाहिये और उसको हम को डिटेल (ब्यौरे) में बताना चाहिये।

†**श्री एन० राचय्या** (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं उत्पादन मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। उसने पिछले चार वर्षों में बड़ी कार्य-कुशलता का परिचय दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस मंत्रालय को समाजवादी ढंग के समज के निर्माण में एक भारी योग देना है। इस मंत्रालय ने सदैव ही इसका बड़ा ध्यान रखा है।

१५ जून, १९५५ को लोहा और इस्पात का एक पृथक् मंत्रालय बनने पर, रूरकेला तथा भिल्लाई इस्पात परियोजनाओं का प्रशासकीय नियंत्रण उस नये मंत्रालय को ही सौंप दिया गया है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। उसे उत्पादन मंत्रालय में ही रहना चाहिये था। उत्पादन मंत्रालय एक वृद्धिमान मंत्रालय है, और इसके द्वारा नियंत्रित तमाम महत्वपूर्ण कारखानों में अन्य मंत्रालयों के कर्मचारी काम करते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सभी राष्ट्रीय उपक्रम इसी मंत्रालय के नियंत्रण में रहने चाहियें। यही देश के सर्वोत्तम हितों में है।

इस मंत्रालय द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय उपक्रमों में सिन्दरी खाद कारखाना काफी महत्वपूर्ण है। हमारे देश का मुख्य उद्योग खेती है और इसलिये, उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि उस कारखाने का कार्य बड़ा संतोषपूर्ण रहा है। उसमें 'अमोनियम सल्फेट' का उत्पादन एक वर्ष के लिये हमारे ३,२०,००० टन के निश्चित लक्ष्य से भी आगे बढ़ गया है।

उर्वरकों के उत्पादन में निश्चित वृद्धि हुई है। उत्पादन अच्छे ढंग से चलाते रहने के लिये, मंत्रालय ने काफी प्रयास किया है।

कोक के उत्पादन के सम्बन्ध में भी सिन्दरी आत्मनिर्भर हो गया है। इस प्रकार सिन्दरी फैक्टरी ने निश्चित प्रगति की है, जिसके लिये मंत्रालय बधाई का पात्र है।

जहां तक हिन्दुस्तान केबुल्स लिमिटेड का सम्बन्ध है, यद्यपि यह ठीक ढंग से कार्य कर रहा है, परन्तु फिर भी प्रगति की गति धीमी है। इसमें शीघ्रता लायी जानी चाहिये। हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना है। यह एक महत्वपूर्ण कारखाना है जो हमारे लोकतंत्र विकास में सहायक सिद्ध होगा। मैं यह जानता हूं कि यह अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है और रूस के प्रधान मंत्री मार्शल बुल्गानिन तथा उनके सहयोगी श्री ख्रुश्चेव आदि विशिष्ट विदेशी अतिथियों ने भी इसकी प्रशंसा की है।

अब मैं कोयला उद्योग पर आता हूं। हमारे व्यापार और उद्योगों को उन्नत बनाने की दृष्टि से यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण उद्योग है,। इसका भी उत्पादन निरंतर बढ़ता जा रहा है।

अब मैं ग्राम-उद्योगों, विशेष रूप से रेशम उद्योग और चमड़ा उद्योग के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में रेशम ही अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योग है और देश भर के कुल उत्पादन का ६०–७० प्रतिशत रेशम वहां बनाया जाता है। इस कुटीर उद्योग को, निर्धनों का उद्योग होने के कारण, युद्ध के बाद, पिछले आठ वर्षों में, उचित प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। युद्धकाल में यह उद्योग अत्यन्त समृद्धिशील था। परन्तु अब देश के लचीलेपन और मूल्यों को अस्थिरता के कारण इस उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है। मंत्रालय से मेरा आग्रह है कि इस उद्योग को विकसित करने के लिये मैसूर राज्य में एक गवेषणा संस्था को स्थापना की जाये, अनुदान और सरकारी आर्थिक सहायता दी जाये और इस उद्योग का विकास उसी ढंग से किया जाये जिस प्रकार जापान में किया गया है। इस उद्योग को उचित प्रोत्साहन और संरक्षण देने से, न केवल यह उद्योग समृद्धिशील हो जायेगा, वरन् राष्ट्रीय राजकोष को भी विदेशी मुद्रा के रूप में अधिक राजस्व प्राप्त होगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस उद्योग पर अधिक ध्यान दें; अन्यथा मुझे विश्वास है कि देश के उस भाग में, जहां बड़ी मात्रा में रेशम तैयार किया जाता है, बड़ी गड़बड़ी फैल जायेगी।

रेशम उत्पादकों ने बड़ी संख्या में अभ्यावेदन किये हैं और केन्द्रीय सरकार ने कुछ हद तक संरक्षण दिया भी है। परन्तु मैं जानता हूं कि राज्य सरकार कुछ भी प्रोत्साहन देने की स्थिति में नहीं है,

[श्री एन० राचय्या]

क्योंकि अभी ही उसके आय-व्ययक घाटे में चल रहे हैं। इसलिये रेशम को केन्द्र का विषय मान कर उसको अधिक वित्तीय सहायता, विशेष रूप से सरकारी सहायता और अनुदान दिये जाने चाहिये।

चमड़ा उद्योग एक ग्राम-उद्योग है। देश के आर्थिक जीवन में इस उद्योग का अत्यधिक महत्व है क्योंकि खाल और चमड़े का बड़ी मात्रा में विदेशों को निर्यात किया जाता है। इस उद्योग और चमड़ा-मजदूरों पर सैकड़ों-हजारों वर्षों से ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप--पूंजीपति उनका शोषण कर रहे हैं। उदाहरण के लिये, पंजाब में यह उद्योग संकट का सामना कर रहा है।

इस उद्योग में करोड़ों व्यक्ति काम कर रहे हैं। पशु-धन की वृद्धि के साथ खाल और चमड़े का उत्पादन भी निश्चय ही अधिक पैमाने पर होगा। यदि सरकार की सहायता प्राप्त न हुई तो जिन लोगों ने इस उद्योग को अपनी जीविका का साधन बनाया हुआ है वह संकट में पड़ जायेंगे इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस उद्योग को बढ़ावा देने और उन्नत बनाने के लिये एक निश्चित नीति और निश्चित योजना बनाये। छोटे उद्योगों सम्बन्धी प्रतिवेदन के अनुसार इस उद्योग को विकसित करने के लिये जो कार्यक्रम बनाया गया है वह उद्योग के लिये विशेष हितकारी नहीं है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को भी जो अत्यल्प सहायता दी गयी है उसका भी ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त, क्योंकि समस्त राज्यों को इस उद्योग का विकास करने के लिये अनुदान नहीं दिये गये हैं, इसका अर्थ यही हो सकता है कि या तो इस उद्योग का विकास करने में केन्द्रीय सरकार की अभिरुचि नहीं है अथवा राज्य सरकारों ने केन्द्र से अनुदान की मांग नहीं की। कुछ राज्यों को जिनमें मैसूर भी है, इस उद्योग को विकसित करने की कोई चिन्ता नहीं है। मुझे आशा है कि सरकार इस बात की व्यवस्था करने के लिये, कि मैसूर राज्य में इस उद्योग की उन्नति के लिये निश्चित नीति का पालन किया जाये और योजना बनाई जाये, आवश्यक कार्यवाही करेगी।

इस उद्योग में काम करने वाले लोगों को अपनी मामूली आवश्यकताओं की वस्तुयें प्राप्त नहीं होती हैं क्योंकि इसमें काम आने वाले सामान की कीमतें अधिक हैं और अपने उत्पादनों के लिये उनको बाजार नहीं मिलता है, जिसका परिणाम यह होता है कि इस उद्योग से सम्बन्धित लोगों की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय हो गयी है। हमारी सरकार के उद्देश्यों के अनुसार इस उद्योग को अधिक महत्व और संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये।

जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, उनकी संख्या हमारे देश की कुल जनसंख्या का पांचवां भाग है। इनके कल्याण पर किसी भी मंत्रालय ने ध्यान नहीं दिया है। यहां तक कि ग्रामोद्योगों के मामले में भी इनकी चिन्ता नहीं की गयी है। यदि ग्रामोद्योगों में कुछ भाग इनके लिये सुरक्षित कर दिया जाये तो इनको कुछ प्रोत्साहन मिल सकता है। जहां भी यह बड़ी संख्या में रहते हों वहां इनके लिये वित्तीय सहायता देने के लिये एक निश्चित योजना और कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि सभी राज्यों में एक सी नीति चलाने की व्यवस्था करें। प्रत्येक राज्य अपनी अलग-अलग नीति चला रहा है और केन्द्रीय सरकार समझती है कि अनुदान दे देने के बाद उसका सारा कार्य समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिये। यह केन्द्रीय सरकार का रुपया है और इसका व्यय उपयोगी और लाभकारी ढंग से किया जाना चाहिये। इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि ग्रामोद्यागों और छोटे उद्योगों--विशेष रूप से चमड़ा उद्योग--की उन्नति के लिये समान और एक सी नीति अपनायी जानी चाहिये।

†**श्री एन० बी० चौधरी** (घाटल) : इस मंत्रालय का प्रतिवेदन पढ़ते समय मुझे जो बात सबसे अधिक खटकी है वह यह है कि ग्रामोद्योगों पर व्यय में कमी हुई है। जिस समय अनुपूरक आय-व्ययक

---

†मूल अंग्रेजी में

पर चर्चा की जा रही थी उस समय मैंने इस कमी के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट किये थे, परन्तु उस समय मंत्रालय ने उनका समुचित उत्तर नहीं दिया था। मुझे आशा है कि इस समय मंत्रालय स्वीकृत राशियों के भी व्यय न किये जाने के पर्याप्त कारण बतायेगा।

मैं दो उदाहरण दे दूं। मधुमक्खी पालन के लिये स्वीकृत ५,०९,३०० रुपये के अनुदान और ५ लाख के ऋण में से दिसम्बर, १९५५ तक कुल १,२५,८४९ रुपये और ३४,००० रुपये क्रमशः अनुदानों और ऋण के रूप में वितरित किये जा सके।

इसी प्रकार तेल उद्योग के लिये स्वीकृत २०,९९,००० रुपयों में से जनवरी, १९५६ के अन्त तक केवल ४,०१,१७९ रुपये ही व्यय किये गये हैं। इसका क्या कारण है? हम देखते हैं कि गांवों में तेली कहीं के भी नहीं रहे हैं। उनका व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हुआ जा रहा है। इसका कारण यह है कि उनको कच्चा माल, सरसों और वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त होती है।

अब मैं कुछ अन्य बातों पर आता हूं। इस मंत्रालय की देखरेख में चलने वाले उद्योगों और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की देखरेख में कार्य करने वाले उद्योगों का एकीकरण नहीं किया गया है। इन उद्योगों का बंटवारा बड़े मनमाने ढंग से किया गया है। इससे कुछ कठिनाई होती है, इसलिये जहां तक ग्रामोद्योगों खादी और हाथ करघा उद्योग का सम्बन्ध है, उनका एकीकरण और समन्वय किया जाना चाहिये। इस पहलू का ध्यान रखा जाना चाहिये।

वह दूसरी चीज, जिस पर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, सींग का सामान बनाने का उद्योग है। इस उद्योग में सामान बनाने में कुछ रुकावटें हैं। इनके कुशल मजदूरों को महाजनों अथवा मध्यवर्त्तियों के अधीन रह कर कार्य करना पड़ता है, जो इन मजदूरों का शोषण करके अत्यधिक लाभ कमाते हैं। यह मजदूर अत्यधिक कठिनाई में हैं और इन्होंने अपनी सहकारी समितियां बना ली हैं। यदि सहकारी समितियों के बनाये जाने अथवा उनके विकास में सरकार की थोड़ी भी अभिरुचि है तो उसको इन लोगों को आवश्यक सहायता देकर इस उद्योग की सहायता करनी चाहिये। सहकारी ढंग से इन उद्योगों को विकसित और शोषित मजदूरों को संगठित किया जा सकता है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान उत्पादन मंत्रालय के अधीन चलने वाले कुछ सार्वजनिक उद्योगों की भरती सम्बन्धी नीति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वह केवल प्रशिक्षित प्राधिकारियों को ही भरती करते हैं और गैर-सरकारी उद्यागों में कार्य करने वालों को नहीं लेते हैं। हम औद्योगिक कर्मचारियों की एक पदाली बनाये जाने की चर्चा तो सुनते हैं परन्तु इसके सम्बन्ध में अब तक कोई ठोस कार्यक्रम अथवा योजना दिखाई नहीं पड़ी है। यदि हम गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को, जिनको उद्योगों का पर्याप्त अनुभव है और जो सार्वजनिक क्षेत्र में आने के लिये तैयार हैं, भरती करें तो निश्चय ही सार्वजनिक क्षेत्र अधिक अच्छे ढंग से कार्य करने लगेगा। प्रश्न के इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिये।

तेल-करार के सम्बन्ध में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि इसकी शर्तों के सम्बन्ध में इस सभा में और अन्यत्र की गयी अनेक मांगों के बावजूद भी इस मामले पर सरकार द्वारा गम्भीरता-पूर्वक विचार नहीं किया गया है। सरकार से हमारा आग्रह है कि हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुये इन करारों का पुनरीक्षण किया जाये और उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिये कार्यवाही की जाये। साथ ही मैं संश्लिष्ट तैल के विकास पर अधिक जोर देने की आवश्यकता के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। यद्यपि इस सभा में इस सम्बन्ध में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं फिर भी हमें इसका ब्यौरा नहीं मिलता है कि इस उद्योग को विकसित करने के लिये क्या किया जा रहा है। इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

[श्री एन० बी० चौधरी]

अन्त में, मैं मंत्री महोदय से केवल पुनः वही आग्रह करूंगा कि वह ग्रामोद्योगों पर अधिक ध्यान दें और इनकी रोजगार देने की क्षमता तथा वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता किये जाने की तात्कालिक आवश्यकता की दृष्टि से अब तक जो कुछ किया गया है उससे कुछ और अधिक सहायता दें ।

बैठने से पहले मैं एसोसियेटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के साथ किये गये करार के सम्बन्ध में भी कुछ बात कहना चाहता हूं । हम भारी विद्युत् उपकरण उद्योग को विकसित करना चाहते हैं। इस प्रकार की कम्पनियों से किये गये करारों में हम यह उपबन्ध रखते हैं कि यदि वह एक निश्चित समय के भीतर कुछ निश्चित कार्य को पूरा नहीं कर देंगे तो उन्हें कुछ निश्चित राशि अदा करनी पड़ेगी। अनेक संस्थाओं के सम्बन्ध में हमारा अनुभव है कि उनको बहुत ही थोड़ी सीमा तक उत्तरदायी बनाया जाता है, अपेक्षित सीमा तक नहीं । इसलिये इसके साथ किये गये करार का भी पुनरीक्षण करके उसको अधिक सीमा तक उत्तरदायी बनाया जाना चाहिये ।

†**श्री ए० एम० थामस** : मैं समझता हूं कि सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के बाद उत्पादन मंत्रालय के कार्यों की ओर ही इस सभा का सबसे अधिक ध्यान आकृष्ट होना चाहिये । यह बात कहने के बाद मैं इस सभा में समय-समय पर प्रगट की जाने वाली इस मनोवृत्ति की, कि पहले तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के कार्यों में छिद्रान्वेषण किया जाता है और फिर आमतौर पर निन्दा की जाने लगती है, निन्दा करना चाहता हूं । हम लोग समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना करने के लिये वचनबद्ध हैं । इसके लिये सार्वजनिक क्षेत्र का अनिवार्य रूप से विस्तार किया जाना है और राज्य को भारी उत्तरदयित्व संभालने हैं । इसलिये माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न पर सहानुभूति, समझदारी और रचनात्मक दृष्टिकोण से विचार करें ।

श्री के० के० बसु ने कहा कि गैर-सरकारी क्षेत्र पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य से आगे बढ़ जाने में सफल हुआ है । जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, वह लक्ष्य को केवल ६० प्रतिशत पूर्ति ही कर पाया है । हम सभी जानते हैं कि हमारा इरादा एक इस्पात-संयंत्र की स्थापना करने का था, ऐसा करना सम्भव नहीं हो सका । हम भारी विद्युत् उपकरणों का उत्पादन आरम्भ करना चाहते थे, परन्तु ऐसा नहीं कर पाये । इस प्रकार के भारी उद्योगों के लिये अलग रखे गये करोड़ों रुपये व्यय नहीं किये जा सके । परन्तु मैं समझता हूं कि इसके लिये सम्पूर्ण उत्पादन मंत्रालय की आलोचना करना उचित नहीं है ।

श्री बसु ने इन उद्योगों की प्रबन्ध-व्यवस्था के ढंग का भी उल्लेख किया । इस विषय पर अनेक बार चर्चा की जा चुकी है और मुझे अभी तक एक भी ऐसा सदस्य नहीं मिला है जिसने यह कहा हो कि यह नमूना अच्छा है और आपको इसे अपना लेना होगा । जब विभागीय प्रबन्ध का प्रश्न उठता है तो माननीय सदस्य उसकी भी आलोचना करते हैं । जब कोई निगम बनाया जाता है तब कहते हैं कि लोक-सभा का कोई नियंत्रण ही नहीं रहा है । मैं समझता हूं कि मंत्रालय ने बीच का मार्ग अथवा प्रबन्ध के समवाय स्वरूप को——अपनाया है । परन्तु मैं नहीं समझता कि सरकार एक इसी नमूने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है । हमें अनुभव से सीखना है । इसलिये मैं समझता हूं कि हमें कुछ धैर्य रख कर यह देखना चाहिये कि प्रबन्ध करने के यह समवाय स्वरूप किस ढंग से कार्य करता है ।

पिछले वर्ष जिस समय इस मांग पर विचार किया गया था, उस समय विशाखापटनम् स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड के कार्य के प्रति काफी चिन्ता प्रगट की गई थी । इस वर्ष मंत्रालय ने उसके कार्य पर काफी संतोष प्रगट किया है । मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं परन्तु मेरा विचार है कि यह दुर्भाग्य की ही बात है कि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न को केवल इस अस्पष्ट घोषणा के साथ, कि एक अन्य

†मूल अंग्रेजी में

शिपयार्ड की स्थापना करने की प्रस्थापना की जा रही है, समाप्त कर दिया गया है। मुझे इस बात का खेद है कि उत्पादन मंत्रालय ने इस प्रश्न पर उचित ध्यान नहीं दिया है। सरकार को प्रविधिक कर्मचारियों की कमी का बहाना करके दूसरे शिपयार्ड की स्थापना करने के काम में विलम्ब नहीं करना चाहिये।

मेरा यह भी सुझाव है कि यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि दूसरे शिपयार्ड में भी हम उन्हीं पोतों का निर्माण करें जिनका विशाखापटनम् में करते हैं। मैं तो इस बात पर भी जोर दूंगा कि अलग-अलग स्थानों में बनाये जाने वाले पोतों के डिजाइनों और टन-भार में अन्तर होना चाहिये।

बताया जाता है कि नौ-इंजीनियरों के दो फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने पोत-निर्माण उद्योग का विकास करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये १९४९ में भारत के विभिन्न पत्तनों का सर्वेक्षण किया था और कोचीन के सम्बन्ध में कहा था कि वहां निश्चित रूप से इस उद्योग की स्थापना की जा सकती थी। मुझे नहीं मालूम कि इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है।

कोचीन के सम्बन्ध में मैं इसलिये नहीं कहता हूं कि वह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वरन् इसलिये कि पोत-निर्माण के क्षेत्र में उसको परम्परागत ख्याति प्राप्त है। इसलिये मैं पुनः आग्रह करूंगा कि दूसरा शिपयार्ड कोचीन में स्थापित किया जाये। यह अनिवार्य है। वहां आपको आवश्यक कुशल मजदूर भी प्राप्त हो सकते हैं।

श्री एन० बी० चौधरी ने तेल शोधक कारखानों सम्बन्धी समझौतों का प्रश्न उठाया है। समझौते के स्वरूप और नीति पर इस सभा में चर्चा हो चुकी है। इस प्रतिवेदन में दिये गये एक विवरण का स्पष्टीकरण मैं माननीय मंत्री से चाहता हूं। पृष्ठ ३८ पर कहा गया है कि कुछ समय के लिये किन्हीं प्रविधिक कठिनाइयों के कारण मिट्टी के तेल का उत्पादन अनुमानित परिमाण से कम हुआ था। मेरा ख्याल है कि तथाकथित प्रविधिक कठिनाइयां इसलिये हैं कि मिट्टी के तेल के उत्पादन में उन्हें अन्य वस्तुओं के उत्पादन जितना लाभ नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि उत्पादन मंत्रालय द्वारा शर्तों के लागू किये जाने में कड़ाई बरती जाये। प्रतिवेदन के उत्तरार्द्ध में कहा गया है कि देश में मिट्टी के तेल, डीजल आयल और तारकोल की कमी है।

जब हम सफलताओं का मूल्यांकन कर रहे हैं तो मैं हिन्दुस्तान एन्टी-बायोटिक्स लिमिटेड का उल्लेख करना चाहता हूं। प्रथम पंचवर्षीय योजनावधि के लिये ४८ लाख मेगा यूनिट के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उत्पादन उससे अधिक हुआ है। प्रशासनिक प्रतिवेदन में बताया गया है कि पिम्परी स्थित पेनिसिलीन फैक्टरी में निर्मित औषधि की परीक्षा विदेशों में जांच के लिये भेज कर की गई है और उसकी शुद्धता और गुण प्रमाणित हो चुके हैं। किन्तु उत्पादन मंत्रालय को एक बात पर ध्यान देना चाहिये कि हमारे देश में निर्मित पेनिसिलीन के अच्छे होते हुये भी आयातित पेनिसिलीन को अब भी वरीयता दी जाती है। इसके कारण चाहे जो भी हों, किन्तु तथ्य यह है कि आयातित वस्तुओं को अब भी वरीयता दी जाती है। कुछ डाक्टरों ने मुझे यह बताया है कि एक विशिष्ट समय के बाद हमारे देश में निर्मित पेनिसिलीन शक्तिहीन हो जाती है। यदि यह सच है तो मेरा ख्याल है कि जनता को इन तथ्यों से अवगत किया जाना चाहिये।

अब मैं नीति विषयक कुछ पहलुओं को लेता हूं। उद्योगों के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब हमने सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय से पूछा था कि क्या कोई विशिष्ट परियोजना एक स्थान विशेष पर स्थापित की जायेगी या नहीं तो हमसे पूछा गया था कि विद्युत् शक्ति का उपयोग कहां होगा ? यदि हम उद्योगों के बारे में पूछते हैं तो हमसे कहा जाता है कि विद्युत् शक्ति नहीं है और इस प्रकार यह एक दुष्टचक्र सा बन गया है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि कतिपय उद्योगों के

[श्री ए० एम० थामस]

सम्बन्ध में, जहां आर्थिक या प्रविधिक बातों की ओर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है, किसी प्रदेश विशेष के साथ न्याय नहीं किया जा सकता है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन उद्योगों को आप प्रारम्भ करना चाहते हैं उनके बारे में एक मुख्य योजना अवश्य होनी चाहिये और उसमें उन स्थानों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये जहां यह उद्योग स्थापित किये जाने वाले हैं ताकि विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्री इस बात का दावा एक साथ न कर सकें कि कोई विशिष्ट परियोजना उनके राज्य में स्थापित की जायेगी।

राष्ट्रीय उद्योग निगम की स्थापना, अन्य बातों के अतिरिक्त नये, भारी और बुनियादी उद्योगों के विस्तार की संभावनाओं की जांच करने के लिये की गई है। जिस समय हम उक्त मुख्य योजना बनायें उस समय यदि योजना आयोग और राष्ट्रीय उद्योग निगम को उत्पादन मंत्रालय द्वारा विश्वास में लिया जाये तो अधिक अच्छा होगा।

अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड तथा अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड सम्बन्धी प्रतिवेदनों को पढ़कर मुझे वास्तव में निराशा हुई है। जहां तक केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यकरण का सम्बन्ध है मैं अधिक नहीं जानता हूं। जहां तक लोहा और इस्पात परियोजनाओं का सम्बन्ध है उत्पादन मंत्रालय यह दावा कर सकता है कि उसने एक प्रकार का केन्द्राधार स्थापित कर दिया है। अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का कार्यकरण अम्बर चरखे के विवाद में लुप्त हो गया है। आप यह देखेंगे कि उसे असफलता ही हाथ लगी है। पृष्ठ ८ पर इस असफलता को स्वीकार किया गया है। मुझे विश्वास है कि जिस समय माननीय मंत्री उत्तर देंगे तो वह यही कहेंगे कि कुटीरोद्योग का क्षेत्र राज्य के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है और इसलिये आप केन्द्र को दोष नहीं दे सकते हैं। फिर भी मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बात पर प्रकाश डालें कि विभिन्न उद्योगों के लिये लाखों रुपये की जो धन-राशि रखी गई थी उसे क्यों व्यय नहीं किया गया। इतना ही नहीं किन्तु बोर्ड की गतिविधियां एक छोटे दायरे तक सीमित रही हैं। उदाहरण के लिये चटाई उद्योग के विकास की पर्याप्त गुंजाइश है किन्तु उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

मेरा ख्याल है कि मंत्रालय द्वारा प्रश्न के इस पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये और केवल अम्बर चरखे को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिये। कर्वे समिति ने भी केवल अम्बर चरखे पर ही अपना ध्यान केन्द्रित नहीं किया है।

†**सभापति महोदय** : ऐसा प्रतीत होता है कि श्री मुसहर उपस्थित नहीं हैं। यदि वह उपस्थित हैं तो सम्भवतः वह बोलने के लिये उत्सुक नहीं हैं। कई माननीय सदस्यों ने अपने नाम मेरे पास भेजे हैं किन्तु उनमें से तीन चौथाई यहां उपस्थित नहीं है। श्री डाभी।

†**श्री डाभी** (कैरा—उत्तर) : मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि खादी और ग्रामोद्योग को एक ऐसे मंत्री के अधीन रखा गया है जिसका विश्वास इन बातों में है।

देश के समक्ष जो प्रमुख समस्या इस समय है वह है लाखों बेरोजगार और आंशिक रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार देने की। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में कोई १ करोड़ ५३ लाख व्यक्ति बेकार होंगे। इस समय ५३ लाख व्यक्ति बेकार हैं। और इसमें एक करोड़ की वृद्धि और होगी। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति करोड़ों की संख्या में होंगे जिनके पास आंशिक रोजगार है। इसलिये यदि योजना आयोग के अनुमान सच भी हों, तो भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम केवल ८० लाख व्यक्तियों को रोजगार देंगे और कोई ७२–७३ लाख व्यक्ति बेरोजगार रहेंगे। इसलिये इस प्रसंग में रोजगार देने की सम्भावनाओं को देखते हुये नये अम्बर चरखे का महत्व और भी अधिक हो जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में.

हम जानते हैं कि २५ लाख अम्बर चरखों से लगभग ४१ करोड़ २५ लाख पौंड सूत बन सकेगा। इस सूत से १ करोड़ ७० लाख गज अतिरिक्त कपड़ा तैयार किया जा सकेगा जो कि द्वितीय योजनावधि में हमारी प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति कपड़े की अनुमानित खपत—१८·५ गज की पूर्ति के लिये पर्याप्त होगा। इसलिये हमें अम्बर चरखे को इस दृष्टिकोण से देखना है।

यह बड़े संतोष की बात है कि सरकार अम्बर चरखे का पूर्ण विकास करना चाहती है। किन्तु मेरा ख्याल है कि अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने जो कार्यक्रम बनाया है उसे कतिपय शर्तों को पूरा किये बगैर क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। पहली शर्त यह है कि कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये जो १४४ करोड़ रुपये आवश्यक हैं वह सरकार या तो अतिरिक्त करारोपण से या कपड़े पर अतिरिक्त चुंगी शुल्क लगाकर प्राप्त करे। मेरी समझ में नहीं आता है कि कुछ माननीय सदस्य जो खादी और अम्बर चरखे का समर्थन करते हैं मिल के बने कपड़े पर किसी कर के लगाये जाने का विरोध क्यों करते हैं। यदि आप खादी को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो आपको मिल के बने कपड़े के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने होंगे और हमें मिल के बने कपड़े पर कुछ कर लगाने चाहियें ताकि दोनों के दाम बराबर हो जायें।

दूसरी शर्त यह है कि नई तकलियों के अधिष्ठापन के लिये सरकार द्वारा लाइसेंस न दिये जायें। इतना ही नहीं बल्कि मेरा तो ख्याल है कि जो लाइसेंस दिये गये हैं उन्हें भी रद्द कर दिया जाये। कर्वे समिति ने कहा है कि तकलियों के अधिष्ठापन के लिये पर्याप्त लाइसेंस दिये गये हैं और हमें १९५७ के अंत तक कोई कठिनाई नहीं होगी। उसने यह सिफारिश भी की है कि जब तक अम्बर चरखे के सम्बन्ध में चल रहा प्रयोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक देश की मिलों में तकलियों की संख्या बढ़ाने के लिये कोई नये लाइसेंस न दिये जायें। मुझे ज्ञात हुआ है कि कर्वे समिति के प्रतिवेदन के प्रकाशित होने के बाद भी दो से लेकर चार लाख तकलियों के अधिष्ठापन के लिये लाइसेंस दिये गये हैं। इसके क्या कारण हैं। मुझे बताया गया है कि ६५ कताई मिलों की स्थापना की जायेगी। यदि यह सच है तो अम्बर चरखे का क्या भविष्य है यह मैं नहीं कह सकता हूं। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में जो स्थिति है उसे स्पष्ट करे। यदि आप अम्बर चरखे को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो हमें कताई मिलों की उपेक्षा करनी होगी।

मेरी तीसरी शर्त यह है कि जब आप किसी कार्य का समर्थन करते हैं तो सरकारी दल के किसी उत्तरदायी सदस्य द्वारा उसका मजाक उड़ाने का प्रयत्न न किया जाये। मुझे खेद है कि संघ सरकार का कम से कम एक मंत्री खादी का मजाक उड़ा रहा है। यह अकेला उदाहरण नहीं है। हम बम्बई के भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री वैकुन्ठ लाल मेहता को, जो वित्त आयोग के सदस्य भी थे जानते हैं और वह किसी के विरूद्ध कोई कड़ा शब्द नहीं कह सकते हैं। वह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने २६ नवम्बर, १९५५ के हरिजन में एक लेख लिख कर उक्त मंत्री की आलोचना की थी।

उक्त माननीय मंत्री ने हाल ही में दिल्ली स्कूल आफ इकनामिक्स के स्थापना दिवस के सातवें वार्षिक समारोह में भाषण देते हुये पुनः खादी का मजाक उड़ाया। मैं इस प्रकार की मनोवृत्ति को नहीं समझ सका हूं। मुझे इन सब बातों का उल्लेख करते खेद होता है किन्तु मेरा ख्याल है कि जो सरकार खादी के कार्य का समर्थन कर रही है उसके एक मंत्री को ऐसे विचार रखना शोभा नहीं देता है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में कम से कम वह खादी का मजाक नहीं उड़ायेंगे।

अंत में मैं हाथ के कुटे चावल और घानी तेल के बारे में कुछ कहूंगा। हम जानते हैं इन दोनों उद्योगों की महत्ता को देखते हुये उन्हें प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहायता देने के प्रश्न पर

[श्री डाभी]

विचार किया गया था। किन्तु सरकार ने अब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है। हम जानते हैं कि कर्वे समिति ने इस आशय की सिफारिश भी की है कि पछोरने वाली मिलों अथवा केवल छिलका उतारने वाली मिलों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये और योजनावधि में उत्पादन में किसी प्रकार की वृद्धि को भी अनुमति न दी जाये। उसने यह भी सिफारिश की है कि उक्त सभी मिलों पर उचित दर से एक चुंगी शुल्क लगाई जाये ताकि नई मिलों की स्थापना पर लगाये गये प्रतिबन्ध से उन्हें जो लाभ हुआ हो उसका परिमार्जन हो सके। कर्वे समिति ने इस सम्बन्ध में जो सिफारिशें की हैं उनकी क्रियान्विति के लिये अविलम्ब कार्यवाही की जानी आवश्यक है।

मेरे पास कई घानीवालों ने शिकायत की है कि तिलहन खरीदने के लिये उन्हें ऋण नहीं मिलता है। यद्यपि हम चाहते हैं कि इन व्यक्तियों को संगठन करके सहकारी समितियां बनाई जानी चाहियें तथापि प्रारम्भ में ऐसा करना संभव नहीं है। इसलिये माननीय मंत्री से मेरी अपील है कि ऐसे व्यक्तियों को ऋण दिये जाने की कोई व्यवस्था की जाये। तेल उद्योग के बारे में कर्वे समिति ने जो सिफारिशें की हैं उनकी क्रियान्विति के लिये सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये। समिति ने गांवों की घानी को प्रोत्साहन देने के लिये तेल पर उपकर लगाने की सिफारिश की है। यह उद्योग रोज़गार और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इस के सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई निर्णय किया जाना आवश्यक है।

†**श्री कामत :** औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उत्पादन मंत्रालय सदन में गणपूर्ति नहीं कर सकता है ?

†**श्री के० सी० रेड्डी :** यह मंत्रालय का उत्तरदायित्व नहीं है।

†**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य संभवत: मेरा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि गणपूर्ति नहीं है। वह उत्पादन मंत्रालय का दायित्व नहीं है। घंटी बजाई जा रही है। सचेतकों से मेरा अनुरोध है कि वह गणपूर्ति का प्रबन्ध करें क्योंकि आज सभा की कार्यवाही साढ़े छ: बजे तक चलेगी।

†**श्री जी० डी० सोमानी** (नागौर-पाली) **:** मैं उत्पादन मंत्रालय के कार्यक्रम के दो-तीन पहलुओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। राजकीय औद्योगिक उपक्रमों के बारे में मैं संक्षेप में कहूँगा और मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूँ कि अपने असरकारी संकल्प में मैंने समूचे सरकारी क्षेत्र की भर्त्सना करने का प्रयास नहीं किया था और मेरा ख्याल है कि श्री थामस ने, यह कह कर कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यदक्षता और प्रशासन में सुधार किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकारी क्षेत्र में कार्य का कोई समर्थन नहीं किया है।

मैं प्रथम कोयले के बारे में कहना चाहता हूँ। जैसा कि सदन को ज्ञात है कि यद्यपि कोयले के वितरण का नियंत्रण उत्पादन मंत्रालय करता है तथापि उसका यातायात रेलवे मंत्रालय पर निर्भर है। यद्यपि कोयला आयुक्त के कार्यालय द्वारा दोनों मंत्रालयों के कार्यों का समन्वय किया जाता है तथापि ऐसे उदाहरण भी हैं जहां उक्त दोनों मंत्रालयों के बीच समन्वय न होने के परिणामस्वरूप कतिपय उद्योग को उनकी आवश्यकतानुसार कोयला प्राप्त नहीं हो सका है और उनकी हानि हुई है। इसी सिलसिले में मैं बम्बई वस्त्रोद्योग द्वारा बम्बई की सूती कपड़े की मिलों में भाफ बनाने के लिये की गई कोयले की मांग का उल्लेख करता हूं। यह मिलें तेल से अपना काम चला रही हैं क्योंकि रेलवे अथवा उत्पादन मंत्रालय बम्बई नगर के लिये कोयला आवंटित करने में असमर्थ रहा है। इस कारण हमें विदेशी विनियम के रूप में काफी धन देना पड़ता है, इसलिये माननीय उत्पादन मंत्री से मैं अनुरोध करता हूँ कि बम्बई की मिलों

†मूल अंग्रेजी में

की आवश्यकता पूर्ति के लिये वह कोयले के आवंटन की संभावनाओं की खोज करें। इससे एक ओर तो उनके उत्पादन व्यय में कमी होगी और दूसरी ओर हम कुछ विदेशी विनिमय बचा सकेंगे।

†**श्री पी० सी० बोस** (मानभूम-उत्तर) : औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि बम्बई की सूती कपड़े की मिलों ने तेल का प्रयोग करना उस समय प्रारम्भ किया था जबकि उत्पादन मंत्रालय बना भी नहीं था।

†**श्री जी० डी० सोमानी** : यह तो मैं जानता हूं किन्तु मैं चाहता हूँ कि उन मिलों को अब कोयले का संभरण किया जाये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोयले के उत्पादन में वृद्धि के प्रश्न पर इस प्रकार विचार किया जाना होगा जिससे कि हमें सस्ते मूल्य पर कोयला मिल सके। हम देखते हैं कि उत्पादन वृद्धि के लक्ष्य दो करोड़ तीस लाख टन में से डेढ़ करोड़ टन सरकारी क्षेत्र को और गैर-सरकारी क्षेत्र को केवल ८० लाख टन कोयला आवंटित किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि सरकारी क्षेत्र की कोयला खदानों का उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खदानों के उत्पादन से बहुत कम रहा है। माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करने से मेरा उद्देश्य केवल यही है कि जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है उसे उसकी महत्तम क्षमतानुसार विकास करने देने के लिये पर्याप्त कारण हैं। संभवतः इस आशय के आश्वासन की मांग भी की गई थी कि जहां तक विस्तार सम्बन्धी नई योजनाओं का सम्बन्ध है कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण न किया जाये ताकि वह अपना विस्तार कर सकें। इस समय स्थिति क्या है यह मैं नहीं जानता हूँ किन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खदानों के उत्पादन के बढ़ाये जाने की वांछनीयता की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

राजकीय औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना एक प्रादेशिक आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में मैं विशेषकर खाद के कारखानों का निर्देश करना चाहता हूँ। इसी सिलसिले में मैं माननीय मंत्री का ध्यान द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में निर्धारित की गई नीति की ओर आकर्षित करता हूँ जिसमें कहा गया है :

> "इस प्रसंग में एक और प्रकार के विभेद देश के विभिन्न प्रदेशों के बीच विकास के स्तरों में मौजूद विभेद—का उल्लेख किया जाना चाहिये। विकास की किसी भी विस्तृत योजना में कम विकसित क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिये ताकि विनियोजन के समूचे ढांचे को देश में संतुलित प्रादेशिक विकास के लिये अपनाया जा सके। इस प्रश्न पर हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद ने विचार किया है और वह सैद्धान्तिक रूप से इस बात पर सहमत हुई है कि विकास के लिये उपलब्ध संसाधनों में ही देश के विभिन्न भागों में सन्तुलित विकास के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जाना चाहिये। इस प्रश्न को कई तरीकों से हल किया जाना है। प्रथम तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने विकेन्द्रित औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमों के अपनाये जाने की सिफारिश की है। दूसरे नये उपक्रमों का, चाहे वह सरकारी हों अथवा गैर-सरकारी, स्थान निर्धारित करते समय देश के विभिन्न भागों के लिये एक सन्तुलित अर्थव्यवस्था का विकास करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाना चाहिये"

राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा घोषित उक्त नीति के प्रसंग में मैं माननीय मंत्री का ध्यान देश के तीन भागों में खाद के तीन कारखाने स्थापित करने के सम्बन्ध में जो निर्णय किया गया है उसकी ओर आकर्षित करता हूं। राजस्थान की पूर्ण उपेक्षा की गई है।

यह निर्णय चूंकि विचारोपरांत किया गया है मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। मैं विशेषरूप से भाखड़ा-नंगल का उल्लेख करना चाहता हूं। मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री को यह ज्ञात है एक अत्यंत योग्य

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जी० डी० सोमानी]

प्रविधिविज्ञ ने स्वयं भाखड़ा-नंगल परियोजना के ठीक होने के बारे में संदेह प्रकट किया है । उसका मत कहां तक सही है यह कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं, किन्तु इस देश के एक अत्यंत योग्य और दक्ष प्रविधिविज्ञ ने जो यह चेतावनी दी है, कि इस समग्र परियोजना पर पुनः विचार किया जाना आवश्यक है, उसकी ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं । जहां तक राजस्थान में खाद के कारखाने की स्थापना का सम्बन्ध है, मेरा ख्याल है, कि उसे राजस्थान में अमोनियम सल्फेट के उत्पादन के लिये स्थापित किये जाने वाले कारखाने से अत्यंत लाभकारी और सुविधाजनक तरीके से संयुक्त किया जा सकता है । माननीय मंत्री को ज्ञात होगा कि भाखड़ा-नंगल स्थित फैक्टरी 'अमोनियम नाइट्रेट' का उत्पादन करेगी । इसके सम्बन्ध में प्रविधिक मत यह है कि 'अमोनियम नाइट्रेट' एक ऐसी रासायनिक वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु के साथ, जिससे उसका संचय और भूमि में उपयोग किया जाना सुविधाजनक हो सकता हो, मिलाये बगैर स्वतंत्र रूप से एक खाद के रूप में काम में लाये जाने योग्य नहीं है । मेरा तात्पर्य यह है कि कृषि मंत्रालय इस समय 'यूरिया' और 'डबल साल्ट' का उत्पादन करने जा रही है । 'अमोनियम नाइट्रेट' का मिश्रण राजस्थान में बने 'अमोनियम सल्फेट' से किया जा सकता है । इस प्रकार के मिश्रण से 'डबल साल्ट' का उत्पादन किया जा सकेगा जोकि प्रत्येक दृष्टि से देश के लिये उपयोगी और सस्ता होगा । इस समय सिंदरी उर्वरक कारखाने का खाद २७० रुपये प्रति टन की दर से बेचा जा रहा है । मेरा ख्याल है कि इस मूल्य के कम किये जाने की पर्याप्त गुंजाइश है और माननीय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे । जब मूल्य कम होंगे तो किसान रासायनिक खाद जैसी आवश्यक वस्तु को काफी कम दामों पर खरीद सकेंगे और स्वयं इसी कारण खाद की मांग बढ़ जायेगी । इसके अतिरिक्त विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं और अन्य परियोजनाओं के कारण बहुत सी अतिरिक्त भूमि कृषियोग्य बनाई जा रही है और उसे स्वाभाविकतः खाद की आवश्यकता होगी । इसलिये आवश्यकता से अधिक उत्पादन की कोई आशंका मुझे प्रतीत नहीं होती है । माननीय मंत्री से मेरी अपील है कि इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार द्वारा इस फैक्टरी को राजस्थान में स्थापित करने के प्रश्न को समूची द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि के लिये स्थगित कर देने के बारे में जो निर्णय किया गया है उस पर पुनर्विचार करना आवश्यक है ।

नमक का उत्पादन बढ़ता रहा है किन्तु सांभर क्षेत्र की ओर मंत्रालय ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है । हमारे देश में सर्वोत्तम नमक नहीं बनता है और उसकी मांग भी काफी है । सांभर क्षेत्र में नमक का उत्पादन केवल वर्षा पर ही निर्भर रहे इस का कोई कारण नहीं है । ऐसी कई योजनाएं हैं जिनसे उक्त प्रदेश में नमक के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है । उत्पादन मंत्रालय को मैं यह सुझाव दूंगा कि उक्त क्षेत्र में नमक के उत्पादन को बढ़ाने के लिये वह कोई कार्यक्रम बनाये । सांभर का नमक सबसे सस्ता और सर्वोत्तम होता है । प्राक्कलन समिति ने नमक के उत्पादन को नियमित करने के लिये एक संयुक्त पूंजी उपक्रम स्थापित करने का सुझाव दिया था । नमक क्षेत्रों को सरकार के प्रबन्ध के अन्तर्गत लाने और उन्हें वाणिज्यक ढंग पर चलाने के लिये अवश्य कोई योजना बनाई जानी चाहिये । मुझे आशा है कि उत्पादन मंत्रालय इस क्षेत्र के समुचित विस्तार के बारे में कोई योजना बनायेगा ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों ने उत्पादन मंत्रालय सम्बन्धी विभिन्न मांगों पर जिन चुने हुए कटौती प्रस्तावों के प्रस्तुत होने की सूचना दी है वे इस प्रकार हैं :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावों की संख्या
८७	३८५, ७७५, ९८६, ९८७, १०२७, १०२८
८८	३८६ से ३८८, ९८८ से ९९०
८९	९९१ से १००३
९०	१००६
१३८	१००७ से १०१४

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
८७	श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर)	उर्वरक लागत में कमी ।	१००
८७	श्री शिवमूर्ति स्वामी	सोने और लोहे की खानों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता ।	१००
८७	श्री के० के० बसु	सरकारी वाणिज्यक उपक्रमों का कार्यसंचालन ।	१००
८७	श्री के० के० बसु	औद्योगिक उपक्रमों में नियुक्तियों के लिये एक औद्योगिक पदाली बनाना ।	१००
८७	श्री शिवमूर्ति स्वामी	देश के कपास पैदा करने वाले ज़िलों में एक सहकारी कताई मिल की स्थापना ।	१००
८७	श्री शिवमूर्ति स्वामी	राजकीय उपक्रमों में कुप्रबन्ध के परिणाम स्वरूप राजकोष को हुई हानि ।	१००
८८	श्री रामचन्द्र रेड्डी	नमक शुल्क का पुनः लागू किया जाना ।	१००
८८	श्री रामचन्द्र रेड्डी	नमक उपकर से विमुक्ति ।	१००
८८	श्री रामचन्द्र रेड्डी	अनुज्ञप्त नमक उत्पादकों के मामले का परीक्षण ।	१००
८८	श्री के० के० बसु	लवण विभाग का कार्यकरण ।	१००
८८	श्री के० के० बसु	नमक और रासायण उद्योग का उपयुक्त रुप से विकास करने में असफलता ।	१००
८८	श्री के० के० बसु	नमक की वितरण प्रणाली और उसका उद्योग पर प्रभाव ।	१००
८९	श्री के० के० बसु	राष्ट्रीय औजार कारखाने का कार्यकरण और श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों की हालत पर विशेष ध्यान देते हुए ।	१००
८९	श्री के० के० बसु	कोयला आयोग की एक शाखा का प्रस्थापित स्थानान्तरण और इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों पर उसका प्रभाव ।	१००
८९	श्री के० के० बसु	कोयले की वितरण प्रणाली ।	१००
८९	श्री के० के० बसु	कई वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों का स्थायी न बनाया जाना और कुछ एक को फालतू घोषित कर दिये जाने का डर ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
८९	श्री के० के० बसु	दस्तकारी बोर्ड का कार्यकरण और दस्तकारों की सहायता देने में इसकी असफलता ।	१००
८९	श्री के० के० बसु	ग्रामीण दस्तकारों और श्रमिकों को दी जाने वाली अपर्याप्त सहायता का विशेष उल्लेख करते हुये कुटीर उद्योग बोर्ड का कार्य-करण ।	१००
८९	श्री के० के० बसु	सस्ते धागे और माल के विक्रय का विशेष उल्लेख करते हुए रेशम बोर्ड का कार्यकरण ।	१००
८९	श्री के० के० बसु	पश्चिम बंगाल के ज़िला बरहामपुर में रेशम उद्योग का संरक्षण करने में असफलता ।	१००
८९	श्री के० के० वसु	वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी नीति और ढंग ।	१००
८९	श्री देवगम (चैबस्सा-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)	बिहार के ज़िला सिंघभूम में टसर रेशम उद्योग के स्थापित किये जाने की आवश्यकता ।	१००
८९	श्री देवगम	ग्रामों में घानी तेल उद्योग को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	१००
८९	श्री देवगम	अधिक वनों वाले क्षेत्रों में लकड़ी के काम को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता ।	१००
८९	श्री देवगम	आदिम जातियों में विभिन्न कुटीर उद्योग के लोक प्रिय बनाये जाने की आव-श्यकता ।	१००
९०	श्री के० के० बसु	सरकारी कोयला खदानों का कार्यकरण और श्रमिकों की हालत ।	१००
१३८	श्री के० के० बसु	संश्लेषित तेल कारखाना स्थापित करने में असफलता	१००
१३८	श्री के० के० बसु	बिजली के भारी सामान का कारखाना स्थापित करना और उससे सम्बन्धित करार ।	१००
१३८	श्री के० के० बसु	हिन्दुस्तान समुद्री तार कारखाना ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
१३८	श्री के० के० बसु	हिन्दुस्तान कृमि नाशक वस्तु कारखाना ।	१००
१३८	श्री के० के० बसु	हिन्दुस्तान ऐंटीबयोटिकस् कारखाना ।	१००
१३८	श्री के० के० बसु	दूसरी डी० डी० टी० कारखाना और दूसरा उर्वरक कारखाना स्थापित करना ।	१००
१३८	श्री के० के० बसु	मशीनी औज़ार उद्योग को पूरी तरह चलाने में विलम्ब और विदेशी विशेषज्ञों के कार्य का विशेष निर्देश करते हुए ।	१००
१३८	श्री के० के० बसु	राष्ट्रीय औज़ार कारखाने के पुनर्गठन में विलम्ब ।	१००

†**सभापति महोदय** : ये सभी कटौती प्रस्ताव लोक-सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री अशोक मेहता** (भंडारा) : उत्पादन मंत्रालय ने न केवल सरकारी उद्योगों का बल्कि छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों का भी विस्तार किया है और इस से कि हमारी अर्थव्यवस्था का सन्तुलन करने में बड़ी सहायता मिली है । कोयला उद्योग के विकास और संगठन के लिये कार्य करना भी उत्पादन मंत्रालय का कर्त्तव्य है क्योंकि इसके बिना औद्योगीकरण नहीं हो सकता है और न ही यातायात सुविधाओं का विकास हो सकता है । इसका विकास किये बिना हम देश में लोहे और इस्पात उद्योग को भी उन्नत नहीं कर सकते हैं । मंत्रालय के प्रतिवेदन में कोयले से सम्बन्धित उल्लेख को देखकर बड़ी निराशा हुई है । प्राक्कलन समिति की सिफारिशों में से केवल एक को स्वीकार किया गया है जोकि कोयला आयोग के नियुक्त किये जाने के बारे में है परन्तु इस उद्योग को संगठित करने में मूल तत्व की ओर ध्यान नहीं दिया गया है और वह इस समस्या के हल के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

सन् १९२० के पश्चात कोयला उद्योग के भविष्य पर कई बार चर्चा की गई है परन्तु हम कोई स्थायी नीति नहीं बना सके हैं । १९२० में रीड आयोग, १९३७ में भारतीय कोयला खनन समिति, १९४६ में कोयला क्षेत्र समिति और १९५० में कोयला संरक्षण समिति ने इस विषय में कार्य किया । अब एक समिति उन एककों को जो मितव्ययितापूर्ण रीति से कार्य नहीं कर रहे हैं, मिलाने के लिये नियुक्त की गई है । परन्तु क्या इतना करना पर्याप्त रहेगा ?

इंग्लैंड में कोयला की दुर्दशा की जांच करते समय रीड आयोग इस परिणाम पर पहुंचा था कि कोयला उद्योग का वैज्ञानिकन खान-वार नहीं बल्कि क्षेत्र-वार ही किया जा सकता है, और इसी निश्चय के अधार पर ब्रिटिश संसद् ने कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया था ।

सन् १९५० और १९५५ के बीच इंग्लैंड में यह निश्चय किया गया कि राष्ट्रीयरकरण के समय विनियोजित पूंजी से ढाई गुना पूंजी का अधिक विनियोजन किया जायेगा क्योंकि समस्त उद्योगों का विस्तार तथा विकास इसी पर निर्भर करता है ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अशोक मेहता]

हम देश में नवीनतम और पूर्णतः वैज्ञानिक इस्पात संयन्त्र स्थापित करने को इसलिये तैयार हैं क्योंकि इस्पात के सस्ता होने से अन्य उद्योगों का विकास होगा जिनमें अनेक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और यदि इस्पात पर अधिक लागत आयेगी तो इस पर आधारित अन्य उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । यही हालत कोयले की है ।

हमें यह भी सोचना चाहिये कि हमारे कच्चे लोहे के संसाधन तो बहुत अधिक हैं परन्तु कोयले के बहुत सीमित हैं । अन्य देशों, जैसे कि अमरीका, में भी कोयले के संसाधन सीमित हैं परन्तु वहां पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से इस कमी को पूरा कर लिया जाता है, परन्तु भारत में पैट्रोलियम के लिये पहले ही आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, मैं जानता हूं कि विद्युत शक्ति और अणु शक्ति का विकास हो रहा है परन्तु तब तक हमें अपने इन सीमित संसाधनों का संरक्षण करना चाहिये ।

कई समितियों तथा आयोगों ने कोक बनाये जा सकने वाले कोयले का राष्ट्रीयकरण किये जाने की सिफारिश की है परन्तु उनका कहना है कि इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। अतः कोयले का विनियमन करना ही ठीक होगा । स्वयं इस आयोग ने नियन्त्रण लगाये जाने का सुझाव दिया है जबकि साधारणतः उद्योगपति नियन्त्रण का विरोध करते हैं। इसका कारण यह है कि नियन्त्रण जारी रखने से केवल कोयला खानों के मालिकों को ही लाभ पहुंचता है। इसलिये विनियमन करने की वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त है । इस दृष्टिकोण से यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन खानों की मालिक सरकार हो । यदि यह कार्य तुरन्त ही किया जा सकता हो तो प्राक्कलन समिति ने जिस संगठन का सुझाव दिया है शीघ्र ही उसे लागू किया जाये, क्योंकि संगठित उत्पादन ही पर्याप्त नहीं है हमें इन सब बातों की ओर ध्यान देना होगा जिससे हम कोयले के अपर्याप्त संसाधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें ।

टैक्नोलोजी का विकास करते समय हमें अपने कोयले के संसाधनों और उसकी किश्म का भी ध्यान रखना पड़ता है । इस पहलू का भी बड़ा महत्व है । कोयले को धो कर काम में लाना पड़ता है जिससे कई उपोत्पाद बनते हैं जिन्हें प्रयोग में लाया जाना चाहिये । न जाने उत्पादन मंत्रालय इसकी ओर क्यों ध्यान नहीं देता है ।

संश्लेषित तेल परियोजना को भी निलम्बित कर दिया गया है । परन्तु इसका कोयला नीति के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है । इन समस्याओं पर विचार किया जाना चाहिये ।

हमें बताया गया है कि निजी क्षेत्र कोयले का वर्तमान उत्पादन जारी रखेगा और सरकारी क्षेत्र द्वारा जो उत्पादन बढ़ेगा उसमें भी उसका कुछ भाग होगा । परन्तु प्राक्कलन समिति का कहना है कि गत कुछ वर्षों में कोयला उद्योग में बहुत कम पूंजी लगाई गई है और वस्तुतः इस उद्योग का विकास नहीं हुआ है । परन्तु कोयला उद्योग के अल्प विकसित अवस्था में रहने से हम अपनी अर्थव्यवस्था का विकास नहीं कर सकेंगे । इसके लिये बड़ी पूंजी की आवश्यकता है । क्या निजी मालिक इतनी पूंजी लगा सकेंगे ? क्या वे अपेक्षित ढंग के कार्य कर सकेंगे ? यदि उन पर उत्तरदायित्व डाला जाये तो क्या वे क्षेत्र वार इसका विकास कर सकेंगे ? हमें इन प्रश्नों के उत्तर चाहियें ।

इसके अतिरिक्त श्रमिकों की समस्या है । इंगलैंड में इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण किये जाने के पश्चात श्रमिकों की कमी और उनके सहयोग के अभाव के कारण कोयला उद्योग के विकास में कई कठिनाइयां पैदा हो गईं । यहां भी इस समस्या की उपेक्षा की गई है और इस पर विचार किये बिना कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सकता है । जैसा कि प्राक्कलन समिति ने बताया है निजी उपक्रमों ने श्रम समस्या पर ससहानुभूति विचार नहीं किया है ।

इसलिये यदि हम राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, यातायात सुविधाओं का विकास करना चाहते हैं और एक महान और आधुनिक ढंग का लोहा और इस्पात संयन्त्र स्थापित करना चाहते हैं तो हमें कोयला उद्योग को उपयुक्त रूप से संगठित करना होगा ।

उत्पादन मंत्रालय ने प्रतिवेदन और उसके ज्ञापनों में कोयला उद्योग की भावी अवस्था का कोई सन्तोषजनक चित्र नहीं खींचा गया है । उत्पादन मंत्री हमें यह बताने की कृपा करें कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

†**श्री मात्तन** (तिरुवल्ला) : मैं इस मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और इसने जो उन्नति की है उसके लिये इसे बधाई देता हूं ।

मैं नायवेली परियोजना में विशेष रुचि रखता हूं क्योंकि इस से दक्षिण का जोकि अब तक उपेक्षित रहा है औद्योगिक विकास हो सकेगा ।

तीन और उवर्रक कारखाने खोले जायेंगे और हिन्दुस्तान शिपयार्ड के बारे में मुझे जो शिकायतें थीं वे भी दूर कर दी गई हैं । परन्तु मूलरूप से मैं यह कहना चाहता हूं कि कोचीन में ही नहीं बल्कि किसी भी स्थान पर जहाज़ बनाने का एक और कारखाना खोला जाना चाहिये ।

हमारा देश विश्व के केन्द्र में स्थित है । पश्चिम में अत्यधिक औद्योगिक देश और पूर्व में औद्योगीकृत जापान है । हमारे देश का ४,००० मील लम्बा तट है, विकास के लिये अच्छी बन्दरगाहें और नौवहन में रुचि रखने वाले कई समुदाय हैं परन्तु फिर भी हमने इन से लाभ नहीं उठाया है और इस विषय में हम संसार के अन्य देशों में से बहुत पीछे हैं ।

हमारा कुल टन-भार ०·५ प्रतिशत से कम है । हमारा विदेशी व्यापार अधिकतर विदेशी जहाज़ों द्वारा होता है । ऐसा परिवहन मंत्रालय या गैर-सरकारी क्षेत्र की गलती से नहीं होता है । मंत्री महोदय ने काफी प्रयत्न किये हैं ।

सन् १९४७ में अंग्रेजों द्वारा नियुक्त की गई नौवहन नीति समिति ने पांच या सात वर्ष में २० लाख टन-भार की वृद्धि किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया था बाद में स्वतन्त्र भारत सरकार ने भी इस लक्ष्य को स्वीकार किया था । यह कोई अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य नहीं था क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात इटली, जापान, पश्चिमी जर्मनी और लिबेरिया जैसे देशों ने अपने नौवहन में कई लाख टन-भार की वृद्धि की है ।

हमारे देश में इस समय २० लाख टन भार के लक्ष्य में से केवल ४८०,००० कुल पंजीबद्ध टन-भार है । प्रथम पंच वर्षीय योजना में १२०,००० कुल पंजीबद्ध टन-भार की कमी रह गई है । यह आश्वासन दिया गया है कि आगामी वित्तीय वर्ष में इसकी पूर्ति हो जायेगी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ५५ करोड़ रुपये की लागत से ३००,००० कुल पंजीबद्ध टन-भार की व्यवस्था की गई है जब कि परामर्शदात्री समिति ने ८० करोड़ रुपये की लागत से ४४५,००० कुल पंजीबद्ध टन-भार के लक्ष्य की सिफारिश की थी । इस सिफारिश को स्वीकार करने से भी हम पड़ौसियों से १० प्रतिशत और विदेशों से १५ प्रतिशत व्यापार बढ़ा सकेंगे ।

इसका उत्पादन मंत्रालय से अधिक सम्बन्ध नहीं है परन्तु मैं इसलिये कह रहा हूं जिससे कि यह सभा जहाज़ बनाने के दूसरे कारखाने के स्थापित किये जाने की आवश्यकता का अनुभव करे ।

मेरी शिकायत यह है कि योजना ठीक प्रकार से नहीं बनाई गई है । जहाज़ बनाने के एक और कारखाने की व्यवस्था की जानी चाहिये और तुरन्त ही काम आरम्भ कर दिया जाना चाहिये और कर्म-

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मात्तन]

चारियों को ठीक प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये और इसके लिये अन्य देशों से विशेषज्ञों और मशीनों के रूपमें सहायता प्राप्त की जानी चाहिये। आशा है कि हमारी पंच वर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में पहली पंचवर्षीय योजाना की तुलना में अधिक कार्य किया जायेगा। संसार के सब पोतांगण पहले से बुक हैं। कोई भी पोतांगण तीन वर्ष से कम की अवधि में हमें जहाज़ बना कर नहीं दे सकता। इसलिये हम अपनी योजना को क्रियान्वित कैसे करेंगे ? विशाखापटनम पोतांगण का अधिकतम उत्पादन केवल ५०,००० टन है और हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य १००,००० टन प्रति वर्ष का है।

जहाज़ निर्माण के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति यह है कि जिब्राल्टर और हांगकांग के बीच विशाखा-पटनम के सिवाय कोई आधुनिक पोतांगण नहीं है। बीच के सभी देश जहाज़ों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। हमें भी एक बड़ा पोतागंण बनाना चाहिये जिससे कि हम इस व्यापार को हस्तगत कर सकें। बाहर से जहाज़ खरीदने में न केवल विलम्ब होता है बल्कि हमारी विदेशी मुद्रा भी कम होती है। इस लिये इसका एकमात्र हल यह है कि एक अपना बड़ा पोतांगण बनाया जाये। मुझे इस बात से बहुत दुःख हुआ है कि योजना आयोग का विचार यह है कि इस प्रकार का पोतांगण तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में बनाया जाये। मैं समझता हूं कि यदि हम जहाज़ अपने देश में न बनाये, तो न केवल आर्थिक विकास में बाधा पड़ेगी बल्कि देश की प्रतिरक्षा और सुरक्षा को भी हानि पहुंचेगी। हमारे पास विदेशी मुद्रा कम हैं। यदि हम बाहर से जहाज़ खरीदते रहे तो हम दिवालिया हो जायेंगे। मेरे विचार में जहाज़ खरीदने से अपना पोतांगण बना लेना और उसमें जहाज़ तैयार करना कहीं अच्छा है।

पश्चिमी जर्मनी के उप प्रधान मंत्री ने अपने भारत के दौरे में कहा था कि वह हमें दूसरा तोतांगण बनाने में सहायता देने के लिये तैयार हैं। हमारे प्रधान मंत्री जून में पश्चिमी जर्मनी जा रहे हैं। वह इस सम्बन्ध में वहां समझौता कर सकते हैं और योजना की रूपरेखा तैयार करा सकते हैं।

मैं टैंकरों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। तेल का महत्व बढ़ता जा रहा है और हमारे देश में इसकी खोज जारी है। हमारी तीन तेल शोधनशालायें हैं, किन्तु टैंकर केवल एक है। परिवहन मंत्री ने बताया था कि दो या तीन और टैंकर खरीदे जा रहे हैं। यह अच्छी बात है। यहां भी सुरक्षा का प्रश्न है। मेरा सुझाव यह है कि जब हम दूसरे पोतांगण के लिये आवश्यक सामान खरीदें, तो हमें टैंकर बनाने की आवश्यकता को भी, जो कि हमारी सुरक्षा के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं, ध्यान में रखना चाहिये। हमारे लिये टकरों का बेड़ा अत्यन्त आवश्यक है और ये टैंकर भी दूसरे पोतांगण में तैयार किये जाने चाहिये।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : दूसरी पंचवर्षीय योजना में देश के औद्योगिक विकास को बहुत महत्व दिया गया है। इस सम्बन्ध में सदन और देश यह आशा करता है कि उत्पादन मंत्रालय के भावी प्रशासनिक संगठन की नीति के बारे में एक विवरण दिया जाये। मैं यह प्रश्न इसलिये उठा रहा हूं क्योंकि लोहे और इस्पात के लिये एक नया मंत्रालय बना दिया गया है,

[**श्रीमती सुषमासेन** पीठासीन हुई]

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या कुटीर उद्योगों के लिये एक नया मंत्रालय बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है और क्या उत्पादन और उद्योगों के विकास के लिये कुछ और मंत्रालय भी बनाये जायेंगे। इस मामले के सम्बन्ध में जो चर्चा हो रही है, वह किस अवस्था में है ?

मैं माननीय मंत्री का ध्यान नमक के उत्पादन की ओर दिलाना चाहता हूं। मुझे हर्ष है कि नमक पर उपकर लगा कर उत्पादन की प्रक्रिया में कुछ सुधार किया गया है और इस उद्योग को कुछ सहायता

†मूल अंग्रेजी में

और सुविधायें दी गई हैं। किन्तु मुझे खेद है कि सरकार अपने कार्यक्रमों से पीछे हट रही है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में, जो कि १० एकड़ या १० एकड़ से कम के हैं यह उपकर नहीं लगाया जा रहा है। इस तरह सरकार की आय कम हो रही है।

छोटे उत्पादकों और बड़े उत्पादकों के बीच एक और विभेद भी किया जा रहा है, जिससे छोटे उत्पादकों को लाभ होता है और बड़े उत्पादकों को हानि। उदाहरण के लिये, छोटे उत्पादकों पर, जो कि उपकर से मुक्त हैं, तुलाई सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं। इसके फलस्वरूप छोटे उत्पादक के लिये उत्पादन लागत कम हो जाता है और बड़े उत्पादक के लिये बढ़ जाती है। तुलाई सम्बन्धी प्रतिबन्ध के न होने से और मूल्यों में लगभग १५ रुपये का अन्तर होने से सरकार की आय में भारी कमी होने का खतरा है, क्योंकि बड़े-बड़े उत्पादक अपने क्षेत्र १० एकड़ तक या १० एकड़ से कम तक के बना लेंगे। यदि यह क्रम जारी रहा, तो आय कम हो जाने के कारण सरकार नमक उत्पादकों को सुविधाएं नहीं दे सकेगी। मैं यह नहीं समझ सका कि उपकर न लगा कर आय में यह कमी क्यों की जाये, जबकि इससे न उपभोक्ता पर प्रभाव पड़ता है और न श्रमिक पर।

इस चर्चा से नमक शुल्क का बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है। मुझे खेद है कि इस सम्बन्ध में सरकार ने अपनी पुरानी नीति पर पुनर्विचार नहीं किया। नमक शुल्क को हटा देने का प्रयोजन राजनैतिक था अब जबकि वह प्रयोजन पूरा हो चुका है, तो उस नीति को जारी रखना और सरकार के राजस्वों में कमी होने देना निरर्थक है। यदि अब नमक पर शुल्क लगा दिया जाये, तो हमें प्रति वर्ष २० से २५ करोड़ रुपये या ३० करोड़ रुपये तक की आय हो सकती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में हमें इस शुल्क से ही १०० करोड़ रुपये मिल सकते हैं। मेरे विचार में देश की अर्थ व्यवस्था के हित में और दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये इस शुल्क को पुनः जारी करना अब आवश्यक है, विशेषकर जबकि हम नमक को अन्य देशों को निर्यात भी करने लगे हैं।

यह निर्यात अब बढ़ रहा है और औद्योगिक प्रयोजनों के लिये नमक का उपयोग भी बढ़ेगा। जब औद्योगिक उत्पादन इस शुल्क का भार सहन कर सकता है, तो कोई कारण नहीं कि नमक शुल्क पुनः जारी न किया जाये।

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या नमक के परिवहन के लिये रेल के भाड़े का प्रश्न वस्तु भाड़ा दर समिति को निर्दिष्ट किया गया है या नहीं। युद्ध काल में इसे बहुत बढ़ा दिया गया था। अब इसे घटा देना उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों के हित में होगा।

उत्पादन मंत्रालय की रिपोर्ट में एक अध्याय उर्वरक (खाद) परियोजना के बारे में है। उसमें बताया गया है कि सिन्दरी में उर्वरक का मूल्य २७० रुपये प्रति टन निश्चित किया गया है, किन्तु उपभोग केन्द्रों तक पहुँचते-पहुँचते उस का मूल्य ३२० या ३३० रुपये तक हो जाता है। क्या उर्वरकों के मूल्य के कम किये जाने की कोई संभावना नहीं है, विशेष कर जब कि कारखाना लाभ पर चल रहा है? जब तक कि कारखाने को हानि न हो, सरकार के लिये उर्वरकों का मूल्य कम करना आवश्यक है, क्योंकि बहुत से अन्य कृषि उत्पाद उर्वरकों पर ही निर्भर हैं।

उर्वरक कारखानों के लिये नये स्थानों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बम्बई और ताड़वेली के स्थान विचाराधीन हैं। यदि ये सफल सिद्ध न हुये, तो कारखाना विजयवाड़ा या इटारसी में स्थापित किया जायेगा। चूंकि नाइवेली में लिगनाइट के उत्पादन में विलम्ब होने की संभावना है, इसलिये हमें विजयवाड़ा या इटारसी की उपयुक्तता पर विचार करना चाहिये। इटारसी के बारे में मैं अधिक नहीं जानता, किन्तु विजयवाड़ा के बारे में कह सकता हूँ कि यह कारखाना स्थापित करने के लिये सब से अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इस के आस पास बहुत अधिक कृषि भूमि है, कच्चा माल सब वहां मिल सकता है और परिवहन का व्यय भी कम होगा। मेरे विचार में राज्य सरकार ने भी इस परियोजना

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

के लिये केन्द्रीय सरकार पर जोर दिया है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि विजयवाड़ा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : अब क्या होगा ? क्या माननीय मंत्री अभी वाद-विवाद में भाग लेंगे ?

†**श्री के० सी० रेड्डी** : हम ने यह व्यवस्था की है कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ प्रश्नों का उत्तर दूंगा। समय की कमी के कारण जो विषय रह जायेंगे उन पर चर्चा मेरे सहयोगी, उपमंत्री करेंगे, वह बाद में आधे घंटे तक बोलेंगे। यदि मेरे भाषण के बाद समय बचा, तो एक दो सदस्य और बोल सकते हैं। उन के बाद उपमंत्री वाद-विवाद का उत्तर दे कर इसे साढ़े छः बजे तक समाप्त कर देंगे।

†**श्री के० के० बसु** : यदि गणपूर्ति हुई तो.....

†**श्री के० सी० रेड्डी** : मैं नहीं कह सकता कि संसद कार्य मंत्री क्या प्रबन्ध करेंगे। इसका निर्णय सदन को करना है।

मैं आप का और सदन का आभारी हूँ कि मुझे इस अवस्था में बोलने की अनुमति दी गई है। माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में उत्पादन मंत्रालय के कार्यकरण में सुधार के लिये बहुत से रचनात्मक सुझाव दिये हैं। बहुत से सदस्यों ने मंत्रालय की प्रशंसा और सराहना की है। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और भविष्य में अधिक अच्छा कार्य करने के लिये प्रेरणा मिलेगी। एक दो सदस्यों ने कटु आलोचनायें भी की हैं। हम इससे डरते हैं। वास्तव में मैं इन का स्वागत करता हूं। यदि उन योजनाओं या कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में कोई ढील या सुस्ती हुई है, तो इस आलोचना से वह दूर हो जायेगी।

मैं इस बात का वर्णन करके सदन का समय नहीं लेना चाहता कि पिछले चार वर्षों में, जब से कि उत्पादन मंत्रालय बना है, इस ने क्या काम किया है। हम अपनी पहली योजना को समाप्त कर चुके हैं और दूसरी शुरू करने वाले हैं।

एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है सरकार ने और विशेषकर उत्पादन मंत्रालय ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ७ या ८ वर्षों में देश में आर्थिक स्वतंत्रता और आत्म-निर्भरता लाने के लिये जो प्रयत्न किये हैं, उन का क्या परिणाम निकला है। आज मैं इस विषय की सविस्तार चर्चा नहीं करना चाहता कि हम क्या कर सके हैं या सरकार का उद्देश्य क्या है या समय-समय पर उस की योजनायें क्या थीं। पहली योजना और उसके परिणाम सदन और देश के सामने हैं, दूसरी योजना में, जिसकी प्रारूप रूपरेखा देश में प्रकाशित की जा चुकी है, ऐसे कार्यक्रम हैं जो सरकार की उन प्रमुख नीतियों पर आधारित है, जो सरकार ने समाजवादी समाज के निर्माण के लिये अपनाई हैं।

हमारा उद्देश्य एक पूर्णतया कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है और सरकार और उत्पादन मंत्रालय को जिस का कि मैं प्रभारी हूं सब कोशिशें इस प्रयोजन के लिये हैं कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर के देश की आशाओं को पूरा किया जाये। पिछले चार या पांच वर्षों में उत्पादन मंत्रालय को इस महान कार्य में कुछ योग देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

इस अवसर पर मैं उत्पादन मंत्रालय के पिछले चार वर्षों की सफलताओं को गिनाना नहीं चाहता। ये उन रिपोर्टों में बताई गई हैं जो प्रतिवर्ष इस सदन में प्रस्तुत की जाती है। वर्तमान रिपोर्ट से सदन को पता चलेगा कि उत्पादन मंत्रालय ने क्या काम किया है। संक्षेप में, हम ने पिछले तीन वर्षों में और विशेष कर पिछले वर्ष में पहली योजना की विभिन्न परियोजनाओं को चालू किया है। सिन्दरी के कारखाने में

†मूल अंग्रेजी में

बहुत अच्छा काम हुआ है। पिछले १ या २ वर्षों में उत्पादन बढ़ा है और उत्पादन क्षमता का लक्ष्य, जो कि ३३०,००० टन है लगभग प्राप्त कर लिया गया है, सिन्दरी उर्वरक का मूल्य धीरे-धीरे ३५० रुपये प्रति टन से घटा कर २७० रुपये प्रति टन तक पहुंचा दिया गया है। मुझे हर्ष है कि श्री सोमानी ने अपने उस वक्तव्य में संशोधन कर दिया है, जो उन्होंने अपने गैर-सरकारी संकल्प सम्बन्धी भाषण में दिया था; उन्होंने कहा था कि प्रति टन मूल्य ३५० रुपये है, संभवतः उनका अभिप्राय गम्य-स्थान (विक्रय) मूल्य से था और निर्माण-मूल्य से नहीं था। जितनी कमी मूल्य में हो सकती थी, हम ने की है। हमने कोक भट्टी संयन्त्र भी स्थापित कर दिया है और यह अपनी कोक सम्बन्धी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर है। हम ने सिन्दरी के कारखाने को बढ़ाने का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है, जिस से कि उर्वरकों का उत्पादन लगभग ६० प्रतिशत बढ़ जायेगा। कैलशियम कार्बोनेट स्लज नाम के उपोत्पाद को काम में लाने के लिये हमने एक निजी अभिकरण द्वारा एक सीमेंट का संयन्त्र भी स्थापित कराया है।

अन्य कारखानों के सम्बन्ध में, हम ने रूपनारायण पुर के समुद्रीतार कारखाने में बंगलोर के हिन्दुस्तान मशीनी औज़ार कारखाने में दिल्ली के डी० डी० टी० कारखाने में और पिम्परी के पैनिसिलिन कारखाने में उत्पादन शुरू कर दिया है और इन कारखानों के अग्रेतर विकास के लिये योजनायें भी बनाई हैं। सूची यहीं समाप्त नहीं हो जाती है। मैंने केवल कुछ उदाहरण दिये हैं। अगली पंचवर्षीय योजना में हमारी कुछ परियोजनायें हैं और जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है। हम ने लगभग सभी कारखानों का विस्तार करने का काम शुरू कर दिया है।

मैंने सिन्दरी उर्वरक कारखाने के उत्पादन के विस्तार की चर्चा की। अब मैं केवल कारखाने के विस्तार की चर्चा करूँगा जहां हम उत्पादन क्षमता दुहरी करना चाहते हैं। वहां हम कोएक्शल ट्रैंक केबल और अधिक आर्मर्ड केबल बनाना चाहते हैं। हम वर्तमान डी० डी० टी० कारखाने का विस्तार करेंगे तथा उत्पादन दुगना करेंगे। आल्वे में दूसरे डी० डी० टी० कारखाने को स्थापित करने के लिये हमने कार्यवाही की है इससे देश में २,८०० टन डी० डी० टी० उत्पन्न करने की क्षमता हो जायेगी और हम आत्म-निर्भर हो जायेंगे। समयाभाव के कारण मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि उत्पादन मंत्रालय के लिये निश्चित उत्तरदायित्व की सीमा में हमने जो किया है उसका संकेत मैं उदाहरणस्वरूप दे चुका हूं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें राज्यों के सब उपक्रमों के लिये जिम्मेवार रहना चाहिये। कुछ ने कहा कि देश के सरकारी उपक्रमों को आरम्भ करने तथा चलाने की हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिये। १९५२ में जब उत्पादन मंत्रालय बनाया गया था तो उद्देश्य कुछ भी रहा हो परन्तु धीरे-धीरे हमें उन बातों का सामना करना पड़ेगा जो हमारे सम्मुख आती हैं। सब सरकारी उपक्रमों को इस मंत्रालय को सौंप देना बड़ा आकर्षक प्रस्ताव है। परन्तु यह कहां तक व्यवहार्य होगा तथा इससे कहां तक हमारे प्रयोजनों की सिद्धि होगी। मैं सोचता हूं कि देश के सरकारी उपक्रमों के लिये लगभग ६ मंत्रालय खोलने होंगे।

हमने घोषणा की है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र का प्रमुख स्थान होगा। मैं सोचता हूं कि एक बड़ा मंत्रालय और उसका योग्यतम् मंत्री भी उन सब समस्याओं का सन्तोषजनक रीति से समाधान नहीं कर सकेगा जो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योज़ना में सरकारी क्षेत्र के विकास से उत्पन्न होंगी।

सभा को मालूम होगा कि सरकारी उपक्रमों को स्थापित करने और चलाने के लिये भारत सरकार के पांच-छः मंत्रालय सहयोग देते हैं। एक सदस्य ने लोहा और इस्पात मंत्रालय की चर्चा की। केवल वही मंत्रालय इस जिम्मेवारी को नहीं निभा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कुछ सरकारी

[श्री के० सी० रेड्डी]

उद्योग आरम्भ कर रहा है । वह चाहे स्वयं इसका प्रबन्ध करे अथवा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के द्वारा कराये । प्रतिरक्षा मंत्रालय जिसके जिम्मे प्रतिरक्षा सम्बन्धी उद्योग है, बंगलौर में एलेक्ट्रानिक कारखाना और हिन्दुस्तान विमान कारखाना आदि स्थापित कर रहा है । संचार मंत्रालय के जिम्मे बंगलौर का टेलीफोन कारखाना है । दूर-मुद्रण कारखाना बनाने की भी उनकी योजना है । रेलवे मंत्रालय के जिम्मे चित्तरंजन इंजन कारखाना और समग्र डिब्बे आदि बनाने का कारखाना है । देश में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने का उत्तरदायित्व अनेक मंत्रालय वहन कर रहे हैं । अतएव मेरा कहना यह है कि इन राष्ट्रीय उद्योगों से सम्बन्धित नीतियों, कार्यक्रमों और समस्याओं को सुलझाने का कार्य केवल उत्पादन मंत्रालय का ही न होकर अन्य बहुत से मंत्रालयों का है जहां तक राष्ट्रीय उद्योगों की सामान्य समस्याओं अर्थात् प्रबन्ध का ढंग वित्त व्यवस्था में हिस्सा लागत लेखा, लेखा रखना और अन्य ऐसी बातों का सम्बन्ध है बह वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी है ।

मैं यह सब अपनी जिम्मेवारी दूसरे उन मंत्रियों पर डालने के लिये नहीं कह रहा हूं जो इन सरकारी उपक्रमों के प्रभारी हैं जो उत्पादन मंत्रालय के अधीन नहीं आते । यह कहने का केवल यह तात्पर्य है कि सदस्य जानें कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में क्या हो रहा है और उन मंत्रालयों का क्या उत्तरदायित्व है ।

कुछ सदस्यों ने कहा कि कुटीरोद्योग उत्पादन मंत्रालय के अधीन आने चाहियें । योजना आयोग को दो तीन महीने पहले दिये गये प्रतिवेदन में भी कर्वे समिति ने यही सिफारिश की थी । आयोग जब उस पर विचार कर लेगा तब सरकार उस पर विचार करेगी ।

जब श्री शिवमूर्ति स्वामी भाषण दे रहे थे तब मैंने कहा था कि हथकरघा उद्योग उत्पादन मंत्रालय के अधीन नहीं आता । अन्य माननीय सदस्य ने कहा कि चमड़ा उद्योग उत्पादन मंत्रालय के अधीन आता है अतएव हमें इसकी उन्नति के लिये कार्य करना चाहिये । चमड़ा, चीनी के बर्तन, साबुन और कपड़ा सम्बन्धी उद्योगों का सम्बन्ध दो तीन मंत्रालयों से है । मैं यह नहीं कहना चाहता कि ऐसा ही होने से गड़बड़ मच जाती है । इन मंत्रालयों के कार्य करने का ढंग भिन्न-भिन्न हो सकता है परन्तु भारत सरकार तो एक इकाई के रूप में कार्य करती है । उसका संयुक्त उत्तरदायित्व होता है और जब सरकार अपनी नीति और कार्यक्रम की घोषणा कर देती है तो सब मंत्रालयों की इच्छा होती है कि वे सरकार के संयुक्त उत्तरदायित्व को सन्तोषजनक रीति से कार्यान्वित करें जिससे कि सामान्य उद्देश्य और सरकार का सामान्य कार्यक्रम पूरा किया जा सके । यदि इसे ध्यान में रखा जा सके तो इसकी कोई आशंका नहीं है कि कार्य खराब ढंग से किया जायेगा ।

अब मैं वाद-विवाद के दौरान में उठाये गये तीन-चार सम्बन्धी मुख्य विषयों की चर्चा करूँगा । पहले का सम्बन्ध औद्योगिक उपक्रमों के प्रबन्ध के ढांचे से है । इससे मिलती-जुलती समस्या इन उद्योगों में व्यक्ति रखने के सम्बन्ध में है । दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध है ।

श्री ए० एम० थामस ने प्रबन्ध के संगठन के ढांचे के बारे में अच्छा प्रश्न उठाया था । हम इन बातों के बारे में प्रयोग कर रहे हैं । ऐसे विषयों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि सर्वोत्तम स्थिति आ गई है । इंग्लिस्तान, अमरीका और यूरोप तथा उसके अन्य देश इस बारे में प्रयोग करते रहते हैं । अभी तक वे ऐसे परिणाम पर नहीं पहुंचे हैं जिन्हें दोष रहित कहा जा सके । हमारे देश में भी इनकी आवश्यकता है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्य समस्या को सुलझान के लिये हमें सिंचाई और विद्युत-पर जोर देना पड़ा । औद्योगिक क्षेत्र में भी हमने कुछ किया । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम देश के औद्योगिक विकास पर जोर दे रहे हैं । पिछले दिन इलाहाबाद में हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि हमारे देश में औद्योगिक क्रान्ति आरम्भ हो रही है । 'आरम्भ' और "औद्योगिक क्रान्ति" शब्दों पर गौर कीजिये ।

इसका तात्पर्य यह है कि हमारे देश में बहुत से आधारभूत उद्योग और भारी मशीनरी उद्योग केवल द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही नहीं अपितु तृतीय और चतुर्थ योजनाओं में भी बनाये जायेंगे। इसीलिये हम भविष्य का ध्यान रखते हुये योजना बनाते हैं। अभी देश में औद्योगिक क्रान्ति आरम्भ ही हुई है। इसलिये हमें बड़ी जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतएव किसी के लिये यह कहना सम्भव नहीं कि उद्योगों का प्रबन्ध किस प्रकार किया जाये और किस प्रकार नहीं।

यह कहने के उपरांत, मैं यह कहकर अपने भाषण का यह भाग समाप्त करूंगा कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है, भारत सरकार ने लगभग पांच या छः वर्ष पूर्व यह निर्णय किया था कि सरकारी औद्योगिक उपक्रमों के बारे में सर्वोत्तम उपाय या प्रयोग जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, यह है कि समवाय अधिनियम के अन्तर्गत इन समवायों की रचना की जाये, जिसका यह लाभ होगा कि इससे प्रबन्ध में लचीलापन आयेगा, और प्रबन्धक ठीक समय के अन्दर और शीघ्रतापूर्वक निर्णय कर सकेंगे तथा इन समवायों के दैनिक प्रशासन में सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप के बिना वे अपना कार्य कर सकेंगे। निस्सन्देह, इसमें संसद का उत्तरदायित्व है और इसके परित्राण के लिये व्यवस्था करनी होगी। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि इन प्रयोगों के परिणाम जानने के पश्चात, यदि यह अनुभव किया जाये कि किसी संशोधन या परिवर्तन की आवश्यकता है, तो जहां आवश्यकता होगी वहां हम संगठन के ढांचे में संशोधन और परिवर्तन करेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन चार या पांच वर्षों में इन राज्य समवायों के संचालन का मेरा जो थोड़ा अनुभव है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि मेरे मंत्रालय में से सरकारी उपक्रम किस प्रकार चलते रहे हैं और इस प्रबन्ध व्यवस्था ने न्यूनाधिक रूप में अच्छे परिणाम निकाले हैं। यहां, मैं श्री ब्रैथवैट के प्रतिवेदन या भाषण का उल्लेख करूंगा जो अमेरिका से आये हैं और इस समय हमारे देश में हैं। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय उद्योगों के सिद्धांतों, प्रबन्ध आदि चार पहलुओं पर बड़ा लाभदायक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। मैं इसके उद्धरण पढ़कर सुनाना चाहता था किन्तु समय नहीं है। उनका यह निर्णय है कि हम जो ढांचा बना रहे हैं वह सामान्यतया सर्वोत्तम है और हमें इसका उपयोग करना चाहिये। उन्होंने कुछ परिवर्तनों का भी सुझाव दिया है, जिन्हें अपनाया जा सकता है, अर्थात् बहुप्रयोजनीय निगम जिसका हमें विचार करना चाहिये। प्रत्येक विभाग या उपक्रम के प्रबन्ध के लिये पृथक् समवायों की स्थापना के स्थान पर एक बहुप्रयोजनीय निगम की स्थापना की जा सकती है जो इन सब औद्योगिक समवायों की प्रभारी हो। किन्तु अब हम इस बात को नहीं लेंगे, क्योंकि इस पर समय लगेगा।

†**श्री के० के० बसु** : क्या इस की प्रति हमारे पुस्तकालय में है ?

†**श्री के० सी० रेड्डी** : मुझे नहीं मालूम कि यह गुप्त या गोपनीय अभिलेख है। किन्तु जो सूचना मैंने दी है वह गोपनीय नहीं है। मैं कह सकता हूं कि हाल ही में समाचारपत्र में भी यह बात प्रकाशित हुई थी, और भेंट का प्रतिवेदन भी प्रकाशित हो चुका है। श्री ब्रैथवैट से अनेक प्रश्न पूछे गये थे और उन्होंने उनके स्पष्ट उत्तर दिये हैं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने इसे अब तक नहीं बढ़ा, वे अब इसे पढ़ें क्योंकि इसमें सरकारी समवायों के संचालन पर बहुत प्रकाश डाला गया है कि उन्हें किस प्रकार चलाया जाना चाहिये, आदि।

इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं। संगठन और व्यवस्था सम्बन्धी पहलू अधिक महत्वपूर्ण हैं व्यक्तियों के प्रश्न का अधिक महत्व नहीं है। मैं इस बात को ले रहा हूं क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि जिन व्यक्तियों को हमने इन उपक्रमों का प्रबन्ध करने के लिये नियुक्त किया है, उनमें से कुछ आई० सी० एस० के लोग हैं और कुछ माननीय सदस्य सदा आई० सी० एस०

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० सी० रेड्डी]

के लोगों पर कुछ आरोप लगाते रहते हैं, जब आई० सी० एस० के लोगों को कुछ सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। मैं इस सभा की जानकारी के लिये यह कहना चाहता हूं कि कुछ ग़ैर-सरकारी व्यापार समवाय, कुछ आई० सी० एस० लोगों की सेवा प्राप्त करने के लिये बड़े उत्सुक हैं। इस बात को नहीं भूलना चाहिये। मैं उदाहरण दे सकता हूं। इसका कारण यह है कि वे उन लोगों की अपेक्षा अधिक उत्तम प्रबन्ध करने में समर्थ होते हैं। जिन्हें वे सम्भवतः ग़ैर-सरकारी क्षेत्र से या अन्य किसी स्थान से ले सकते हैं। इन मामलों में साधारणीकरण नहीं किया जा सकता। मैं यही बात कह रहा हूं। संभव है कि आई० सी० एस० लोगों में से कुछ लोग ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के लिये जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक उत्तम प्रबन्ध कर सकते हैं, या इसके विपरीत भी होना संभव है। मैं इस बात पर आपत्ति नहीं कर रहा कि चित्र का दूसरा पहलू नहीं है। मेरा अभिप्राय है कि हमें इन मामलों में साधारणीकरण नहीं करना चाहिये।

मैं पश्चिमी बंगाल के माननीय सदस्य की सूचना के लिये यह भी कह सकता हूं कि हमने कर्मचारी भरती करने के लिये अपना क्षेत्र केवल आई० सी० एस० तक ही सीमित नहीं रखा है। हमने सरकारी संगठन से बाहर के व्यक्ति भी लिये हैं। मैं उदाहरण दे सकता हूं। दिल्ली में डी० डी० टी० फैक्टरी में हमने व्यापार क्षेत्र के एक व्यक्ति को प्रबन्ध निर्देशक बनाया है। पैंसिलिन फैक्टरी में हमने एक चिकित्सक को वहां का प्रमुख अधिकारी बनाया है, जो उस काम को भली भांति जानता है। तार फैक्टरी में हमने एक शिल्पिक व्यक्ति को उसका प्रमुख अधिकारी नियुक्त किया है, जो अच्छी तरह काम कर रहा है। सिन्दरी फैक्टरी में हमने रेलवे बोर्ड का एक भूतपूर्व सदस्य नियुक्त किया है, जिसने इस पहलू में बड़ा अच्छा काम किया है और डेढ़ वर्ष में जो परिणाम निकले हैं, वे अत्यधिक अच्छे हैं। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि जिन लोगों को इन उपक्रमों का भार सौंपा गया है, वे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे आई० सी० एस० या किसी दूसरे क्षेत्र के लोग हैं। हमें इन बातों में कट्टरपंथी नहीं होना चाहिये।

जहां तक फैक्टरी विशेष में कार्याविधि का सम्बन्ध है, यह एक निश्चित समय के लिये नियत होती है। अतः मैं कुछ माननीय सदस्यों से विनती करूंगा, जिनके कट्टरपंथी-विचार हैं, कि मैंने आज जो बातें सभा के सामने रखी हैं, वे इन पहलुओं पर जरा विचार करें।

निदेशक-बोर्ड का उल्लेख किया गया है। यह सच है कि निदेशक-बोर्ड में सरकारी कर्मचारियों का बहुमत है। किन्तु इसमें कुछ ग़ैर-सरकारी लोग भी हैं। मैंने सदस्यों के तर्क-वितर्क और परस्पर विरोधी विचार सुने हैं। कुछ सदस्यों ने कहा है कि इतने अधिक सरकारी लोग नहीं होने चाहियें और कुछ ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या अधिक होनी चाहिये। दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हैं। हमने अच्छा संतुलन रखा है और हम ऐसे लोगों को रखने का प्रयत्न कर रहे हैं जिनसे न केवल उपक्रम के लिये बल्कि समूची राष्ट्रीय कल्याण को ध्यान में रखते हुये अच्छे कामों की आशा की जा सकती हो।

निदेशक-बोर्ड में श्रमिकों के कुछ प्रतिनिधि हैं। किन्तु माननीय सदस्य की शिकायत उसके बारे में थी जो श्रम प्रतिनिधि है। उन्होंने पूछा है कि "किसे योग्य श्रमिक प्रतिनिधि कहा जा सकता है?" मैं उनको बताना चाहता हूं कि सब निदेशक-बोर्डों में, सिन्दरी फैक्टरी, तार फैक्टरी और हिन्दुस्तान जहाज निर्माण कारखाने में, हमने उन लोगों को रखा है, जो अखिल भारतीय मजदूर-संघ के प्रधान रहे हैं या पहले प्रधान थे। यदि माननीय मित्र की यह शिकायत है कि किसी दूसरे मजदूर-संघ के किसी प्रधान को निदेशक-बोर्ड में नहीं लिया गया, तो हम उसके औचित्य पर विचार करेंगे। हम किसी विशिष्ट श्रम नेता के अस्तित्व से आंख नहीं मूंद लेते, चाहे उसका किसी भी संगठन से सम्बन्ध क्यों न हो। मैं इस विषय में इतना ही कह सकता हूं।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, सरकार की यह निश्चित नीति और निश्चित उद्देश्य है कि हमें इन उपक्रमों के प्रबन्ध में अधिक से अधिक श्रमिकों को लाना चाहिये। जैसा कि मेरे भूतपूर्व सहयोगी, श्री गिरि ने कई बार कहा था, श्रमिक उद्योग में भागीदार होते हैं। दूसरे श्रमिक नेताओं ने भी यह कहा है। मैं इस विचार का समर्थन करता हूं। किन्तु हम कुछ मर्यादाओं की भी उपेक्षा नहीं कर सकते और हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये कि इस समय श्रमिकों में कितनी जागृति आई है और प्रबन्ध सम्बन्धी कितनी चेतना आई है। यूगोस्लाविया में, प्रक्रमों में एक प्रयोग किया गया है। कुछ दूसरे देशों में भी कुछ नीतियां अपनाई गई हैं। हमें जानना चाहिये कि देश में श्रम स्थिति क्या है और श्रमिकों में कितनी जागृति है तथा क्या श्रमिक प्रबन्ध आदि में भाग लेने को तैयार हैं। क्या वे केवल वेतनवृद्धि की मांग करते हैं या वे केवल बोनस की मांग करते हैं अथवा वे केवल महंगाई भत्ते या केवल सुविधाओं की मांग करते हैं। या वे देश में उत्पादन बढ़ाने के लिये मजदूरों के उत्तरदायित्वों को भी समझते हैं? हमें इन सब चीजों में संतुलन करना होगा और हमें उचित काम उचित समय पर करना होगा। जब मैं कहता हूं कि सरकार श्रमिकों के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में पूर्णतया जागरूक है, तो मैं यह बात बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहता हूं। मैं भारत सरकार की ओर से घोषणा करता हूं कि वह श्रमिकों के प्रति उचित उपाय करने के लिये और श्रमिकों को राष्ट्रीय उपक्रमों का निर्माण करने के बड़े कार्य में और इन राष्ट्रीय उपक्रमों में उत्पादन बढ़ाने के बड़े काम में, लेने के लिये भरसक प्रयत्न करेगी।

इस सम्बन्ध में मैं एक और बात का उल्लेख करूंगा। कुछ माननीय सदस्यों ने औद्योगिक श्रमिकों के लिये आवास की व्यवस्था का उल्लेख किया है। सरकार श्रमिकों को न केवल आवास, अपितु उनको कुछ दूसरी सुविधायें देने के लिये भी उत्सुक हैं, अर्थात् अस्पताल की सुविधायें, शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें, आमोद प्रमोद-सम्बन्धी सुविधायें और अन्य सुविधायें। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि जब से मैं ने उत्पादन मंत्रालय का कार्य-भार संभाला है, मेरी पहली और सर्वाधिक इच्छा रही है—और मैं सदा इस मामले पर सोचता रहा हूं—कि हमें श्रमिकों को अधिकाधिक सुविधायें और आराम पहुंचाने के लिये प्रत्येक भरसक प्रयत्न करना चाहिये। मेरी इस इच्छा के परिणामस्वरूप ही मैंने कार्य संभालते ही कह दिया था कि यद्यपि हम प्रबन्ध में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को लेने में असमर्थ हैं, तो भी हमें सर्व प्रथम श्रमिकों के अनुभवी नेताओं को निदेशक बोर्ड में लेना चाहिये, ताकि इस मामले के बारे में वे अपने अनुभव से हमारा मार्गदर्शन कर सकें।

जहां तक श्रमिकों के आवास का सम्बन्ध है, हमने पहले से निर्णय कर लिया है कि हमारे सब औद्योगिक उपक्रमों में हमें श्रमिकों के लिये एक कमरे वाले मकान न बना कर दो कमरों वाले मकान बनाने चाहियें, ज्यों-ज्यों हम औद्योगिक श्रमिकों को आवास सुविधायें देने के बारे में अपने पंचवर्षीय कार्यक्रम कार्यान्वित करते जायें। इस प्रकार काम कर रहे हैं और हम इस मार्ग को अपना रहे हैं। मुझे आशा है कि जिन सदस्यों ने आलोचना की है वे भी सब करेंगे क्योंकि ये चीजें एक या दो वर्ष में, ही नहीं की जा सकतीं। यह काम तीन, चार या पांच वर्षों के अन्दर पूरा किया जायेगा। जहां तक कोयले की खानों में काम करने वाले श्रमिकों का सम्बन्ध है, हमें वास्तव में ही खेद है।

ग़ैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में भी कोयले की खानों के मजदूरों के लिये उचित आवास सुविधायें नहीं हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि यह स्थिति ठीक है। इस कमी को दूर करने के लिये हम आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। एक बार मैं पहले भी सभा को आश्वासन दिला चुका हूं और अब भी यह आश्वासन देना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने मजदूरों के लिये आवास और सुविधा सम्बन्धी कार्यक्रम बनाया है जिसे कार्यान्वित किया जायेगा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कुछ ही समय में थोड़ा-सा काम करके हम सन्तुष्ट नहीं हो जायेंगे।

†**श्री सी० के० नायर** (बाह्य दिल्ली) : कथित निम्न कर्मचारियों के बारे में क्या हुआ ? क्या उन्हें दो कमरे वाले मकान दिये जायेंगे ?

†**श्री के० सी० रेड्डी** : यह हमारा उद्देश्य है। हम यही करने का प्रयत्न कर रहे हैं। केवल कारखानों में हम केवल दो कमरे वाले मकान बनवा रहे हैं। कुछ अन्य कारखानों में हम एक कमरे वाले मकानों के बजाय केवल दो कमरे वाले मकान ही बनवा रहे हैं।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उठाई गई थी वह है कुछ परियोजनाओं के स्थापित होने के दौरान में किये गये अनुभव से उपयोग उठाना। सिन्दरी उर्वरक परियोजना और उन तीन नई परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है जिनकी हम अब योजना बना रहे हैं। एक प्रश्न यह पूछा गया था कि अन्य उर्वरक कारखाने बनाने के लिये तैयार रहने में सिन्दरी उर्वरक कारखाने को चलाने में क्या अनुभव किया गया है। इस बारे में मेरा उत्तर यह है कि पहले तो सिन्दरी कारखाने का हमारा एक बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। हम वहां लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और जो तीन अन्य नये सार्थ बनाने जा रहे हैं उनके लिये आवश्यक कर्मचारी हमारे पास हो सकते हैं। दूसरा यह कि हमने एक टीम बनाने का निश्चय किया है जिसका काम उर्वरक संयंत्रों का डिजाइन बनाने पर विचार करने, उर्वरक कारखाने का निर्माण करने तथा उर्वरक संयंत्रों पर गवेषणा करने का प्रबन्ध करना होगा। मुझे आशा है कि इस टीम के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप हम ने केवल अपने संयंत्रों का डिजाइन बनाने में ही वरन् उन्हें अधिकाधिक बड़ा बना सकने तथा अपने तरीकों को अधिकाधिक आधुनिक बनाने के लिये गवेषणा करने योग्य हो सकेंगे।

†**श्री के० के० बसु** : क्या इस चीज की अभी योजना ही बनी है अथवा कुछ कार्य हो भी रहा है तथा क्या किसी को इसका प्रशिक्षण दिया गया है ?

†**श्री के० सी० रेड्डी** : माननीय सदस्य जानते हैं कि जब कोई नई चीज रखी जाती है तो उसकी विभिन्न अवस्थायें हुआ करती हैं। पहले तो हमें योजना बनानी पड़ती है। उसके पश्चात् कार्य आरम्भ किया जाता है। तत्पश्चात् गति लानी पड़ती है और तब जाकर कहीं उसका परिणाम ज्ञात हो पाता है। यह सारा काम भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में होता है। जब कभी आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो एक दम पके फल के रूप में आपके हाथों में नहीं आ जाती जिसे आप चख सकें। इन कामों में ऐसा नहीं होता है और हमें धैर्य धारण करना पड़ता है किन्तु मैं यह आश्वासन देना चाहूंगा कि हम आगे कदम बढ़ाने में कछुये की गति से चलें। मैं इन सारी चीजों पर ध्यान दे रहा हूं। शीघ्रता करने के लिये हमारी ओर से प्रयत्न करने में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी।

करारों के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। कुछ करारों का उल्लेख किया गया है और किसी न किसी कारण से उनमें से कुछ की आलोचना की गई है। करार की आलोचना करते समय आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि करार कैसे समय में किया गया था। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि कोई करार विशेष कर अन्तिम निर्णय किन परिस्थितियों में किया गया था। आज १६५६ के विद्यमान स्तरों अथवा परिस्थितियों को उन करारों में लागू नहीं किया जा सकता जो १६४८ या १६५० अथवा १६५१ में किये गये थे, जबकि परिस्थितियां इस समय से बिल्कुल भिन्न प्रकार की थीं। यह तो किसी चीज को भूतलक्षी प्रभाव से देखना होगा, जिससे हम सदैव झंझटों में फंस सकते हैं। तेल करार का उल्लेख इस समय और इससे पूर्व भी किया गया था। किन परिस्थितियों में इस करार पर हस्ताक्षर हुये थे, यह पूरी तरह से मुझे भी नहीं मालूम है। भारत सरकार यह महसूस करती है कि यदि आज हमें ऐसे करार करने का अवसर दिया जाये तो हम

†मूल अंग्रेजी में

१९५१ में जैसा करार किया गया था, उस प्रकार का करार नहीं करेंगे। यह करार पहले वाले से बिल्कुल भिन्न होगा। आप भिलाई, रूरकेला अथवा अन्य किसी भी करार को देख लीजिये जिसके लिये उत्पादन मंत्रालय उत्तरदायी है, तो आपको मूल करारों और इनमें बड़ा अन्तर दिखाई देगा, जिसके कारण स्पष्ट है। हमें अब अधिक अनुभव हो गया है, परिस्थितियां भी बदल गई हैं। किसी करार विशेष की आलोचना करते समय हमें संसार की बदली हुई स्थिति को ध्यान में रखना चाहिये। श्री एन० बी० चौधरी और ए० एम० थामस ने तेल शोधक करार के बारे में यह पूछा था कि क्या आप यथेष्ट कार्यवाही कर रहे हैं और क्या आप इस बात की कड़ी निगरानी कर रहे हैं कि करार की शर्तों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। मेरा उत्तर तुच्छ हां है। मेरे पास मिट्टी के तेल आदि के उत्पादन के आंकड़े हैं, किन्तु उन्हें बताने का मेरे पास समय नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बाद में यह सूचना दूंगा।

†**श्री ए० एम० थामस** : अपने प्रशासकीय प्रतिवेदन में।

†**श्री के० सी० रेड्डी** : यह बाद की बात है। मैं माननीय सदस्य को ये आंकड़े और अन्य तथ्य सम्बन्धी सूचना अलग से दूंगा।

जहां तक टेक्निकल ज्ञान का सम्बन्ध है, इस बारे में हमें अपनी आंखें मूंद कर नहीं चलना चाहिये और न अपने कान बन्द कर लेने चाहियें क्योंकि टेक्निकल ज्ञान व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रीय हो चुका है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस टेक्निकल ज्ञान व्यवसाय पर हमें राष्ट्रीयता के आधार पर विचार नहीं करना चाहिये। यह ज्ञान तो हमें जहां कहीं और उचित शर्तों पर मिल सके, हमें प्राप्त कर लेना चाहिये। किसी संयंत्र की स्थापना के लिये आवश्यक विदेशी सहयोगियों के सहयोग लेने में हमें संकोच नहीं करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं उदाहरणस्वरूप औज़ार कारखाने का उल्लेख करूंगा, जिसका उल्लेख सम्भवत: श्री जी० डी० सोमानी अथवा श्री के० के० बसु ने किया था। ऐनक के शीशे बनाने की एक योजना हमने बनाई है। इसके लिये वस्तुत: पिछले तीन-चार वर्षों से हम प्रयत्नशील रहे हैं। ऐनक का शीशा सामरिक महत्व की वस्तु है। इसका उत्पादन हम अपने देश में करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि सभा मेरी इस बात को मानेगी कि यथाशक्ति प्रयत्न करने के बावजूद भी ऐनक के शीशे के कारखाने की स्थापना करने में सन्तोषजनक शर्तों पर सहायता करने के लिये कोई उचित टेक्निकल सहयोगी नहीं मिल सका। इंग्लिस्तान और जर्मनी में हम पहले तलाश कर चुके थे अब जापान में कोशिश कर रहे हैं। कुछ पक्ष जो इस कार्य में आगे बढ़े उनकी शर्तें ऐसी थीं जिनसे हम सन्तुष्ट नहीं हुये। फिर भला हम यह ज्ञान कैसे प्राप्त करें? अब हम पूर्वी यूरोपीय देशों में सहयोगी की फिर तलाश कर रहे हैं। मुझे आशा है कि उनकी सहायता से हम यह छोटा सामरिक महत्व का संयंत्र स्थापित कर सकेंगे। प्राक्कलन समिति ने उत्पादन मंत्रालय को बुरा-भला कहा है कि वह पिछले ४ या ५ वर्षों में भी इसकी स्थापना नहीं कर सका है। इसके बहुत से कारण हैं। जब हम इतनी परियोजनायें बना रहे हैं और यदि हम ऐनक के शीशे का कारखाना नहीं बना सके हैं तो इसका कारण हमारी लापरवाही अथवा प्रयत्नों में कम नहीं कहा जा सकता। कुछ और मूलभूत कारण भी हैं जिनका मैं उल्लेख कर चुका हूं।

दूसरा पूछा गया नीति सम्बन्धी प्रश्न संसद् के उत्तरदायित्व के बारे में है। बहुधा यह आलोचना की जाती है कि आप हमें पूर्ण जानकारी नहीं देते। मैं समझता हूं कि श्री के० के० बसु ने वार्षिक प्रतिवेदन का प्रश्न उठाया था। उन्होंने पूछा था कि आप हमें इन चलने वाले कारखानों के बारे में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० सी० रेड्डी]

और अधिक विस्तृत तथ्यपूर्ण सूचना क्यों नहीं देते। मैं माननीय सदस्य की प्रशंसा करता हूं कि वह सरकारी उपक्रमों के संचालन के बारे में अधिकाधिक जानना चाहते हैं। वास्तव में मैं माननीय सदस्यों से कोई चीज छिपाना नहीं चाहता। मैं न केवल गणना, वाणिज्यक अथवा समवाय अधिनियम की दृष्टि से ही अधिकतम सूचना देने को तैयार हूं वरन् संगठनों के संचालन तथा अन्य पहलुओं से भी मैं अधिकाधिक जानकारी देने को तैयार हूं। किन्तु हम ऐसा किस तरह करें? हम माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सरकारी उपक्रमों के आये दिन प्रशासन सम्बन्धी, जिसके बारे में सभा ने यह प्रतिबन्ध लगा रखा है कि इन संगठनों का कार्य सुचारु रूप से हो सके, हमें उनके प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। इसीलिये ये समवाय बने हुये हैं। श्री सोमानी ने कहा था कि सरकार इन समवायों में हस्तक्षेप करती है और प्रशासन के प्रत्येक मामले में अपना निदेश देती है, जिससे स्पष्ट है कि उनमें स्वायत्तता नहीं रह जाती। जैसा कि मैं किसी और बात के बारे में कह चुका हूं, हम सन्तुलन बनाये हुये हैं। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक उन सार्थों का सम्बन्ध है, जो उत्पादन मंत्रालय के नियंत्रण में है, हमने उन्हें समवायों के रूप में कार्य करने के बारे में उन्हें अधिकतम स्वायत्तता दे रखी है। साथ ही श्री ब्रेथवाइट ने कहा था कि इसका तात्पर्य यह नहीं होना चाहिये कि वे जैसा चाहें कर सकते हैं। वे मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी हैं और उसी प्रकार मंत्रालय संसद् के प्रति। हम अपने उत्तरदायित्व को टाल नहीं सकते। इस कारण हम कुछ नियम बना रहे हैं। नियमों के अनुकूल ही समवायों को कार्य करना पड़ेगा और प्रबन्ध संचालक को शक्तियों का उपयोग करना होगा। नियम बनाने के पश्चात् मंत्रालय यह देखे कि किस प्रकार कार्य हो रहा है। यदि गलत काम होता है तो हम उनसे जवाब तलब करेंगे और यदि काम ठीक रहा तो शाबासी देंगे और कहेंगे--"काम करते जाओ, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।" मैं निवेदन करूंगा कि संसद् जो सर्वोच्च है और जिसके निदेशों का पालन किया जायेगा, चाहे कोई भी सरकार हो। वह कर्मचारियों, क्रय, उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम आदि के बारे में मनमानी नीति बना सकती है किन्तु संसद् के अतिशयोक्तिपूर्ण स्थान की आड़ लेकर मंत्रालय अथवा प्रबन्ध को बुरा-भला नहीं कहना चाहिये।

†**श्री कामत** : क्यों नहीं? हम ऐसा कर सकते हैं।

†**श्री के० सी० रेड्डी** : आप ऐसा कर सकते हैं। आपका स्वागत है। प्रश्न यह है कि क्या ऐसा करना संसद् में निर्धारित सिद्धांत के अनुकूल होगा।

उत्पादन मंत्रालय के प्रशासन के कार्य संचालन के अनेक पहलुओं पर आज लगभग सोलह सदस्यों ने वक्तव्य दिये हैं। एक-दो बातें मुझे नीति के सम्बन्ध में कहनी हैं, किन्तु समयाभाव के कारण उचित नहीं होगा। मैं किसी और अवसर पर इस बारे में बात करूंगा अथवा हो सकता है कि कोई सदस्य उनका उल्लेख करें जो बातें मैं छोड़ गया हूं।

एक महत्वपूर्ण बात बतानी रह गई थी जो इन उद्योगों की स्थिति के बारे में है। श्री ए० एम० थामस ने उद्योग किन स्थानों पर स्थापित किये जाने चाहियें इस पर एक प्रमुख योजना का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि हमें एक प्रमुख योजना बनानी चहिये। योजना आयोग भी इस बारे में बड़ा उत्सुक है और हमारा विचार भी एक प्रमुख योजना बनाने का है। श्री सोमानी ने राजस्थान में उर्वरक संयंत्र की स्थिति के विषय में प्रश्न उठाया था। श्री रामचन्द्र रेड्डी चाहते हैं कि इनमें से एक बेजवाड़ा में स्थापित किया जाये। व्यक्तिगत रूप से मैं चाहूंगा कि एक उर्वरक कारखाना मेरे अपने अर्थात् मैसूर राज्य में स्थापित हो।

†**एक माननीय सदस्य** : आप ऐसा नहीं कर सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० सी० रेड्डी** : यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक सदस्य अपने राज्य में एक मूलभूत उद्योग की स्थापना कराना चाहेगा। दो-तीन वर्ष पूर्व जब मैं नागपुर गया था तो श्री कामत ने मुझ से पूछा था—"रूरकेला में इस्पात संयंत्र कैसे स्थापित होने जा रहा है? मध्य प्रदेश के भिलाई का क्या हुआ?" मैंने उन्हें बताया कि हमने समझा था कि रूरकेला अनेक कारणों से सर्वोत्तम स्थान है। मैंने उन्हें यह भी बताया कि शीघ्र ही भिलाई में एक इस्पात संयंत्र स्थापित किया जायेगा।

†**श्री कामत** : वह तो हो गया है।

†**श्री के० सी० रेड्डी** : मुझे हर्ष है कि माननीय सदस्य ने यह अनुभव कर लिया है। वह तो दुर्गापुर में आ गया है। जब मैं बंगाल गया था, तो मैंने कहा था—"इस बात की प्रत्येक सम्भावना है और भविष्य में आशा की जाती है कि दुर्गापुर में तीसरा संयंत्र स्थापित हो जायेगा।" मैंने बिहार में यह कहा था कि चौथा संयंत्र बिहार में स्थापित हो सकता है। मुझे हर्ष है कि मेरे माननीय मित्र, लोहा और इस्पात मंत्री ने कहा है कि अगला संयंत्र बोकारो में स्थापित होने जा रहा है जिसके लिये हम अभी से योजना बना रहे हैं।

उर्वरक कारखानों के सम्बन्ध में भी हम इसी प्रकार कार्यवाही कर रहे हैं। जो लोग विशेष रूप से अपने राज्यों में कारखाने न होने के कारण निराश हैं मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम कोई भी निर्णय बहुत ध्यानपूर्वक विचार के पश्चात् करते हैं। हम उस समिति के प्रतिवेदन पर विचार करते हैं जो हमने इस लिये बनाई थी कि वह हमें परामर्श दे कि कारखाने कहां स्थापित किये जायें। उन्होंने प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया था अर्थात् न केवल राजस्थान में अमोनियम सल्फेट के उत्पादन व्यय पर विचार किया था वरन् इस पर भी ध्यान दिया था कि नंगल, राजस्थान और बैजवाड़ा में नाइट्रोजन आदि किस प्रकार का उर्वरक तैयार किया जाय, और इन सब बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात ही उन्होंने इस प्रकार प्राथमिकता क्रम की अन्तिम सिफारिश की है, कि प्रथम श्रेणी में नंगल, नेवेली, रूरकेला, द्वितीय श्रेणी में बैजवाड़ा और इटारसी, तृतीय श्रेणी में राजस्थान और चतुर्थ श्रेणी में सवाई माधोपुर इत्यादि हैं। असंतुष्ट सदस्यों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमने गत चार वर्षों में इस सम्बन्ध में कि कारखाने कहां स्थापित किये जायें यथासम्भव ध्यानपूर्वक विचार किया है। हमें प्रविधिक परामर्शदाताओं के परामर्श मिलते हैं। हमने सभी पहलुओं अर्थात् प्रविधिक, जलवायु, कच्ची सामग्री इत्यादि, और साथ क्षेत्र ही पिछड़ा हुआ है अथवा औद्योगिक दृष्टि से प्रगतिशील है, पर विचार किया है। श्री ए० एम० थामस ने कहा था कि "आप गड़बड़ कर रहे हैं। मद्रास को आशा है कि वहां भारी विद्युत् यंत्र परियोजना बनेगी, हैदराबाद को एक परियोजना की स्थापना की आशा है। और किसी राज्य को भी यह आशा थी और उन्होंने अपने विधान मंडलों में ये वक्तव्य दिये थे कि उनके राज्य में कारखाना स्थापित होने की आशा है।" खैर में इस झमेले के लिये उत्तरदायी नहीं हूं। मैंने वह प्रक्रिया स्पष्ट बता दी है जिसका भारत सरकार अनुसरण कर रही है। परन्तु श्री ए० एम० थामस स्वयं यह कह कर उलझन डाल देते हैं कि उस जहाज़ के कारखाने के लिये दो या तीन वर्ष पश्चात् स्थापित किया जाना है, कोचीन सबसे अच्छी जगह है। वे यह कह कर कि दूसरा जहाज़ का कारखाना कोचीन में स्थापित किया जायेगा, उलझन पैदा कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि यह कोचीन में स्थापित होगा। कोचीन एक अच्छा और उपयुक्त स्थान है। इसी प्रकार के और दो या तीन स्थान हैं। हमें इन बातों की जांच करनी है। श्री कामत कह सकते हैं कि पश्चिमी तट पर भाटकल या मंगलौर सबसे अच्छा स्थान है। हम इस पर वैज्ञानिक और उपयुक्त ढंग से विचार कर रहे हैं और जिस स्थान को चुना जाता है वहां के लोग तो संतुष्ट हो जाते हैं और स्वभावतः अन्य लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। हमें इन विषयों के सम्बन्ध में आन्तरिक संयमय से काम लेना चाहिये और इन बातों के यथार्थ रूप में देखना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि समिति ने प्रतिवेदन दिया था कि इटारसी में अन्य चुनी गई दो जगहों की अपेक्षा उर्वरक उत्पादन की लागत बहुत कम है ?

†**श्री के० सी० रेड्डी** : मेरा उत्तर निश्चय रूप से 'नहीं' है । मैं माननीय सदस्य को आवश्यक जानकारी दूंगा ।

†**श्री कामत** : मध्य प्रदेश पत्रिका में तो ऐसा लिखा है ।

†**श्री के० सी० रेड्डी** : यह पत्रिका हमारी नहीं है । मैंने राजस्थान पत्रिका देखी है, मैंने इटारसी पत्रिका देखी है और मेरी पत्रिका इन सबका संक्षेप है ।

दूसरी बात यह कही गई है कि सरकारी उद्योग क्षेत्र में अच्छी प्रगति नहीं हुई और कि धन-राशियां व्यपगत हो गई हैं । मेरे पास आंकड़े तो हैं परन्तु समय नहीं है । सरकारी उद्योग क्षेत्र में जो धन-राशि नियत की गई थी उसमें स जिसमें सबसे अधिक नियत धन-राशि का उपयोग नहीं हुआ वह इस्पात का क्षेत्र है और भारी विद्युत् यंत्र परियोजना है । मैं अब वे परिस्थितियां नहीं बताना चाहता जिनके कारण इन धन-राशियों का प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका । हम अब द्रुतगति से प्रगति कर रहे हैं और सम्भवतः हम जिस गति से कार्य करना चाहते हैं उसके लिये हमें आवश्यक वित्त न मिले । पर वह भिन्न विषय है ।

अब मैं भारी विद्युत् यंत्र परियोजना को स्थापित करने के लिये स्थान के विषय में एक प्रकार की घोषणा करना चाहता हूं जो पहले ही प्रशासकीय प्रतिवेदन में दी गई है । बहुत ध्यानपूर्वक विचार के पश्चात् और प्रदेशानुसार विभाजन की आवश्यकता और पिछड़े क्षेत्रों को अधिमान देने की बात को ध्यान में रखते हुये, हमने यह परियोजना भोपाल में स्थापित करने का निश्चय किया है, जो कि भाग 'ग' राज्य है, इसमें न किसी राजनैतिक दल का प्रभाव है और न ही महत्तर मध्य प्रदेश की ओर से, जिसमें भोपाल राजधानी होगी, कोई अनुरोध है ।

†**श्री कामत** : भूकम्पों के सम्बन्ध में क्या है । वहां भूकम्प नहीं होते । यह तो केवल माननीय सदस्य की कल्पना है ।

मैं उस प्रत्येक सदस्य को जो अपने राज्य में बुनियादी उद्योगों की स्थापना चाहता है, यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उनकी स्थापना हो रही है और होगी किन्तु किसी शुभ अवसर पर । यह आज होगा या कल इस सम्बन्ध में जैसा मैंने राजस्थान के विषय में कहा है और श्री जी० डी० सोमानी को लिखा है, आज नहीं तो कल अवश्य उद्योग स्थापन होंगे ।

इसके बाद मैं बैजवाड़ा, इटारसी राजस्थान और हैदराबाद में कोठागुडम जैसे दो तीन और स्थानों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिये ये सब स्थान बहुत अच्छे हैं । प्रश्न यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये हमारा लक्ष्य क्या होगा ।

वस्तुतः मेरा मत सरकार के निश्चय से भिन्न नहीं समझा जाना चाहिये और न ही यह योजना आयोग के निश्चय से भिन्न है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उर्वरक उद्योग के लिये एक विशेष लक्ष्य निश्चित किया गया है । परन्तु मेरी अपनी राय यह है कि उस लक्ष्य को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा सकता है । इस समय हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना को प्रायः आधा पूरा कर चुके हैं, हम यह आवश्यकता अनुभव करेंगे कि अपने पड़ोस के देशों में अर्थात् दूर पूर्व के देशों में उर्वरक निर्यात करने का प्रयत्न करने के हेतु हम उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करें । परन्तु इस आवश्यकता के उत्पन्न होने पर हम इसका प्रयत्न करेंगे । मैं माननीय सदस्यों को योंही आशा नहीं दिलाना चाहता । संभावना है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और उर्वरक कारखाने स्थापित करने का विचार किया जाये और ऐसा होने पर मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि जिन तीन-चार जगहों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है उनका ध्यान रखा जायेगा ।

एक साधारण-सी बात के० के० बसु ने कही थी । उन्होंने पूछा था कि हम सिंदरी का लागत मूल्य क्यों नहीं बताते और इस प्रकार उन्हें अपना विश्वासपात्र क्यों नहीं बनाते । मैंने पहले बताया है कि हम सभा को विश्वासपात्र बनाना चाहते हैं परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं और मैं भी पहले इस सभा में बता चुका हूं, संसद् के सदनों में इस प्रकार इस समवाय की उत्पादन लागत और तत्सम्बन्धी ब्योरा बताना इस वाणिज्यिक और विशेषत: निर्माण करने वाले समवाय के हित में नहीं जो जानकारी हम संसद् को दें यदि वह उसे अपने पास रखे और बड़े पैमाने पर उसका प्रचार न करे तब सम्भव हो सकता है कि हम जानकारी दे दें । परन्तु इंगलैंड अथवा अमरीका या विश्व में कहीं भी जहां ऐसे उपक्रम हैं, चाहे वे सरकारी उपक्रम हो या और, उनके कुछ कार्य गोपनीय होते हैं ! उन्हें गुप्त रखना पड़ता ह और उन्हें बताया नहीं जा सकता । इन परिस्थितियों के अधीन हम ठीक-ठीक उत्पादन लागत नहीं बता सकते । हम लगभग उत्पादन लागत बता देते हैं और हमारी नीति का आधार उत्पादन लागत है । में इतना विश्वास दिला सकता हूं । परन्तु माननीय सदस्य को इससे अधिक मांग पर पुन: विचार करना चाहिये ।

यह मांग की गई है कि सरकारी उपक्रमों के कार्य के प्रतिवेदन भिन्न प्रकार के होने चाहियें । हम आपको लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन लाभ और हानि के खाते और संतुलन पत्र और सभापति का भाषण इत्यादि देते हैं । सभा को विदित है कि यह सब हम सभा के समक्ष रखते हैं लेकिन माननीय सदस्य विस्तृत प्रतिवेदन चाहते हैं, इस सम्बन्ध में हम इस नये समवाय अधिनियम की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हैं जो अब विधि के रूप में हैं और एक अप्रैल से क्रियान्वित किया जा रहा है । समवाय अधिनियम की धारा ६३९ में यह लिखा है :

"संसद् के समक्ष रखे जाने. वाले सरकारी समवायों के वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि :

(१) धारा ६३८ में निर्दिष्ट सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन....."

इसका अभिप्राय सरकार की ओर से संसद् को दिये गये वार्षिक प्रतिवेदन से है ।

"केंन्द्रीय सरकार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और उसके साथ उस पर टिप्पणियां तथा उसका परिशिष्ट और नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ प्रत्येक सरकारी समवाय का एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करवायेगी और संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी ।"

यह अधिनियम १ अप्रैल को लागू हुआ है । सरकार की यह इच्छा है और इच्छा ही नहीं वरन् इस अधिनियम द्वारा सरकार का यह कर्तव्य हो गया है कि अगले वर्ष से वह प्रत्येक सरकारी समवाय के कार्य का विस्तृत प्रतिवेदन संसद् के समक्ष रखे । अत: एक विस्तृत प्रतिवेदन के लिये जो मांग माननीय सदस्य कर रहे हैं सरकार ने उसकी आशा की थी और इस प्रयोजन समवाय अधिनियम में एक उपबन्ध किया गया है और उस अधिनियम की इस धारा के अनुसरण से अब से संसद के दोनों सदनों को यह लाभ होगा कि प्रत्येक राष्ट्रीय समवाय के कार्य के विस्तृत प्रतिवेदन सभापटलों पर रखे जायेंगे या अन्य उपयुक्त ढंग से उन्हें दिये जायेंगे ।

विभिन्न माननीय सदस्यों ने सभा के समक्ष जो बातें रखी हैं, मुझे आशा नहीं कि मैं उन सबका उत्तर दे सकूंगा । मैं कुछ अपने साथियों के लिये छोड़ दूंगा जो एक या दो बीच में बोलने वाले वक्ताओं के पश्चात् बोलेंगे । मैं कुछ प्रमुख विषयों को लेकर उनक सम्बन्ध में कही गई बातों का उत्तर दूंगा ।

[श्री के० सी० रेड्डी]

श्री अशोक मेहता ने मुझे बताया है कि उन्हें ५·३० म० प० किसी पर्व में सम्मिलित होना है। अतः मैं उनकी उपस्थिति में कोयला उद्योग से सम्बन्धित कुछ बातों को लूंगा जिनकी ओर उन्होंने मेरा ध्यान दिलाया था।

कोयला के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने और कहीं के तथा अधिकतर यहां के कोयला उद्योग की समस्याओं का जो विश्लेषण किया है मैं निजी तौर पर यह बात स्पष्ट कर सकता हूं कि मैं प्रायः उनसे पूर्णतः सहमत हूं। परन्तु प्रश्न यह है कि इसे कैसे अत्यन्त सुचारू रूप से सुलझाया जा सकता है, हम इसे क्या रूप दें, इसमें कितना समय लगना चाहिये। कुछ बातों में वस्तुतः मतभेद हो सकता है। मैं नहीं कहता कि श्री अशोक मेहता ने जो कुछ कहा है वह सर्वथा गलत और अप्रासंगिक है और जब मैं वित्त सम्बन्धी और अन्य कठिनाइयों तथा परिस्थितियों की बात कहूं तो मैं आशा करता हूं कि वे यह नहीं कहेंगे कि मैं गलत कहता हूं। मैं उनके इस सुझाव की ओर पूरा ध्यान दूंगा जो उन्होंने भाषण में नहीं दिया वरन् मुझे बताया था, कि इंग्लैंड या कहीं और की रीड समिति की तरह एक समिति नियुक्त करनी चाहिये और इस विषय पर अधिक विचार करना चाहियें। मैं माननीय मित्र को यह विश्वास दिला सकता हूं।

अब मैं और एक दो बातों को लूंगा जिनकी ओर उन्होंने निर्देश किया है। उन्होंने पहली बात यह कही थी। उन्होंने कोयला उद्योग में वैज्ञानिकन तथा मशीनीकरण करने और इसे आधुनिकतम यंत्रों से सज्जित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह मांग न केवल कोयला उद्योग वरन् वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग और अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में भी की जाती रही है। हमारे अपने अनुभव हैं और माननीय सदस्य के कार्मिक संघ के नेता होने के नाते अपने अनुभव हैं।

जब हम वस्त्र उद्योग का वैज्ञानिकन करने लगे थे तो हम जानते हैं कि उस सम्बन्ध में क्या वाद-विवाद चला था, हम जानते हैं कि देश के कई भागों में हड़तालें हुई थीं। पिछली हड़ताल कानपुर में हुई थी। इसलिये कपड़ा उद्योग में वैज्ञानिकन की प्रगति को श्रमिकों के दृष्टिकोण से धीमा करना पड़ा है। मैं श्री अशोक मेहता से कहूंगा कि वह इस पहलू पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें, अर्थात् यदि हम वैज्ञानिकन और मशीनीकरण और गैर-सरकारी क्षेत्रों में भी वैज्ञानिकन और मशीनीकरण करते हैं तो श्रमिकों के दृष्टिकोण से इस समस्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे ठीक संख्या मालूम नहीं, किन्तु मेरा विचार है कि तीन या चार लाख व्यक्ति इस उद्योग में लगे हुये हैं।

†**श्री अशोक मेहता** : चूंकि आप उत्पादन बड़ी तेजी से बढा रहे हैं, इसलिये मैं नहीं समझता कि इसका कोई विपरीत प्रभाव होगा।

†**श्री के० सी० रेड्डी** : यदि माननीय सदस्य किसी दिन कोयले की खान वाले क्षेत्रों में जायें और वहां के मजदूरों और उनके नेताओं की सम्मति और सहमति ले लें, कि वह हमसे वैज्ञानिकन और मशीनीकरण के जिस स्तर की अपील कर रहे हैं, क्या उन्हें उसके बारे में कोई आपत्ति तो नहीं है, और यदि वह मजदूर संघ के नेता के नाते बिल्कुल स्पष्ट बात कहें, तो मैं स्वयं और भारत सरकार की ओर से कोयला उद्योग की कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिये जिनका उन्होंने स्वयं उल्लेख किया है, सर्वोत्तम हल को कार्यान्वित करने के लिये तनिक भी विलम्ब नहीं करूंगा। यह प्रशासन सम्बन्धी प्रश्न है और यह इस बात का ठीक अनुमान लगाने का प्रश्न है कि इस नीति को स्वीकार करने से क्या प्रतिक्रिया और परिणाम होंगे और मशीनीकरण का कोई विशिष्ट कार्यक्रम बनाने का प्रश्न है। समस्या की यही जड़ है।

माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां तक उन नई कोयला खदानों का सम्बन्ध है, जिनको केन्द्रीय सरकार स्थापित करने जा रही है, इस बात का यथासम्भव प्रयत्न किया जायेगा

†मूल अंग्रेजी में

कि उस उद्योग को वर्तमान आधार पर बनाया जाये । हम अत्यधिक नवीनतम संयंत्र लगायेंगे और वहां रोजगार की समस्या नहीं उठेगी । मैं आश्वासन देता हूं कि माननीय सदस्य ने जिस बात का उल्लेख किया है उस पर हम विचार कर रहे हैं ।

राष्ट्रीयकरण का प्रश्न एक बहुत व्यापक विषय है, जिसके बारे में इस थोड़े से समय में मैं कुछ नहीं कह सकता, किन्तु इसके सम्बन्ध में हमारे सिद्धांत और आदर्श बिल्कुल स्पष्ट हैं । यह वह मूल उद्योग है जिसको हम यथासम्भव और शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं । कई समितियों ने यह सिफारिश की है कि कोयला उद्योग को और विशेषत: धातु गलाने वाले कोयले का शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण करना चाहिये । हम इस बारे में सचेत हैं । हमें इस सम्बन्ध में कुछ बातों पर मुख्यत: विचार करना होगा । उनमें से पहली बात यह है कि जो वर्तमान संसाधन हैं उनको लिया जाये अथवा नये संसाधन ढूंढे जायें जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़े । दूसरी बात जिससे शायद श्री अशोक मेहता भी सहमत हों, वह यह है कि क्या यह वांछित है अथवा वास्तव में यह उपयोगी होगा कि उन बेकार और अनुपयुक्त कोयला खदानों का, जो अधिकतम ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में हैं, राष्ट्रीयकरण करने के बारे में कार्रवाई की जाये । तीसरी बात आणविक शक्ति की उपलब्धता के बारे में ध्यान रखना है । हालांकि, निकट भविष्य में, कोयला उद्योग की समाप्ति की सम्भावना आगामी १०–१५ वर्ष में दिखाई नहीं पड़ती, किन्तु फिर भी उसका ध्यान तो रखना ही होगा । इस स्थिति को देखते हुए अब हमें इस बात को महत्व देना है कि सरकारी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या नई खदानें बनानी हैं या वर्तमान क्षेत्र की खदानों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को लेना चाहिये । यह ऐसा प्रश्न है जिस पर समझौता किया जा सकता है । इस उद्योग में काफी मात्रा में प्रतियोगिता भी है और हम चाहते हैं कि इस उद्योग में प्रतियोगिता भी बढ़े । मैं इसके बारे में इस समय कुछ न कह कर फिर कभी कहूंगा ।

रेलवे खदानों के कार्य संचालन के बारे में कुछ बातें कही गई थीं । मैं तो यह कहूंगा कि रेलवे खदानों का कार्य पिछले चार वर्षों में लाभदायक रहा है । उनसे लाभ हुआ है । छः या सात खदानों में हानि भी हुई है, किन्तु ३ या ४ में लाभ हुआ है । परिणाम यह है कि उनमें लाभ ही हुआ है । छः सात खदानों में जो हानि हुई है उसके कुछ कारण हैं । उनमें से कुछ ८० वर्ष पुरानी हैं और उनकी तहें समाप्त हो गई हैं । अब प्रश्न यह है कि उनको बन्द कर दया जाय या चालू रखा जाये । कुछ दूसरी खदानों के बारे में प्रविधिक कारण हैं । उन सब पर समिति ने विचार किया है और हमें समिति का प्रतिवेदन मिल गया है और हम यह विचार कर रहे हैं कि उन खदानों की दशा सुधारने के लिये, जिनमें हानि हुई है, क्या करना चाहिये । यह मैं मानता हूं कि गिरिडिह की खदानों में, जो कि ८० वर्ष पुरानी है, कुछ हानि हुई है । प्रश्न यह है कि क्या उसे बन्द कर दिया जाय । कुछ पुरानी खानों में उत्पादन धीरे-धीरे कम हो रहा है । हम यह आशा नहीं कर सकते कि उनके उत्पादन में वृद्धि होगी । इन पहलुओं पर हमें विचार करना है । प्रत्येक कोयला खदान के बारे में कि कोयले का वहां अधिक उत्पादन क्यों हुआ अथवा कम क्यों हुआ, और अन्त में सकल परिणाम क्या निकला इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी माननीय सदस्य को दे दूंगा । मुझे खेद है कि इस समय विस्तृत रूप से मैं नहीं बता सकूंगा ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोयला उत्पादन के बारे में सुसंगत परिस्थितियों एवं पहलुओं पर विचार करते हुये सरकार अतिरिक्त कोयला के अधिक से अधिक उत्पादन का प्रयत्न करेगी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में पैदा किये जाने वाले २२० लाख टन कोयला में से ८० लाख टन कोयला सरकारी क्षेत्र में पैदा किया जाना चाहिये । अत: ७० अथवा ८० लाख टन कोयला ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में भी पैदा किया जाना चाहिये क्योंकि यह ८० लाख टन कोयला हम वर्तमान कोयला खदानों में अतिरिक्त रूप से उत्पादन कर रहे हैं । जब तक कि सारे उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं हो जाता तब तक सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती । यह ६० और ७० लाख टन कोयले के उत्पादन को सरकारी

[श्री के० सी० रेड्डी]

और ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों में बांटने के सम्बन्ध में हम विचार कर रहे हैं। कोई अन्तिम निर्णय करने से पूर्व वही संसाधनों का प्रश्न आता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आकार और कुछ अन्य दूसरे विकास कार्यों पर जो हो चुके हैं विचार करना होगा। मेरा विचार है कि आगामी पखवाड़े में सरकार यह अंतिम निर्णय कर सकेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोयला के उत्पादन के बंटवारे के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय क्या होगा।

बुनियादी उद्योगों के बारे में सरकार की नीति स्पष्ट है। इनके सम्बन्ध में केवल एक ही रास्ता रह गया है और वह है उनका राष्ट्रीयकरण करना और वह भी केवल इसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं अपितु अन्य दूसरे उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण करना। किन्तु अब प्रश्न यह है कि कब और किस प्रकार—ये वे प्रश्न हैं जिन पर प्रशासन एवं वित्तीय दृष्टिकोण से बड़ी सावधानी से विचार करना होगा।

नमक के बारे में दो अथवा तीन बातें कही गई हैं। जहां तक कि नमक के उत्पादन का सम्बन्ध है उसका उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है। किन्तु मैं यह स्वीकार करता हूं कि नमक के विकास के कार्यक्रम में, उसकी किस्म सुधारने में और गवेषणा प्रयोगशालायें आदि-आदि स्थापित करने में सरकार अच्छा कार्य कर सकती थी। किन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमारे सामने पंचवर्षीय अच्छा कार्यक्रम है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में हमारा विचार इस कार्य के लिये २ करोड़ रुपये व्यय करने का है।

राजस्थान में नमक उत्पादन की वृद्धि और नमक के पानी के उपयोग तथा अन्य दूसरे छोटे उत्पादनों को अलग करने की समस्या सरकार की निगाह में है। सांभर में नमक के उत्पादन की वृद्धि का कार्यक्रम हमने बनाया है। कुछ उन ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों को जो नमक बनाना चाहते हैं, अनुज्ञप्ति देने का प्रश्न विचाराधीन है। इसके बारे में कुछ बातें हैं। श्री जी० डी० सोमानी को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सांभर में नमक के उत्पादन की वृद्धि करने के लिये हम आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् की सहायता से हम वहां एक गवेषणा स्टेशन स्थापित करने जा रहे हैं जो यह मालूम करेगा कि नमक के पानी से किस प्रकार अन्य रसायन तैयार होंगे तथा मेगनेसियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ दूसरे छोटे-छोटे उपोत्पादों को किस प्रकार अलग किया जाये। आगामी तीन अथवा चार सप्ताहों में इनके बारे में हम कुछ निर्णय कर सकेंगे।

नमक पर निर्भर रहने वाले अन्य उद्योगों के बारे में भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में सोडा एश और कास्टिक सोडा के तीन कारखानों की स्थापना होगी जिनमें इस नमक की काफी खपत हो सकेगी। भारी रासायनिक तथा अन्य दूसरे रासायनिक उद्योगों के बारे में भी सरकार कार्यक्रम बना रही है। कुछ रासायनिकों के उत्पादन के लिये नमक के उपयोग के बारे में भी काफी ध्यान रखा जायेगा।

घटिया श्रेणी के सांश्लेषिक कोयले के उत्पादन और उपयोग के बारे में कुछ बातें कहीं गई हैं। इसके बारे में भी सरकार विचार कर रही है। संश्लेषिक तेल और घटिया श्रेणी के कोयले को अत्यधिक प्रमुखता दी जाये। साथ ही सभा को मैं यह आश्वासन देता हूं कि कोयले से कम ताप पर कार्बोनाइट बनाने और कुछ अन्य रासायनिकों के उत्पादनों के बारे में भी कुछ कार्यवाही की जायेगी।

विदेशी पेन्सलीन सम्बन्धी आयात नीति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा तय की जाती है। यह प्रश्न कि इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में कितनी पेन्सलीन का आयात किया जाय उस मंत्रालय के

विचाराधीन है । अपने पैन्सलीन कारखाने के उत्पादन के सम्बन्ध में हमने उस मंत्रालय को आंकड़े दे दिये हैं और उस उत्पादन की सुरक्षा के सम्बन्ध में हमने उन्हें बता दिया है । इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में कितनी पैंसलीन का आयात किया जायगा इसका निश्चय हो जाने से सदस्य द्वारा उठाई गई आपत्ति का भी हल हो जायेगा ।

†**श्री ए० एम० थामस** : मेरा प्रश्न पैन्सलीन के आयात के बारे में नहीं है अपितु पिम्परी में उत्पादित पैंसलीन की किस्म एवं उसकी शक्ति के बारे में है ?

†**श्री के० सी० रेड्डी** : वह बहुत अच्छी है । इंग्लैंड एवं अमरीकी प्रविधिकों ने भी उसे प्रमाणित किया है और बहुत ही सन्तोषजनक बताया है ।

अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व जिस अंतिम विषय के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं और जिसका सम्बन्ध कुटीर उद्योगों से है, वह एक ऐसा नया उत्तरदायित्व है जो हमारे लोहा और इस्पात सम्बन्धी उत्तरदायित्व के नये लोहा और इस्पात मंत्रालय को हस्तांतरित किये जाने के उपरांत उत्पादन मंत्रालय को सौंपा गया है । राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में इन कुटीर उद्योगों का क्या स्थान है यह इस सभा के सभी माननीय सदस्यों को भली प्रकार से ज्ञात है, और मैं पहले कही गयी अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इन कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार की नीति और सरकार का कार्यक्रम, जिसको योजना आयोग द्वारा प्रारूप रूपरेखा में जोरदार ढंग से प्रगट किया गया है, जिसमें से, मैं समझता हूं, कि एक उद्धरण दिया गया था अथवा जिसका उल्लेख किया गया था, बताया जा चुका है : कर्वे समिति का प्रतिवेदन भी यहां है । इस समिति की नियुक्ति योजना आयोग द्वारा की गयी थी और उसके प्रतिवेदन पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही उस पर सम्पूर्ण सरकार, मंत्रालय और सरकार, द्वारा विचार किया जायेगा । नीति और कार्यक्रम बिल्कुल स्पष्ट है कि रोजगार की दृष्टि से केवल विकेन्द्रित उद्योग गांवों की जनता को, जिसका कृषि का अपना स्वतन्त्र व्यवसाय है और जिसके पास खादी जैसे फालतू वक्त के उद्योगों के लिये कुछ समय है, पूरा रोजगार नहीं दे सकते हैं । यह नीति और कार्यक्रम सरकार की नीति है, किसी एक मंत्रालय की नीति नहीं है । जब सरकार तथा योजना आयोग द्वारा सामान्य रूप से किसी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी जाती है तब यह सभी मंत्रालयों के संयुक्त उत्तरदायित्व की बात होती है कि वह उस नीति को यथासम्भव निष्ठा के साथ पूर्ण करें । मैं समझता हूं कि उसके सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होगी । जैसा कि मैंने कहा कि तथ्यों तथा कुछ अन्य बातों के आधार पर कुछ मतभेद हो सकते हैं । इन पर विचार किया जायेगा और हमको इन पर चर्चा कर इनसे ऐसे निष्कर्षों तक पहुंचना है जो विशेष रूप से सम्पूर्ण सरकार की मुख्य नीति से भिन्न न हों । कभी-कभी मंत्रीगण कुछ बातें कह देते हैं, वह भी मनुष्य हैं । कभी-कभी हम अपना आपा खो बैठते हैं; कभी-कभी कोई विशेष समस्या हमारी पकड़ में नहीं आती है, परन्तु इसका अर्थ यह तो नहीं है कि हम अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गये हैं । हमको इन बातों को अधिक तूल नहीं देना चाहिये, कि उत्पादन मंत्री ने किसी विशेष संदर्भ में एक स्थान पर क्या कहा था और किसी अन्य मंत्री ने एक दूसरे ही संदर्भ में क्या कहा था । यह कोई बहुत ही महत्त्वपूर्ण बातें नहीं हैं । मुख्य बात तो सम्पूर्ण सरकार का कार्यक्रम और नीति है और सम्पूर्ण सरकार तथा प्रत्येक मंत्रालय उसको पूरा करने के लिये उत्तरदायी है । जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, स्थिति यही है ।

ग्रामोद्योगों के सम्बन्ध में एक यह बात कही गयी है कि खादी, ग्रामोद्योग और रेशम-कीट पालन के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है । मैं सभा का ध्यान इस महत्त्वपूर्ण पहलू की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिन योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता मंजूर की जाती है उनको पूरा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० सी० रेड्डी]

करने का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है। इन योजनाओं को पूरा करने का उत्तरदायित्व पूरी तरह से राज्य सरकारों पर ही है। जब मैं यह बात कहता हूं तब मैं अपने उत्तरदायित्व को टालना नहीं चाहता हूं। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि हम अपने उत्तरदायित्व को ठीक ढंग से पूरा करने से बचना चाहते हैं और चाहे जो भी बात हो, इसका दोष राज्य सरकारों के ही सरों पर मढ़ना चाहते हैं।

मैं यह स्वीकार करने के लिये तैयार हूं कि यद्यपि इन कुटीर उद्योगों के लिये मुख्य रूप से राज्य सरकारें ही उत्तरदायी हैं, परन्तु फिर भी केन्द्रीय सरकार इन पर कड़ी नजर रखेगी, राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखने के विचार से नहीं, वरन् इस बात की व्यवस्था करने के लिये कि राज्य सरकारों को इस ढंग से सहायता प्रदान की जाती रहे जिससे कि वह इन कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन करते रहें।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या सरकार ने इस बात की जांच कराई है कि ग्रामवासियों की सहायता किस ढंग से की जायेगी और यह सहायता किस अभिकरण के द्वारा दी जायेगी ?

†**श्री के० सी० रेड्डी** : न केवल हमने जांच कराली है वरन् अपनी जांच के परिणामों की सूचना भी एक प्रश्न, सम्भवतः स्वयं माननीय सदस्या द्वारा ही पूछे गये एक प्रश्न, या शायद वह एक अतारांकित प्रश्न था जिसका उत्तर उस समय दिया गया था जिस समय माननीय सदस्या या तो उपस्थित नहीं थीं या उपस्थित नहीं हो सकीं थीं, के उत्तर में एक विवरण के रूप में लोक-सभा पटल पर रखा जा चुका है। इसमें हमने प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया है। परन्तु मैं इस प्रकार की सफाई का आश्रय नहीं लेना चाहता। यदि जनता के लिये इन चीजों की जानकारी प्राप्त करना कठिन हो, और हम देखें कि माननीय सदस्या के कथनानुसार कठिनाई हो रही है, तो इसको खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, रेशमकीट पालन बोर्ड तथा अन्य बोर्डों के प्रचार संगठनों के द्वारा गांवों में भेजा जायेगा और उनको बताया जायेगा कि वास्तव में स्थिति क्या है। वह राज्य सरकारों से भी यह अनुरोध करेंगे कि वह अपने राजस्व एकत्र करने वाले संगठन के द्वारा, अपने कलक्टरों तथा अन्य व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न ग्रामवासियों को वास्तविक स्थिति समझा दें। हम यह कार्य कर रहे हैं और हम इस बात की व्यवस्था करेंगे कि गांवों के विभिन्न कार्यकर्त्ताओं को तथा कारीगरों को उचित और सही सूचना दी जाये।

जहां तक ग्रामोद्योगों और रेशम-कीट पालन का सम्बन्ध है, जिसका उल्लेख मैसूर के मेरे मित्र ने किया था, संक्षेप में स्थिति इस प्रकार है। पिछले २ या ३ वर्षों में, मुझे इस तथ्य को स्वीकार करते हुये खेद होता है कि केन्द्रीय सरकार ने धन राशियां मंजूर की थीं और राज्य सरकारों को जो अनुदान और ऋण दिये गये थे उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है। ग्रामोद्योगों में यह बात ३० अथवा ४० प्रतिशत तक ही है और रेशम-कीट पालन के सम्बन्ध में तो स्वयं मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि केवल ३० अथवा २५ प्रतिशत राशियों का ही उपयोग किया गया है। रेशम कीट पालन के लिये राज्य सरकारों के लिये जो ५६ लाख रुपये मंजूर किये गये थे उनमें से केवल १२ लाख रुपये ही व्यय किये जा सके हैं, और अन्य ग्रामोद्योगों के सम्बन्ध में लगभग ५० अथवा ४० प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया है। परन्तु इसका कारण यह है।

जहां तक ग्रामोद्योगों का सम्बन्ध है, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने कहा है कि उपयुक्त संगठन का अभाव ही मुख्य कारण रहा है और अब वह उपयुक्त संगठन की स्थापना कर रहे हैं—अथवा कर चुके हैं, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि १६५६–५७ में १६५६–५७ के आय-व्ययक में जो राशि दी जायेगी उसका उपयोग कर लिया जायेगा। अब मैं प्रत्येक उद्योग के सम्बन्ध में अलग-अलग कुछ नहीं कहना चाहता हूं। उपमंत्री महोदय इनके सम्बन्ध में बतायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

खादी के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जहां तक कि परम्परागत खादी का सम्बन्ध है, लोक-सभा को यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने यह सूचना दी है कि पिछले वर्षों में जो धन-राशियां दी गयी थीं उनका पूरा उपयोग कर लिया गया है। १९५५–५६ के लिये सात करोड़ रुपयों का जो लक्ष्य खादी के लिये निर्धारित किया गया था, उसका उपयोग कर लिया गया है। जहां तक खादी का सम्बन्ध है, उसकी प्रगति संतोषप्रद है। अब संसद् और देश दोनों ही बड़ी गम्भीरता से इस प्रश्न पर सोच रहे हैं कि कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में, खादी के कपड़े के उत्पादन के क्षेत्र में, अम्बर चरखे की क्या स्थिति रहेगी। मिलों में तैयार होने वाले कपड़े से उसका क्या सम्बन्ध रहेगा? उत्पादन का सामान्य कार्यक्रम क्या है? नये तकुओं के लिये अनुज्ञप्तियां जारी करने के सम्बन्ध में क्या किया जाये? शक्तिचालित करघे कितना उत्पादन करेंगे? क्या नये शक्तिचालित करघों को स्वीकृति दी जायेगी? इस सभा के माननीय सदस्यों के दिमाग में यही सभी प्रश्न चक्कर काट रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं। जहां तक अम्बर चर्खे का सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूं कि उसकी संभावितायें बहुत अधिक हैं। जहां तक परम्परागत चर्खे से उसकी तुलना करने का सम्बन्ध है, यह पूर्ण रूप से सिद्ध किया जा चुका है कि अम्बर चर्खे द्वारा उत्पादित कपड़े तथा सूत की कीमत, परम्परागत चर्खे द्वारा उत्पादित कपड़े तथा सूत की कीमत से, यदि अधिक नहीं तो कम से कम ५० प्रतिशत कम तो होगी ही। यदि आप परम्परागत खादी-उत्पादन की लागत आदि के आर्थिक पक्ष की तुलना अम्बर चर्खे द्वारा खादी-उत्पादन की लागत आदि के आर्थिक पक्ष से करें, तो आप देखेंगे कि अम्बर चर्खे द्वारा होने वाला खादी का उत्पादन परम्परागत खादी-उत्पादन के आर्थिक पक्ष से कहीं अधिक उत्तम है। इसमें कोई संदेह ही नहीं है। सरकार ने इसी आधार पर यह निश्चित किया है कि वर्तमान परम्परागत चर्खों के स्थान पर अम्बर चर्खे को प्रचलित करने का एक सुविचारित कार्यक्रम चालू किया जाना चाहिये, हो सकता है कि यह अभी यहां उल्लिखित की गई अग्रिम परियोजना की योजना के परिणामस्वरूप ही हो। सरकार इसकी वित्तीय उपलक्षणाओं को बाद में, यथासमय निश्चित करेगी।

उस अधिक बड़े कार्यक्रम, पंचवर्षीय कार्यक्रम, के सम्बन्ध में क्या होगा, जिसके अन्तर्गत अम्बर चर्खे द्वारा ४,००० लाख से कुछ अधिक पौंड सूत और १७,००० लाख गज कपड़े का उत्पादन किया जायेगा, और जिसके लिये न तो अधिक तकुओं की अनुज्ञप्तियाँ जारी करनी पड़ेंगी और न कुछ अधिक शक्ति चालित करघों या इसी प्रकार के अन्य उपकरणों की आवश्यकता ही पड़ेगी? यही तो उपलक्षणायें हैं। इस सम्बन्ध में, मैं केवल एक-दो महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में ही कहूंगा। सबसे पहली बात तो यह कि वर्धा में सर्व सेवा संघ या जिसे प्रयोगशाला का परीक्षण भी कह सकते हैं, किया जाता है। जहां तक खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का सम्बन्ध है, वह अम्बर चर्खे के आर्थिक पक्ष से पूरी तरह संतुष्ट है, और उसका कहना है कि अम्बर चर्खे के सम्बन्ध में उसने जो कल्पनायें की थीं उन्हें पूरी तौर पर सिद्ध किया जा सकता है। वह इसी निर्णय पर पहुंचा है। लेकिन जहां तक जनता का सम्बन्ध है, या सरकार तथा संसद् का सम्बन्ध है, हम इसके बारे में कुछ आश्वासन चाहते हैं। माननीय सदस्य ने कहा था कि यह १४४ करोड़ रुपयों का मामला है, और इसीलिये हम इसके सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं रहने देना चाहते हैं। सरकार ने स्वयं खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के कहने पर ही, ३० लाख रुपयों की लागत की एक अग्रिम परियोजना के चलाये जाने की स्वीकृति दी है। इस अग्रिम परियोजना के अनुसार देश के विभिन्न ग्रामों में ६,००० चर्खे बनाये जायेंगे और इन चर्खों द्वारा तैयार होने वाले सूत से अभी की तरह ही बुनाई की जायेगी। हमें इस क्षेत्र अग्रिम परियोजना के परिणामों को देखने के लिये अप्रैल के अन्त या मई के आरम्भ तक रुकना पड़ेगा। हम क्षेत्र परीक्षणों के परिणामों की राह देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमने योजना आयोग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और उत्पादन मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित

[श्री के० सी० रेड्डी]

की है, जिसका सभापति उत्पादन मंत्रालय का सचिव है। यह समिति इस चर्खे के प्रविधिक और आर्थिक पक्ष की जांच करेगी। हमें अप्रैल के अन्त या मई के आरम्भ तक उसका प्रतिवेदन मिल जायेगा। इस समिति का प्रतिवेदन उपलब्ध हो जाने पर ही, सरकार खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रस्तुत अम्बर चर्खे के उस अधिक बड़े कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ निर्णय करने की स्थिति में होगी। मैं लोक-सभा को आश्वस्त करता हूं कि सरकार की ओर से इस मामले में कोई भी अनुचित विलम्ब नहीं होने दिया जायेगा। सरकार ने, मेरे द्वारा गिनाये हुये कारणों से विलम्ब न होने देने के लिये और काम में रुकावट न पड़ने देने के लिये ही, बोर्ड से कह दिया है: "आप आज, कल या अगले पखवारे के लिये तुरन्त ही १०,००० या इससे कुछ अधिक चर्खों के निर्माण का कार्य आरम्भ कर सकते हैं, और संभव है कि हम इसके अधिक विशाल पक्ष के सम्बन्ध में, एक दो महीनों में कुछ निश्चय कर लें। आप तब तक हाथ पर हाथ धर कर न बैठे रहिये, आप कार्यक्रम को आंशिक रूप से कार्यान्वित कर सकते हैं, विशाल कार्यक्रम के एक भाग को कार्यान्वित कर सकते हैं। हम देखेंगे कि उससे क्या परिणाम निकलते हैं।" इस प्रकार हम इसमें कोई त्रुटि नहीं होने देंगे। इस संगठन के किसी भी भाग में अम्बर चर्खे के विशालतर कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई सरकारी निर्णय होने तक कोई ठहराव या जड़ता नहीं आने देंगे। अम्बर चर्खे के कार्यक्रम के सम्बन्ध में, मैं बताना चाहता हूं कि योजना आयोग ने द्वितीय योजना की अपनी प्रारूप रूपरेखा में अम्बर चर्खा कार्यक्रम के लिये अभी तक किसी भी निधि की व्यवस्था नहीं की है। हमें आशा है कि इसके लिये भी कुछ धन राशि रखी जायेगी, पर ऐसा चर्खे पर किये जाने वाले परीक्षणों के अनुकूल परिणाम निकलने पर ही किया जायेगा। तब और २०० करोड़ रुपयों की व्यवस्था करनी होगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की वर्तमान प्रारूप रूपरेखा के आकार में लगभग १५० से २०० करोड़ अतिरिक्त रुपयों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिये। पहले एक अवसर पर, वित्त मंत्री ने इस तथ्य का उल्लेख किया था कि अम्बर चर्खा कार्यक्रम के सम्बन्ध में निर्णय हो चुकने के बाद शायद हमें योजना के आकार में वृद्धि करनी पड़ेगी, और उस कार्य के लिये २०० करोड़ रुपयों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह सभी बातें हमारे ध्यान में हैं।

उद्योग के विकेन्द्रीकरण के दृष्टिकोण से, करोड़ों बेरोज़गार व्यक्तियों के लिये रोज़गार की व्यवस्था करने के दृष्टिकोण से, इस बात का भी ध्यान रखते हुये, कि सूती कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, आदि को पिछली आधी शताब्दी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिली बड़ी-बड़ी वित्तीय सहायताओं के बल पर ही इतने उद्योग खड़े किये गये हैं और आज वे आत्म-निर्भर बनने की स्थिति में आ गये हैं, हमें विकेन्द्रीकृत उद्योग की स्थापना के लिये भी कुछ वित्तीय सहायतायें देनी पड़ेगी और तभी हमारे करोड़ों बेरोज़गारों को रोज़गार मिल सकेगा। हमें अपनी वर्तमान मिलों के सम्बन्ध में यह बात भी नहीं भूलनी चाहिये कि उनके निर्माण में उत्पादन शुल्क, और विभिन्न संरक्षणात्मक शुल्कों, आदि ने भी भारी योग दिया है। मुझे विश्वास है कि सरकार और संसद् अत्यधिक संभावनाओं से पूर्ण इस विशाल योजना को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक वित्त की स्वीकृति देने में आनाकानी नहीं करेगी।

मैं उत्पादन मंत्रालय के कार्य के सम्बन्ध में बोलने वाले माननीय सदस्यों का आभारी हूं। हमें उनकी आलोचनाओं से काफी सहायता मिली है, और हमें उनसे लाभ ही होगा। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री रामचन्द्र रेड्डी की बात के अतिरिक्त, सभी अन्य सदस्यों की बातों को ध्यान में रखा जायेगा। श्री रेड्डी ने नमक शुल्क के सम्बन्ध में कहा था। वह मसला ही अब समाप्त हो चुका है, वित्त मंत्री के कथनानुसार, हम उसका अन्तिम संस्कार भी कर चुके हैं। हम उस पर फिर से विवाद आरम्भ नहीं करेंगे। हम केवल इतना ही करेंगे कि वर्तमान उपकर को कुछ घटा देंगे। इस बात के अतिरिक्त, हम माननीय सदस्यों की इच्छाओं की यथासंभव पूर्ति करने का

प्रयास करेंगे, और मुझे आशा है कि संसद् सहानुभूति के साथ ही उत्पादन मंत्रालय के कार्य का लेखा-जोखा करेगी, और संसद् द्वारा उत्पादन मंत्रालय को सौंपे गये कार्यों को आरम्भ करने या समाप्त करने में हमें यथासम्भव समर्थन मिलता रहेगा ।

†**श्री विभूति मिश्र** (सारन व चम्पारन) : क्या सरकार उत्तर बिहार में प्रस्तावित कताई मिल की स्थापना के लिये कुछ कर रही है ?

†**श्री के० सी० रेड्डी** : सरकार समय-समय पर विभिन्न विषयों पर विचार करती रहती है, विभिन्न अवसरों पर उनकी स्थिति भी बदलती रहती है । मैं उनके सम्बन्ध में नहीं कह सकता ।

श्री देवगम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर ग्रामीण लोगों का दुःख-दर्द सुनाने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारी समस्या यह है कि हमें बिल्डिंग फ़ौम बिलो, यानी निम्न स्तर से इस नव भारत का निर्माण करना है ।

बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ (उद्योगों) के बारे में तो मुझ से पहले बड़े-बड़े लोग बोल चुके हैं । मैं तो एक ग्रामवासी होने के नाते सिर्फ कौटेज इंडस्ट्रीज़ (कुटीर उद्योगों) के बारे में संक्षेप में निवेदन करूंगा ।

बिहार की टसर सिल्क इंडस्ट्री (टसर रेशम उद्योग) के सम्बन्ध में इस सदन में पहले भी दो बार निवेदन कर चुका हूं और मैं "फैक्ट्स एंड फीगर्स एबाउट बिहार" नामक किताब के पृष्ठ १६ की दो लाइनें आपकी सेवा में पढ़ कर सुनाता हूं :

"चैबस्सा इन रेशम के कोयों की सबसे बड़ी मंडी है ।"

"वास्तव में, भारत में, बिहार ही सबसे अधिक परिमाण में टसर का उत्पादन करता है ।"

राजस्थान के माननीय मेम्बर वहां पर जिप्सम की बहुतायत होने के कारण वहां पर सीमेंट फैक्टरी और फर्टिलाइजर फैक्टरी (खाद कारखाना) खोलने का दावा करते हैं, तो मैं समझता हूं कि मेरा यह दावा भी मजबूत है कि चैबस्सा, जो टसर ककून का सबसे बड़ा मार्केट है, वहां पर टसर सिल्क की इंडस्ट्री खोली जानी चाहिये; और इसके लिये इस सदन में मैंने सन् १९५२ में निवेदन किया था और दुबारा हाल ही में गत दिसम्बर में १० तारीख को निवेदन किया था, और आज फिर मैं अपनी उस मांग को दुहराता हूं, और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे; और मैं कहूंगा कि हमारे आदिवासियों को सिर्फ रा मैटीरियल (कच्चा माल) ही बनाने वाले ही न रहने दें, बल्कि उनको और दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी सिखायें जिससे वे प्रगति कर सकें ।

विलेज आयल इंडस्ट्री (ग्राम तेल उद्योग) की बाबत में मैं यह कहना चाहूंगा कि घानी से निकाले हुये तेल की उन्नति होनी चाहिये । साथ ही मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जो पूंजीपति लोग हैं वह पहले ही सारा आयलसीड (तिलहन) खरीद लेते हैं और गरीबों के लिये नहीं बचता है । सरकार इस तकलीफ को, जो ग्रामवासी तेलियों को अनुभव होती है, दूर करने के लिये क्या उपाय कर रही है ? मेरा सुझाव है कि मार्केट में जो बड़े-बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको आयलसीड्स के खरीदने के लिये प्रीफ़ेंस (वरीयता) नहीं देना चाहिये और आदिमजातियों के लोगों को इनको खरीदने का पहले अवसर देना चाहिये, जिससे कि वे बिना आयलसीड्स के न रह जायें ।

नान-इडिबल आयल्स (अभक्षणीय-तेलों) के बारे में यह कहना है कि नान पावर सोप फैक्टरीज़ (साबुन के विद्युतहीन-कारखाने) को सरकार की ओर से और प्रोत्साहन मिलना चाहिये और उन पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये । उन्होंने इस सम्बन्ध में एक मेमोरेंडम (ज्ञापन) भी सरकार की

†मूल अंग्रेजी में

[श्री देवगम]

सेवा में भेजा है और उसमें बतलाया है कि हम लोग जो नान-पावर (विद्युत के बिना) से तेल बनाते हैं उन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है और मेरी प्रार्थना है कि जो पिटीशन (याचिका) उन्होंने दी है उस पर सरकार ध्यान दे।

हमारे प्रांत के जंगली इलाकों में नोमड ट्राइब (खानाबदोश जातियों) के लोग रहते हैं, जो कि गाछ की छाल और पेड़ों के बकलों से रस्सी बनाते हैं। उनको बसाने का सरकार को उपाय करना चाहिये। ये लोग जंगलों में एक जगह से दूसरी जगह घूमते-फिरते हैं, यह बिरहोर लोग जो जंगल-जंगल घूमते हैं और जंगल नष्ट करते हैं और जंगल जला कर खेती करते हैं, इन लोगों को बसाना चाहिये और इन लोगों को और-और इंडस्ट्रीज सिखाना चाहिये।

इनके अलावा, हमारे यहां जंगलों में शेडयूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) के डोम और महाली लोग जंगलों में से बांस काट-काट कर लाते हैं और इनका पेशा जंगल से बांस काट कर लाना होता है, और यह बास्केट (डलियां) वगैरह बनाते हैं, लेकिन सरकार ने इनका बांस काटना बंद कर दिया है क्योंकि बांस काटने में ये जंगल के जंगल नष्ट कर देते हैं, इसलिये इनकी बांस सप्लाई करने के लिये एक डिपो खोला गया है, लेकिन उससे भी इनका काम नहीं बनता है क्योंकि वहां से जो सूखा बांस उनको मिलता है वह उनके काम में नहीं आता। मेरा सुझाव यह है कि उनको इसके लिये काफी लैंड (भूमि) दिया जाय जहां कि व बांस रोपें और बांस का प्लानटेशन (खेती) कर सकें और ऐसा प्रबन्ध करने से यह लोग स्वावलम्बी हो जायेंगे और इंडिपेंडेंट (स्वतन्त्र) हो जायेंगे। अपने फाइव इयर प्लान में (पंचवर्षीय योजना) में सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि आदिवासी लोगों को वुडक्राफ्ट्स (लकड़ी के खिलौने वगैरह बनाने) का काम सिखाना चाहिये। हैंड पाउंडिंग राइस (हाथकुटे चावल) की चक्की कहां मिलेगी, यह भी गांव वालों को मालूम नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि इन ग्रामीण लोगों को इन सब बातों की जानकारी कराई जाय। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं यहां पर ग्रामवासियों का दुःख-दर्द सुनाने के लिये खड़ा हुआ हूं। अब मैं आपको बतलाऊं कि माइनिंग इंडस्ट्री (खनन उद्योग) में करीब आठ हजार लोग काम करते हैं और वे सब ग्रामीण हैं। इस जामदा माइनिंग ऐरिया में करीब आठ हजार लोग खान खोदने का काम करते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि वैगनों (माल डिब्बों) की कमी के कारण लाखों टन आयरन-ओर (कच्चा लोहा) पड़ा रहता है और उसके मूवमेंट (लाने-ले जाने) के लिये कोई उपाय होना चाहिये। उनको काफी वैगन मिलने चाहियें, ताकि हजारों और लाखों टन आयरन-ओर जो स्टेशनों पर पड़ा है वह कलकत्ता पोर्ट (बन्दर) में चला जाय। यह कोई कम संख्या नहीं है, उनको भी बेकारी से बचाना चाहिये। रूरकेला में स्टील प्लांट (इस्पात कारखाना) के साथ फर्टिलाइजर प्लैन्ट (खाद कारखाना) भी होगा, जिसमें एल० डी० प्रोसेस (विधि) से ८०,००० टन नाइट्रोजन निकलेगा, मैं इस ओर इशारा करता हूं कि और-और स्टील प्लैन्ट भी इस नवीन प्रोसेस को अपनायें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा में आवश्यक गणपूर्ति नहीं है। माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात्, लोक-सभा शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, ५ अप्रैल, १९५६]

पृष्ठ

अनुदानों की मांगें १८८१-१९४६

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा समाप्त हुई तथा मांगों की पूरी राशि स्वीकृत हुई ।

उत्पादन मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६ के लिये कार्यावलि—

उत्पादन मंत्रालय तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा । गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार ।

M109LSD—8-11-57—190—GIPF